लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४६, १९६०/१८८२ (शक)

[२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६०/७ से १८ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४६ में अंक २१ से ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ४६,—अंक २१ से ३१—२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६० / ७ से १८ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक २१ सोमवार, अगस्त २९, १९६०/७ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८२६ और ८२८ से ८३५ . . २६२३—४७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . २६४७—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ और ८३६ से ८७० . . २६५०—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३१ से १६६०, १६६२ से १७०३ और १७०५ से १७०७ . . . . . २६६५—९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६९६–९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २६९८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बालकेश्वर में तेल का मिलना २६९८–९९

सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक—पुरस्थापित २६९९

वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . २६९९—२७३४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २७३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव २७३४–३७

तेल सम्बन्धी नीति के बारे में प्रस्ताव . . . . २७३७—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २७५४—६०

अंक २२ मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०/८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०-क, ८७१ से ८७४, ८७६ से ८८०, ८८२ और ८८३ . . . २७६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २७८४—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५, ८८१, ८८४ से ९०२ और ९०४ से ९१४ २७८७—२८००

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ से १७७० और १७७२ से १७८१ २८००—२८

विशेषाधिकार भंग के बारे में प्रस्ताव . . . २८२९

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ तथा ९०३ के बारे में . २८३०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २८३०–२८३१

राज्य-सभा से सन्देश . . . २८३१

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया २८३१

आसाम जाने वाले संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का प्रतिवेदन . २८३२–३३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २८३४

उनहत्तरवां प्रतिवेदन २८३४

विधेयक—पुरस्थापित २८३४

(१) बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक २८३४

(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६० २८३४

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २८३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २८३४—३७

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . १८३७–३८

पारित करने का प्रस्ताव २८३८

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक . . २८३८—४२

विचार करने का प्रस्ताव . . . २८३८—४२

खण्ड १ से ३ . . २८४२

पारित करने का प्रस्ताव २८४२

भारतीय मज़दूर संघ (संशोधन) विधेयक . . . २८४३

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . २८४३—५५

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . २८५५—५८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८५८

औषधि (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८५९—६१

पैकेज प्रोग्राम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २८६१—६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . २८६८—७४

अंक २३ बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०/९ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६, ९१८ से ९२२, ९२५, ९२६, ९२८ से ९३३, ९३५ और ९३७ . . . . २८७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ . २८९९--२९०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७, ९२३, ९२४, ९२७, ९३४, ९३६ और ९३८ से ९६३ . . . . २९०४--१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८२ से १८११ और १८१३ से १८५६ २९२०--५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९५२--५४

सदस्य की दोष-सिद्धि २९५४

विनियोग (संख्या ४) विधेयक--पारित २९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव २९५५--८७

दैनिक संक्षेपिका २९८८--९३

अंक २४ गुरुवार, १ सितम्बर, १९६० / १० भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९७४, ९७६ और ९८२ . . २९९५--३०१७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . ३०१७--२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९७५, ९७७ से ९८१ और ९८३ से १००८ ३०२०--३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५७ से १९४२ और १९४४ से १९४९ ३०३२--७६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०७७--७९

राज्य सभा से सन्देश ३०७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की बम्बई प्रादेशिक समिति द्वारा हड़ताल की धमकी ३०७९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३०७९--८८

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . ३०८९--३११५

खाद्यान्नों के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३११५--१८

दैनिक संक्षेपिका ३११९--२६

अंक २५ शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६० / ११ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००९ से १०१३, १०१५ से १०१८, १०२० और १०२२ से १०२६ . . ३१२७--५१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१४, १०१६, १०२१ और १०२७ से १०४८ ३१५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६५० से १६५६ और १६५८ से २०३६ ३१६१–३२०३

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३२०३

राज्य सभा से सन्देश ३२०३

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश . . . ३२०३

स्कूटरों के बारे में वक्तव्य ३२०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र के रायलसीमा और अन्य ज़िलों में दुर्भिक्ष की स्थिति ३२०४–०६

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . ३२०६–३१

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . . ३२३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३२३२–३७

अंक २६ शनिवार, ३ सितम्बर, १६६० / १२ भाद्र, १८८२ (शक)

राज्य सभा से सन्देश . . ३२३६–४०

भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२४०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ।

पंजाब के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति ३२४०–४२

सभा का कार्य . . ३२४३

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . ३२४४

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . ३२४४

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३२४४–७६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनहत्तरवां प्रतिवेदन ३२८०

समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत ३२८०–६०

नौवहन सभा के बार में संकल्प

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२६१–६२

पृष्ठ

अंक २७—सोमवार, ५ सितम्बर, १९६०/१४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ से १०५२, १०५४, १०५७, १०५८, १०६०, १०६२ से १०६५ और १०६८ से १०७० . . ३२९३–३३१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५, १०५६, १०५९, १०६१, १०६६, १०६७ और १०७१ से १०८६ . . . . . ३३१७–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४० से २१३१ . . . . ३३२९–७१

सभा पटल पर रखा गया पत्र ३३७१

राज्य सभा से सन्देश ३३७१

भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . ३३७१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — ३३७२–७४

नागा विद्रोहियों द्वारा विमानों पर हमला

औषधि (संशोधन) विधेयक ३३७४–९१

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में. . ३३७४–९१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३९२–३४१५

कोचीन गोदी श्रमिक योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३४१५–१९

सभा का कार्य . . . ३४१९

दैनिक संक्षपिका ३४२०–२६

अंक २८—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०/१५ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७ से १०९०, १०९२, १०९६, १०९८ से ११०० और ११०४ . . . ३४२७–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९१, १०९३ से १०९५, १०९७, ११०१ से ११०३ और ११०५ से ११४५ . . . . . ३४४८–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३२ से २२४५ . . . ३४७०–३५२०

स्थगन प्रस्ताव . . . .

इन्डो-स्टेनवेक परियोजना के कर्मचारियों की छटनी ३५२०

पृष्ठ

सभा पटल पर रख गये पत्र ३५२१,३५२२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ३५२१–२२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में भूकम्प ३५२२–२३

विधेयक—पुरस्थापित ३५२३–२४

१. अधिमान अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक, १९६० . ३५२३–२४

२. भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, १९६० . . ३५२४

औषधि (संशोधन) विधेयक . . . ३५२४–३०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३५२४,३५२५–२९

खण्ड २ से ११ तथा १ . . . ३५२९–३०

पारित करने का प्रस्ताव . ३५३०

सभा का कार्य . . . ३५२४

सीमा शुल्क और उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक ३५३०–३१

विचार करने का प्रस्ताव ३५३०–३१

खण्ड २ से १०, अनुसूची तथा खण्ड १ . ३५३१

विचार करने का प्रस्ताव ३५३१

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक . . . ३५३२–५३

विचार करने का प्रस्ताव ३५३२–४९

खण्ड २ से १० तथा १ . . . . . ३५४९–५२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५५२–५३

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक ३५५३–५६

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३५५३–५६

दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों में स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ३५५७–६३

तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी समितियां,, . . ३५६३

दैनिक संक्षेपिका ३५६४–७१

अंक २९—७ सितम्बर १९६०/१६ भाद्र १८८२ (शक) — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४६, ११४९ से ११५२, ११५४, ११५५, ११५८ से ११६२, ११६४, ११६५, ११६९ और ११७० . ३५७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७, ११४८, ११५३, ११५६, ११५७, ११६३ और ११६६ से ११६८ और ११७१ से ११९२ . . ३५९९–३६१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२४६ से २३२५, २३२९ से २३४८, २३४८-क, २३४८-ख, २३४८-ग, २३४८-घ और २३४८-ङ ३६१२–६४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६६४–६६

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश ३६६६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सतरवां प्रतिवेदन . . . ३६६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भिलाई तथा रूरकेला इस्पात की योजनाओं में कोयले और लौह अयस्क की कमी ३६६७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३६६७–७७

उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रस्ताव . . ३६७७–३७१२

नौवहन के विस्तार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ३७१२–१३

दैनिक संक्षेपिका . . ३७२१–२८

अंक ३०—८ सितम्बर, १९६० / १७ भाद्र, १८८२ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३७२९

दैनिक संक्षेपिका . ३७३०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अंक ३१—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६० / १८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३० से १२३३, १२३५, १२३६, १२३८, १२४० से १२४३ और १२६४-ख . ३७३१–५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ३७५४–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १२११, १२११-क, १२१२ से १२१६, १२१६-क, १२१६-ख, १२१६-ग, १२१६-घ, १२१७ से १२२९ और १२२९-क, १२३४, १२३७, १२३९, १२४४ से १२६४, १२६४-क, १२६४-ग, १२६५ से १२७४, १२७४-क, १२७५, १२७५-क, १२७६, १२७७ और १२७८ . . . . . ३७५७–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३४९ से २४३०, २४३०-क, २४३०-ख, २४३१ से २४९७, २४९९ से २५२१, २५२४ से २५३१, २५३३ से २५४२ और २५४४ से २५५३ . ३७९६–३८९३

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या ७६१, दिनांक १६-८-६०, के उत्तर में शुद्धि .	३८९३
स्थगन प्रस्ताव	३८९३–९५
१. कोयला खान श्रमिक पंचाट की कथित अकार्यान्विति . .	३८९३–९४
२. उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय वहन	३८९४–९५
३. हड़ताल करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	३८९५
सभा का कार्य . .	३८९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३८९६–९८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
याचिका समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
कार्यवाही-सारांश . .	३८९९
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३८९९
याचिका समिति—	
दसवां प्रतिवेदन . . .	३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन	३८९९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	३८९९–३९०१
१. पुनर्वास वित्त प्रशासन के कर्मचारियों की छटनी .	३८९९–३९००
२. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण	३९००–०१
३. मैसूर में दुर्भिक्ष की स्थिति . . .	३९०१
४. पंजाब में आटा मिलों को गेहूं का संभरण . .	३९०१
५. गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने की दरों से सम्बन्धित अनुसूची	३९०१
६. लखनऊ की छत्तर मंजिल में दरारें .	३९०२
तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ के उत्तर की शुद्धि	३९०२

पृष्ठ

प्रत्यक्षकर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों पर निर्णयों के बारे में वक्तव्य—
श्री मोरारजी देसाई . . ३९०३

सूती कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य—
श्री लाल बहादुर शास्त्री . . . ३९०३—०४

रजिस्टर्ड पत्र को ग़लत पते पर दिये जाने के बारे में वक्तव्य—
डा० प० सुब्बरायन . . . . ३९०४—०६

प्लास्टिक एबोनाइड ब्लाक बनाने वाली मशीन के बारे में वक्तव्य ३९०७

विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९०७

(१) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

(२) मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक . . ३९०८—४५

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३९०८—३६

खण्ड २ से २६ तथा खण्ड खंड १ . . . ३९३६—४४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सत्तरवां प्रतिवेदन ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९४६—४७

१. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १६२ का संशोधन) (श्री तंगामणि का) ३९४६

२. व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९२ का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . ३९४६

३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ४०५ आदि का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . . ३९४६

४. समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा १३-क और ६२४-क का रखा जाना और धारा २९३ का संशोधन) [श्री मी० रू० मसानी का] ३९४७

बद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . ३९४७—५१

भारतीय संविदा संशोधन विधेयक—वापिस लिया गया—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३९५१—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३९५४—६९

ग्यारहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप . . . . ३९७०—७१

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GIPND—LSIII—1118(Ai)LSD—18-10-60—130.

लोक-सभा

शनिवार, ३ सितम्बर, १९६०

१२ भाद्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

†**अध्यक्ष महोदय :** आज प्रश्न नहीं है ।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव :** (१) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संशोधन मिला है कि लोक-सभा द्वारा ५ अगस्त, १९६० को पारित बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक, १९६० को राज्य-सभा ने अपनी १ सितम्बर, १९६० की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश भी मिला है कि राज्य-सभा ने १ सितम्बर, १९६० को अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया —

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा मोटर परिवहन कर्मचारियों के कल्याण की व्यवस्था करने और उनके काम की दशा को विनियमित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक से संबन्धित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें :—

१. श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल

२. श्री ए० चक्रवर

३. श्री खण्डूभाई देसाई

४. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी

५. सैयद मजहर इमाम

६. श्री कुम्भा राम

७. श्री लोकनाथ मिश्र

---

†मूल अंग्रेजी में

८. श्री के० एल० नरसिंहम्
९. श्री महेश्वर नायक
१०. सरदार रघुबीर सिंह पंजहज़ारी
११. डा० श्रीमती सीता परमानन्द
१२. श्री एम० गोविन्द रेड्डी
१३. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
१४. श्रीमती सावित्री देवी निगम
१५. श्री आबिद अली

(३) मुझे राज्य सभा के सचिव से एक और संदेश प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने राज्य सभा द्वारा १ सितम्बर, १९६० की अपनी बैठक में पारित किये गये भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक, १९६० की एक प्रति संलग्न की है।

भारतीय विमान संशोधन विधेयक

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक, १९६० को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पंजाब के कुछ जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति

†**श्री प्र० सि० बौलता** (झज्जर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"पंजाब के कुछ जिलों में बाढ़ से उत्पन्न गम्भीर स्थिति"

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : पंजाब में हाल की बाढ़ों से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में संवाद प्रकाशित हो रहे हैं, माननीय सदस्यगण वहां की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये व्यग्र हैं। मंत्रालय से तार और बेतार के संवाद भेजने के बावजूद भी हमें राज्य सरकार से बाढ़ की स्थिति तथा उससे हुई क्षति के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। जितनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है उससे यह ज्ञात हुआ है कि भारी वर्षा और फलस्वरूप जुलाई तथा पुनः अगस्त के तीसरे सप्ताह में आने वाली बाढ़ के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। सब से अधिक हानि रोहतक, संगरूर, पटियाला, करनाल, हिसार और लुधियाना के जिलों में हुई है। रोहतक और हांसी नगरों में स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है कि बाढ़ को रोकने और नगर को बचाने के लिये सैनिक सहायता लेनी पड़ी।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य के मुख्य इंजीनियर से प्राप्त पहिली सूचनाओं के अनुसार झज्जर, मारकन्डे, सतलुज, रावी और ब्यास में जुलाई के मध्य और पुनः अगस्त, के उत्तरार्द्ध में पानी मध्यम दर्जे से ऊंचे दर्जे की बाढ़ को सतह पर था, अगस्त के तीसरे सप्ताह में पटियाला नदी में काफी बाढ़ आई थी। जुलाई के मध्य में मारकन्डे और तंगड़ी नदियों के बीच गोबरी बांध में दरार आ गई। जुलाई और अगस्त मास के उत्तरार्द्ध में रेलवे लाईन कई स्थानों से टूट गई, इससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो गई। रोहतक में उत्पन्न गम्भीर स्थिति का समाचार पाते ही मंत्रालय ने केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के एक ज्येष्ठ टैक्नीकल पदाधिकारी को स्थिति का अध्ययन करने के लिये भेज दिया था। वे कल शाम को ही नवीनतम जानकारी लेकर लौटे हैं।

बाढ़ से हुई क्षति

बाढ़ से हुई क्षति के जिलेवार या डिवीजनवार विवरण अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। राज्य सरकार की सूचना के अनुसार ३,८४२ गांव और २८ लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। ९.७ लाख एकड़ जमीन की फस्ल को हानि पहुंची है उसकी लागत अनुमानतः १२·७ करोड़ रुपया है। ९६,००० मकान जिनकी लागत २·८ करोड़ थी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ५५ आदमी और २५६ पशु लापता हैं। सरकारी संपत्ति को हुई हानि की लागत अनुमानतः १·६ करोड़ है।

सहायता कार्य

राज्य सरकार ने बाढ़ ग्रस्त व्यक्तियों को यथाशक्ति सहायता पहुंचाने के तत्काल प्रयत्न किये। बाढ़ में फंसे व्यक्तियों को निकालने और उन्हें सहायता पहुंचाने के आवश्यक उपकरण यथा मोटर बोट, हौलेज बोट बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाई गईं। राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि के रूप में २८·७ लाख रुपये और तकाबी ऋण के रूप में २९·७ लाख रुपये स्वीकार किये गये। इसके अतिरिक्त रबी की फस्ल के लिये बीजों का संभरण करने के लिये १·५ करोड़ रुपये का सहायता धन और विविध सहायता कार्यों के लिये ७१.२४ लाख रुपये मंजूर किये गये। प्रभावित क्षेत्रों को भू-राजस्व से छूट प्रदान की गई। उप-आयुक्तों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे ऐसे परिवार को जिसके कमाने वाला व्यक्ति बाढ़ में मर गया हो, उचित अनुदान दे सकते हैं।

बाढ़ नियन्त्रण कार्य

१९५४ के राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम प्रारम्भ से पंजाब राज्य में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये, केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा जून १९६० तक स्वीकृत योजनाओं में ३०६·८९ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। इस कार्य के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब को केन्द्रीय सरकार से ३९४ लाख रुपये का ऋण मिलेगा।

रोहतक की स्थिति

अब मैं सभा को रोहतक की स्थिति से अवगत करूंगा।

रोहतक जिले और करनाल के एक भाग का गंदा पानी कई नालियों के द्वारा जमा किया जाता है ये नालियां मुख्य नाली संख्या ८ में गिरती हैं, यह नाली गोहाना से प्रारम्भ हो कर रोहतक के पास से गुजरती हुई झज्जर के पश्चिम में एक गढ़े में गिरती है। ये नालियां रोहतक के लिये ४५० वर्ग मील के क्षेत्र के बरसाती पानी को बहाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। नाली संख्या ८ की क्षमता

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

अपने सिरे पर ७४० क्यूसेक और रोहतक के पास २ क्यूसेक प्रति वर्ग मील के हिसाब से ९०० क्यूसेक है। इस नाली को १९५३ में मरम्मत की गई थी और १९५९ तक इसके द्वारा उक्त क्षेत्र में पानी जमा होने से बचाव होता रहा।

उक्त सारे क्षेत्र में जिसका पानी नाली संख्या ८ में जमा होता था, असाधारण रूप से वर्षा हुई। फलस्वरूप उसमें से अधिकतम बहाव ७४० क्यूसेक पानी बहने लगा और गोहाना में पानी की ऊंचाई १८-८-१९६० को ८ फीट हो गई। २६ अगस्त, १९६० को पानी की अधिकतम ऊंचाई १२ फीट हो गई और नाली से २,००० क्यूसेक्स पानी बहने लगा। नाली के दोनों किनारे डूब गये और पानी ने उसमें से निकल कर दोनों ओर के १ $^{1}/_{2}$ मील के क्षेत्र को प्लावित कर दिया।

रोहतक नगर को बचाने के लिये इस नाली के बायें किनारे पर रेत के बोरों की एक दीवार बनाई गई। दायें किनारे से पानी आता रहा। २९ अगस्त को दायें किनारे के पानी ने नाली में घुस कर बायें किनारे पर दरार पैदा कर दी। पानी इस दरार से निकल कर बहने लगा और निचले क्षेत्रों से बहता हुआ रेलवे बंध तक पहुंच गया।

कल शाम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि नाली का पानी रेलवे बंध के किनारे किनारे रोहतक से ४ मील फिरोजपुर की ओर फैल गया है और वह पटरियों से ८ से ९ इंच ऊंचा है। रेलवे बंध के किनारे किनारे रेत तथा मिट्टी के बोरे रख कर उसे रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन रेलवे बांध सात या आठ जगह से टूट गया और पानी धीरे धीरे रोहतक नगर की ओर बढ़ने लगा। इसके फलस्वरूप रोहतक नगर के निचले बसे हुए क्षेत्र पानी से डूब गये। नगर के गंदे पानी का निकास करने वाली नालियां बाढ़ के पानी से डूब गईं। फलस्वरूप नालियों से पानी उल्टा बहने लगा जिससे कई गलियां गन्दे पानी से भर गईं।

सैनिक, असैनिक तथा इंजीनियरिंग अधिकारी दरारों को तत्काल बन्द करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयत्न कर रहे हैं। जिला अम्बाला के आयुक्त, अम्बाला के उप क्षेत्र के ब्रिगेडियर, पश्चिम जमुना नहर के अधीक्षक इंजीनियर सभी रोहतक में मौजूद थे तथा स्थिति का अध्ययन कर समय समय पर आवश्यक निर्णय दे रहे थे। बाढ़ रोकने, लोगों को बचाने तथा सहायता पहुंचाने का कार्य अनवरत गति से चल रहा था साथ साथ लोक स्वास्थ्य अधिकारी इस बात के लिये प्रयत्नशील थे कि कहीं पानी के जमा होने से नगर में बीमारियां न फैलें।

२ सितम्बर की प्रातः से गोहाना में नाली के पानी का स्तर गिरने लगा। किन्तु अभी रोहतक में पानी का स्तर गिरना शुरू नहीं हुआ है क्योंकि उससे मिले हुए क्षेत्रों से बरसाती पानी का उधर आना जारी है।

मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति का सामना करने के लिये राज्य सरकार द्वारा जो भी सहायता मांगी जायेगी उस पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। सहायता कार्य के लिये राज्य सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, केन्द्र से वित्तीय

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं सोमवार, ५ सितम्बर, १९६० को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) औषधि (संशोधन) विधेयक, १९६० पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, अग्रेतर विचार और उसका पारित किया जाना

(२) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उनका पारित किया जाना :—

(क) सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक, १९६०;

(ख) बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६० ;

(ग) दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६०, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ;

(घ) भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक, १९६०, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ;

(ङ) भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक, १९६०, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ;

(च) पशु निर्दयता-निवारण विधेयक, १९६०, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ।

(३) ५ सितम्बर, १९६० को ३ बजे गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग के नवें वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा ।

(४) ६ सितम्बर, १९६० को ३ बजे श्री इकबाल सिंह द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के १९५८–५९ के प्रतिवेदन पर और उसके बारे में श्री जी० पी० कपाडिया के विमति टिप्पण तथा सिफारिशों पर चर्चा ।

(५) ७ सितम्बर, १९६० को ३ बजे श्री प्र० के० देव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर उड़ीसा में हाल की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और सिंचाई और विद्युत् मंत्री द्वारा २५ अगस्त, १९६० को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा ।

(६) ८ सितम्बर, १९६० को ३ बजे श्री राजेन्द्र सिंह तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर चीनी की लागत और चीनी उद्योग को दिये जाने वाले उचित मूल्य के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उसके बारे में दिनांक ४ अप्रैल, १९६० के सरकारी संकल्प संख्या ४९–१/५९-एस वी–३८७ पर चर्चा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पचपनवें प्रतिवेदन से जो २ सितम्बर, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पचपनवें प्रतिवेदन से, जो २ सितम्बर, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा १ सितम्बर, १९६० को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि आसाम की स्थिति और उसके बारे में संसदीय शिष्टमंडल के प्रतिवेदन पर, जो ३० अगस्त, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, विचार किया जाय ।"

श्री अ० चं० गुह अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं कल यह बता रहा था कि राज्य पुनर्गठन प्रतिवेदन में आसाम के सम्बन्ध में क्या कहा गया है । वहां की राजनीति में आसामीकरण की भावना बहुत प्रबल है । प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि जब तक किसी भाषा का प्रयोग ७० प्रतिशत जनसंख्या द्वारा न किया जाता हो तब तक उसे राजभाषा नहीं बनाया जाना चाहिए । आसाम में जो कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में

हुआ है उसके लिए वहां के नौजवानों को दोषी कहने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि उनका पालन ऐसे ही वातावरण में हुआ है। आसाम के राज्यपाल तक ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्य विधान सभा के उद्घाटन भाषण में बंगालियों के लिए अजनबी शब्द का प्रयोग किया था। आसाम के समाचारपत्रों तथा साहित्य में इसी प्रकार का प्रचार रहता है। इसलिये वहां के नौजवान यह समझने लगे हैं कि आसाम राज्य केवल आसामी-भाषी जनसंख्या के लिये है। इस भावना को उनके दिमाग में से निकालना होगा। उन्हें यह समझना चाहिए कि आसाम एक बहु-भाषी राज्य है जैसा कि राज्य पुनर्गठन आयोग, अजित प्रसाद जैन समिति और स्वयं प्रधान मंत्री ने भी निर्देश किया है।

मेरा विचार है कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करके बहुत बड़ी गलती की गई है। कल भी कुछ आसामी-भाषी सदस्यों ने यह मांग की थी कि आसाम की राजभाषा आसामी ही होनी चाहिए। दूसरी ओर श्री हिनिटा ने यह कहा कि आदिवासी जनता आसामी भाषा स्वीकार नहीं करेगी। चूंकि प्रत्येक राज्य की अपनी एक भाषा है इसलिये आसामी जनता की यह मांग अस्वाभाविक तो नहीं कही जा सकती परन्तु इसके सम्बन्ध में कुछ सावधानी अवश्य बरती जानी चाहिए थी। यदि सहयोग और सद्भावना से काम लिया गया होता तो इतनी कठिनाइयां उत्पन्न न होतीं।

इस चर्चा के पहले दिन एक उपन्यास का उल्लेख किया गया था जिसका आधार कृषि सम्बन्धी आन्दोलन है। उसमें एक गाना है जिसका आशय यह है कि "बंगालियों को आसाम से खदेड़ कर बाहर निकाल दो।" उसमें एक पंक्ति यह भी है कि विदेशी बंगाली हमारे देश को लूट रहा है। यह उपन्यास १९५७ में प्रकाशित हुआ था।

†**श्री बसुमतारी** (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): माननीय सदस्य गलत अर्थ लगा रहे हैं।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि): माननीय सदस्य से वह पुस्तक सभा-पटल पर रखने के लिये कहा जाना चाहिए।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि सभा को समस्या की गम्भीरता का आभास हो सके। हम यह कहते अवश्य हैं कि देश की एकता बनाये रखना चाहिये परन्तु उस का तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों को नहीं रोका जायगा। मैं ने क्रोध अथवा द्वेष की भावना से प्रेरित हो कर नहीं वरन् सभा का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से ही यह बात यहां कही है।

फिर, श्रीमान्, जैन समिति ने शिलांग के जलूस का उल्लेख किया है जिस में आसामी भाषा को गधों की भाषा कह कर खिल्ली उड़ाई गई थी। मुझे नहीं पता कि ऐसा कहा गया था या नहीं। परन्तु यह मैं अवश्य कह सकता हूं कि आसामियों ने बंगालियों के विरुद्ध इस से भी अधिक भद्दी भाषा का प्रयोग किया था। मेरे पास कुछ छपे हुए पर्चे भी मौजूद हैं. परन्तु मैं उन बातों का उल्लेख यहां नहीं करना चाहता हूं। जहां तक उस जलूस का प्रश्न है उस के संगठनकर्त्ता ने एक पत्र में उसके सम्बन्ध में खेद प्रकट किया है। मुझे खेद है कि आसाम के समाचारपत्रों ने उसे दबा दिया और संसदीय शिष्टमण्डल ने भी उस का उल्लेख नहीं किया। मैं वह पत्र सभा-पटल पर रख सकता हूं। संगठनकर्त्ता ने यह स्पष्ट कहा है कि उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

फिर यह भी कहा गया है कि उपद्रव ४ जुलाई को प्रारम्भ हुआ था। यह ठीक नहीं है। मेरे पास उन ११० दुर्घटनाओं की सूची मौजूद है जो २६ जून और ३ जुलाई के बीच हुई थीं। इन की सूचना पुलिस में भी दर्ज है। उन में से कुछ तो बहुत गंभीर थीं जैसे महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि यह उपद्रव ४ जुलाई से शुरू हुए थे। वास्तव में उन की शुरूआत बहुत पहले हो गई थी। जब श्री फीरोज गांधी अप्रैल में आसाम गये थे तभी उपद्रव शुरू हो गये थे। श्री गांधी ने बताया था कि आसाम के तेल के कारखाने में ४०० कर्मचारियों में से केवल ४० बंगाली भाषी हैं। फिर भी श्री बरूआ यह चाहते है कि उन्हें नौकरी से हटा दिया जाय। इस का असर यह हुआ है कि आसाम के इस पोढ़ी के नौजवान आसाम को केवल आसामी-भाषियों का राज्य समझने लगे हैं। जब से श्री चालिहा ने शासन का कार्यभार संभाला है तब से इस स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसीलिये प्रदर्शनकारी श्री चालिहा के विरुद्ध हैं। वे न केवल उन्हें अपने पद से हटा देना चाहते हैं वरन् उन्हें मार ही डालना चाहते हैं। श्री चालिहा का अपराध यही है कि वह अधिक उदारता और बुद्धिमतापूर्ण नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इसीलिये कट्टरपंथी लोग उन्हें हटा देना चाहते हैं। वास्तव में इन उपद्रवों के पीछे अनेक राजनैतिक दलों का हाथ है। इसलिये इस के सम्बन्ध में विस्तृत जांच की जानी चाहिये और अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिये। मेरे विचार से कांग्रेस, प्रजा समाजवादी और साम्यवादी सभी दल इस उपद्रव के लिये जिम्मेदार हैं।

जो घटनायें घटित हुई हैं उन सब का उल्लेख मैं नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वे अत्यन्त भयानक हैं। जैन प्रतिवेदन में भी उस का कुछ संकेत है और मैं समझता हूं कि जब जांच होगी तो वे सब बातें सामने आ जायेंगी। यहां मैं केवल एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। स्वामी निगमानन्द का आश्रम नष्ट कर दिया गया है जो लगभग ६० वर्षों से चल रहा था। उस में लाखों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई है। खेद है कि प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक संस्था को भी नहीं छोड़ा। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ हिन्दू मंदिरों को भी नष्ट किया गया है। ये मंदिर बंगालियों के थे। कल श्री जन ने यह कहा था कि कछार में कुछ आसामी भाषी लोगों के घर जला दिये गये। यह ठीक नहीं है। मुझे ज्ञात हुआ है कि एक भी घर नहीं जलाया गया है।

एक बात यह कही गई कि श्री चालिहा के बीमार पड़ जाने और श्री फखरुद्दीन अहमद के राज्य में न होने के कारण आसाम सरकार उचित कार्यवाही नहीं कर सकी। परन्तु वास्तव में श्री चालिहा ६ जुलाई को बीमार पड़े थे और उस समय तक श्री फखरुद्दीन अहमद अपने दौरे से लौट आये थे। ऐसी स्थिति में आसाम सरकार की अक्रियता सर्वथा अक्षम्य है। राज्य सरकार ही नहीं केन्द्रीय सरकार भी समय पर कार्यवाही करने में सर्वथा असफल रही है। केवल सेना भेज देना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसे राज्य सरकार के हाथ में सौंप दिया गया था जिस ने कोई कदम नहीं उठाया।

अन्त में मैं सभा से यह अपील करना चाहता हूं कि जो लोग बेघरबार हो गये हैं उन के संबंध में प्रबन्ध किया जाना चाहिये। बंगाल के प्रसिद्ध कवि श्री चण्डीदास ने यह कहा है :

"शुन रे मानुष भाइ, सवार उपरे मानुष सत्य, तार उपरे नाइ।"

अर्थात् मनुष्य से बड़ी कोई चीज नहीं है। इसलिये भाषायी विवाद में मनुष्य की बलि नहीं होनी चाहिये। जब तक उसके जीवन की रक्षा नहीं की जाती तब तक अन्य विकास कार्यों का कोई लाभ नहीं हो सकेगा।

†**श्री नरसिंहन्** : गृह-मंत्री के भाषण प्रारम्भ करने के पूर्व मैं दो प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं ताकि वह उन का उत्तर दे सकें। एक प्रश्न यह है कि क्या शरणार्थियों को बंगाल के बजाय कछार क्षेत्र में रखना अधिक अच्छा नहीं होगा ? दूसरे, भारत सरकार ने राज्यपाल के जरिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मैं समझता हूं कि पहले मैं इन दो प्रश्नों का उत्तर ही दे दूं। जो लोग बंगाल से आसाम चले गये हैं उन्हें अपने आसाम के घरों में ही पुनर्वासित किया जाना चाहिये। उन्हें अपने राज्य से अन्यत्र हटाना उचित नहीं होगा। इसलिये सरकार उन्हें अपने आदि स्थान में ही पुनर्वासित करने का प्रत्येक प्रयत्न करेगी।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, आसाम के राज्य-पाल काफ़ी सक्रिय रहे हैं और वह सरकार के साथ सहयोग करते रहे हैं। उन्हों ने अपने दीर्घ सेवा काल में जो अनुभव प्राप्त किया है उस का प्रयोग वह आसाम की कठिनाइयों का हल निकालने में करते रहे हैं।

श्रीमान्, जिस प्रकार यह बहस इस सभा में हुई है उस की मैं प्रशंसा करता हूं। माननीय सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया है और जहां कहीं उन्होंने आवश्यक समझा वहां अत्यन्त ओजस्विता के साथ आलोचना भी की है। इस प्रकार के विषय पर सभा में जिस ढंग से चर्चा हुई है उस से यह ज्ञात होता है कि हम ने प्रजातांत्रिक संस्थाओं के संचालन में काफी अनुशासन प्राप्त कर लिया है। इस के लिये सभा और विशेषकर आप बधाई के पात्र हैं।

बहस का श्रीगणेश करते हुए प्रधान मंत्री ने इस समस्या के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की थी और एक अधिकृत वक्तव्य दिया था। इसलिये जो कुछ वह कह चुके हैं उस को दुहराना मेरे लिये आवश्यक नहीं है। मेरे मित्र श्री अ० कु० सेन, जिन्हों ने कुछ दिन आसाम में रह कर संकट ग्रस्त लोगों की सहायता की है और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया है, ने भी बड़े सुन्दर ढंग से अपने विचार व्यक्त किये हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे आशा है कि मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

मैं प्रारम्भ में संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्हों ने इस विषय में काफी परिश्रम किया है। उन का प्रतिवेदन अत्यन्त विस्तृत संलेख है और शिष्टमंडल के नेता तथा सदस्यों ने जितना समय इस में लगाया है उस के लिये मैं उन का अत्यन्त कृतज्ञ हूं। वे लगभग १२ दिन दिल्ली से बाहर रहे और इस अवधि में वे एक स्थान से दूसरे को भागते रहे। उन्हें आराम करने अथवा सोने तक के लिये समय नहीं मिल सका। उन्हों ने जो प्रतिवेदन दिया है उस से मालूम होता है कि उन्हों ने विभिन्न प्रश्नों पर बड़ी गंभीरता और तटस्थता से विचार किया है।

मुझे दुख है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रतिवेदन में छिद्रान्वेषण किया है। प्रतिवेदन में सन्निहित प्रस्तावों के प्रति सहमति अथवा असहमति प्रकट करना तो ठीक है परन्तु यह दोष लगाना ठीक नहीं है कि उस में शिष्टमण्डल के सदस्यों का निष्पक्ष मत सन्निहित नहीं है। संसदीय शिष्टमंडल की नियुक्ति आप के तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा की गई थी और उसे एक कठिन कार्य सौंपा गया था। ऐसी स्थिति में उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की जानी चाहिये थी। परन्तु खेद है कि उन्हों ने जो कुछ किया उस का उन्हें पर्याप्त श्रेय नहीं मिला है।

सभा में दिये गये भाषणों को सुनने के पश्चात् मैं यह महसूस करता हूं कि दोनों ओर के सदस्यों में काफी मतैक्य है। जो मतभेद हैं भी वे अत्यन्त नगण्य हैं। जहां तक आसाम में घटित हुई दुर्घटनाओं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ब० पन्त]

का सम्बन्ध है उन की प्रत्येक व्यक्ति ने निन्दा की है और उन पर खेद प्रकट किया है। हमें इन दुर्घटनाओं से केवल दुख ही नहीं हुआ वरन् बड़ा आघात सा पहुंचा है। विभाजन के समय देश को अनेक संकटों से गुजरना पड़ा था। उस दौरान में भयानक नरसंहार हुआ था और जब हमें आजादी मिली थी तो हम ने यह आशा की थी कि अब हम बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक आगे बढ़ सकेंगे। हम सब ने अहिंसा को स्वीकार किया था और उस से न डिगने का निश्चय किया था। इसलिये अब जो सम्पत्ति की लूट तथा अन्य घटनायें हुई हैं उन्हें देख कर हमें बड़ा धक्का लगा है। जो बातें हमें सुनने को मिली हैं उन को सुनने के पश्चात् सभा का कोई भी सदस्य विचलित हुए बिना नहीं रह सकता।

प्रतिवेदन में समस्त तथ्य दिये हुए हैं और जहां तक उन तथ्यों का सम्बन्ध है उन के बारे में शिष्टमण्डल के सदस्यों में कोई भी मतभेद नहीं है। दो सदस्यों ने एक सिफारिश के सम्बन्ध में तथा एक सदस्य ने एक से अधिक सिफारिशों के सम्बन्ध में मतभेद व्यक्त किया था परन्तु जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है, जो सदस्य वहां गये थे उन में पूर्ण मतैक्य है। मैं समझता हूं कि उन्हों ने प्रतिवेदन में जो कुछ कहा है उस से भिन्न कल्पना करना वांछनीय नहीं होगा। यदि कोई और बात हुई होती तो वे उस का उल्लेख अवश्य करते। इसलिये इस प्रकार के अवसरों पर जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उन का हमें विश्वास नहीं करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि जो लोग उन्हें दुहराते हैं वे स्वयं संतुष्ट नहीं हैं परन्तु यह स्वाभाविक है कि इस प्रकार के अवसरों पर अनेक प्रकार की अफवाहें फैल जाती हैं और बहुत से लोग गैर-जिम्मेदारी से उन्हें दुहराया करते हैं। इसलिये हमें प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों को स्वीकार कर लेना चाहिये।

आसाम में जो कुछ भी हुआ उस का कारण चाहे जो भी रहा हो, वह भाषायी कट्टरता, प्रादेशिकता और राज्य की नौकरियों पर एकाधिकार करने की भावना का द्योतक है। जब हमें आजादी मिली थी तो हम राष्ट्र की ही बात सोचा करते थे, अपने राज्य, नगर अथवा मुहल्ले की नहीं। परन्तु उसके बाद से हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण होता जा रहा है। इस भयानक रोग का उपचार किया जाना आवश्यक है और आसाम में जो कुछ हुआ है उस से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

आचार्य कृपालानी ने कल जो प्रेरणादायक भाषण दिया था उस में वहां की स्थिति का विश्लेषण किया गया था और नये परिवर्तनों का उल्लेख किया गया था। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि संकीर्णता की बढ़ती हुई भावना पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। अन्ततः हमें अपना दृष्टिकोण अधिकाधिक राष्ट्रीय बनाना चाहिये। स्वाभाविक निकटताओं की उपेक्षा तो हम नहीं कर सकते परन्तु उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये ताकि वे राष्ट्रीयता की भावना को न निगल सकें।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आसाम की इन घटनाओं का विशेष महत्व है क्योंकि आसाम हमारे देश का पूर्वी सीमान्त है और आजकल की परिस्थितियों में वहां के लोगों में शांति, सद्भावना, और एकता का होना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग एक भाषा बोलते हैं और अन्य लोग दूसरी यह तथ्य उस एकता में बाधक नहीं होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की द्वेष और घृणा की भावना दूर करके एकता की भावना नहीं लाई जायेगी तो केवल आसाम की नहीं वरन् समस्त देश की हानि होगी। वास्तव में यह प्रश्न केवल आसाम अथवा बंगाल से ही सम्बन्धित नहीं है वरन् देश के प्रत्येक भाग पर असर डालता है।

हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं। हमने कुछ सिद्धान्तों का पालन करने का निश्चय किया है। हमने किसी एक राज्य में रहने वाले लोगों को ही वचन नहीं दिये हैं वरन समस्त लोगों को दिये हैं—

चाहे वे बहुमत में हों अथवा अल्पमत में। हमने उन्हें शांति से रहने और राज्य से समान लाभ प्राप्त करने का वचन दिया है। इसलिए उन मौलिक अधिकारों का पालन किया जाना आवश्यक है।

इन प्रारम्भिक परन्तु आधारभूत तथ्यों का उल्लेख करने के पश्चात् मैं यह कहना चाहता हूं कि आसाम में ये उपद्रव ४ जुलाई और १२ जुलाई के बीच शुरू हुए थे। उसके अन्य गहरे कारण कुछ भी रहे हों और उसके पीछे किसी का भी हाथ रहा हो परन्तु भाषायी आंदोलन ने चिनगारी का काम किया। आसामी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और वह प्रस्ताव काफी अरसे से लोगों के सामने था। जब पिछली बार राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई थी तो विरोधी पक्ष द्वारा यह संकेत किया गया था कि अभिभाषण में आसामी को राज्यभाषा बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं किया गया था। इस मांग के सम्बन्ध में विरोधी दल के प्रायः सभी सदस्य एकमत थे। उस अवसर पर आसाम के मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें यह कहा गया था कि आसामी को राजभाषा घोषित करने के सम्बन्ध में सरकार उस समय तक प्रतीक्षा करेगी जब तक कि गैर-आसामी-भाषी लोगों की ओर से भी वैसी मांग न की जाय। सरकार समझती है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में बहुमत अथवा अल्पमत की दृष्टि से नहीं वरन् उसकी स्वीकार्यता की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि बहुमत की दृष्टि से निर्णय करने पर उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।

मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य का उन लोगों ने तो स्वागत किया था जो आसामी नहीं बोलते हैं परन्तु फिर भी घाटी में आंदोलन शुरू कर दिया गया। उस आन्दोलन का आयोजन अधिकतर ऐसे लोगों ने किया था जो कांग्रेस से सम्बन्धित नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ कांग्रेसजनों की भी उसके प्रति सहानुभूति रही हो परन्तु इस वक्तव्य के कारण वे ऐसी कार्यवाही में खुले तौर से भाग नहीं ले सकते थे। इस आंदोलन के कारण राज्य कांग्रेस ने इस प्रश्न पर विचार किया और एक संकल्प पारित किया जो इस प्रतिवेदन में संलग्न है। उसमें यह कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्णय किये जाने वाले प्रयोजन के लिए आसामी भाषा को राजभाषा स्वीकार किया जा सकता है परन्तु कछार और पहाड़ी क्षेत्रों को उस समय तक इससे छूट मिलनी चाहिए जब तक कि वे उसके लिए तैयार न हो जायें। संकल्प में यह भी कहा गया है कि आसामी न जानने के कारण किसी भी व्यक्ति को नौकरी से वंचित नहीं रखा जायेगा और अल्पमतों की रक्षा की जायेगी वह संकल्प इसमें संलग्न है। यह आशा की गई थी कि इस संकल्प के परिणामस्वरूप कोई समझौता हो सकेगा और इस प्रश्न पर आगे कोई आंदोलन नहीं होगा परन्तु परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ। घाटी में तथा कछार और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में असंतोष था। इसलिए यह आंदोलन जारी रहा।

यदा-कदा कुछ ऐसी बातें कही गईं जिनसे कटुता उत्पन्न हुई। कभी ऐसा भी हुआ कि एक स्थान पर कोई प्रदर्शन हुआ तो दूसरे स्थान पर उसके विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया गया। संभवतः २१ जून को मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य जारी किया और लोगों से शांति रखने की अपील की। वह वक्तव्य भी इस प्रतिवेदन में संलग्न है। परन्तु उसका भी वांछनीय प्रभाव नहीं पड़ा और स्थिति कुछ तनावपूर्ण हो गई। कुछ छोटी मोटी दुर्घटनायें हुईं जो ३० जून तक जारी रहीं जबकि जिलाधीश को विवश होकर गौहाटी में धारा १४४ लागू करनी पड़ी और सम्भवतः करफ्यू भी लगाना पड़ा। परन्तु इस सभा के एक माननीय सदस्य के अनुरोध पर १ जुलाई को जिलाधीश ने करफ्यू सम्बन्धी आदेश वापस ले लिया। एक शांति समिति की स्थापना भी की गई थी।

परन्तु २ जुलाई को स्थिति फिर खराब हो गई और हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। छोटी-मोटी दुर्घटनायें जारी रहीं और ३ जुलाई तक स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। ४ जुलाई को एक स्कूल के पास कुछ मकानों में आग लगा दी गई। इस पर पुलिस ने गोली चलाई

[श्री गो० ब० पन्त]

जिसमें एक लड़का मारा गया और छै अन्य घायल हुए । बाद में उस लड़के के शव को गौहाटी से नौगांव तथा अन्य स्थानों से होकर सिबसागर जिले में जोरहाट नामक स्थान पर ले जाया गया जिस से उत्तेजना और भी बढ़ी । ४ जुलाई के बाद घाटी में हिंसा का नग्न नृत्य हुआ । दुर्भाग्यवश नुकसान उन लोगों का हुआ जिन्होंने आसामी को राजभाषा स्वीकार करने के विरुद्ध कोई भी आपत्ति नहीं की थी । वास्तव में बंगाली समाज के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में आयोजित बैठकों का सभापतित्व किया था । फिर भी उन लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा । आठ दिनों तक जो हिंसात्मक कार्यवाहियां चलती रहीं उनका विस्तृत ब्यौरा देना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं । १२ तारीख के बाद स्थिति पर कुछ नियंत्रण हुआ और शांति तथा व्यवस्था वापस लाई जा सकी । सिबसागर अथवा नौगांव को छोड कर अन्यत्र कहीं कोई बडी दर्घटना नहीं हुई ।

मैंने स्वयं मुख्य मंत्री और राज्यपाल के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क रखा था और बाद में वित्त मंत्री के साथ भी । यह कहना ठीक नहीं है कि वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री दोनों अनुपस्थित रहने के कारण कुछ नहीं कर सके । ५ जुलाई तक मुख्य मंत्री कार्य करते रहे और उसी दिन वित्त मंत्री वहां पहुंच गये । मैंने स्वयं समय समय पर मुख्य मंत्री को आवश्यक परामर्श दिया था जो मैंने उन परिस्थितियों में ठीक समझा । ४ तारीख के पहले की स्थिति विशेष कठिन नहीं थी और आशा थी कि उस पर नियंत्रण कर लिया जायेगा । जून के अन्त में मुख्य मंत्री के पास से मुझे जो पत्र मिला था उसमें ऐसा ही मत व्यक्त किया गया था और राज्यपाल का मत भी वैसा ही मालूम होता था ।

परन्तु मैंने देखा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । गौहाटी की घटनायें इस की प्रमाण थीं । इसलिए ३ जुलाई को मैंने मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने कहा था कि इस समय जैसी गंभीर स्थिति है उसके परिणाम अत्यन्त भयंकर हो सकते हैं । प्रतिरक्षा मंत्रालय ने आवश्यकता के समय असैनिक अधिकारियों की सहायता करने के लिए एक सेना तैनात कर दी है । यदि आपके विचार से सेना की सहायता आवश्यक हो जाय तो वह तुरन्त उपलब्ध होगी । मैंने अपने पत्र में यह भी कहा था कि सैनिक अधिकारियों के साथ सम्पर्क के लिए उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।

४ जुलाई को मुझे वित्त मंत्री से मिलने का मौका मिला था । मैंने उनके साथ स्थिति की चर्चा की थी । वापस जाते समय उन्होंने स्वयं यह कहा था कि सब मंत्री सक्रियता से काम कर रहे हैं । वे राज्य में दौरा कर रहे हैं और कुछ कांग्रेसजन भी स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहे हैं । ४ तारीख के बाद उनके सम्मिलित प्रयत्नों का कुछ लाभ भी दिखाई पड़ा । मैंने राज्यपाल के साथ भी सम्पर्क रखा था और ७ या ८ तारीख को उनसे यह मालूम हुआ था कि ३ या ४ दिन के अन्दर यह मारकाट कम हो जायेगी और व्यवस्था स्थापित की जा सकेगी । उन्होंने जो कुछ कहा था वह सही निकला क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूं १२ तारीख तक स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया था ।

उसके बाद मैंने जो लिखापढ़ी की और पुनर्वास के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये थे उनका निर्देश करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं परन्तु एक बात मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि यदि केन्द्रीय सरकार की ओर से कहीं कोई चूक हुई हो तो उसके लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूं और अन्य किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं दिया जाना चाहिए । यह बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं ताकि सभा में तनिक भी सन्देह न रहे ।

यह कहा गया है कि हमें आसाम में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देना चाहिए था और यह भी कहा गया कि आसाम में कांग्रेसी सरकार होने के कारण ही हम ने वैसा नहीं किया । इसके सम्बन्ध

में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यदि ऐसे गंभीर मामलों में सरकार दलगत विचार से आवश्यक कदम उठाने में असफल रहती है तो वह देश के साथ विश्वासघात करना होगा। प्रश्न यह था कि क्या आसाम की वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करना लाभकारी होता ? मैं यह बता देना चाहता हूं कि आसाम के समस्त राजनैतिक दल राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध थे। एक भी दल उसके पक्ष में नहीं था। ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति को आसाम में किसी की सहायता नहीं मिल पाती तो समस्या और भी जटिल हो जाती। वैसा करने से उन लोगों के सम्बन्ध खराब हो जाते जो सद्भावना स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का शासन लाभकारी कैसे हो सकता था ?

फिर हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस हिंसा पर १२ तारीख को नियंत्रण कर लिया गया था। १२ तारीख तक वह उपद्रव प्रायः खत्म हो गया था। वह लगभग ८ दिन चला। क्या राष्ट्रपति के शासन द्वारा इससे भी कम समय में स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता था ? चूंकि राष्ट्रपति शासन के लिए आसाम में कोई भी तैयार नहीं था इसलिए राष्ट्रपति को किसी की भी सहायता नहीं मिलती। केवल राज्यपाल तथा कुछ अधिकारीगणों का अधिक प्रभाव नहीं हो सकता था।

इसके अतिरिक्त आसाम की वास्तविक कठिनाई प्रशासकीय यंत्र की कमजोरी है और उसका उपचार एक-दो दिनों में नहीं किया जा सकता है। किसी जादू के डंडे से शासन का सुधार नहीं किया जा सकता था। यह ऐसा मामला है जिसमें काफी समय लगता है। फिर, क्या राष्ट्रपति को आसाम के मामलों के प्रशासन के लिए श्री चालिहा से अधिक अच्छा व्यक्ति मिल सकता था ? श्री चालिहा को प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास प्राप्त है। इस सभा में भी प्रत्येक सदस्य ने उनकी निष्पक्षता और उनके उदार दृष्टिकोण की प्रशंसा की है। ऐसी स्थिति में अन्य क्या व्यवस्था की जा सकती थी?

इसके अतिरिक्त जब कभी राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाता है तो उसके लिए राज्य की जनता की ओर से मांग की जाती है और राज्यपाल यह सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति शासन आवश्यक हो गया है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब केरल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उसके बहुत पहले राज्यपाल की ओर से वैसा सुझाव आया था। हमने सीधे ही शासन अपने हाथ में नहीं ले लिया था इसलिए श्री मुकर्जी का यह कहना ठीक नहीं है कि हमने केरल में तो मौका मिलते ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया परन्तु आसाम के सम्बन्ध में हिचक की है। वास्तव में हमें केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के लिए बाध्य किया गया था। हम राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करना चाहते थे परन्तु केरल की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वहां की सरकार उसका सामना करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। वास्तव में जब पंजाब विधान मण्डल में कांग्रेस का बड़ा बहुमत था तब भी वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। फिर केन्द्रीय सरकार भी तो कांग्रेस की है इसलिए यदि हम किसी कांग्रेसी सरकार वाले राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेते हैं तो सत्ता किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाती है। केन्द्र का राज्यों पर बहुत थोड़ा नियंत्रण है। यदि हम अपने हाथ में अधिक शक्ति लेना चाहते और कांग्रेस की सहायता करना चाहते तो हम सहज ही वैसा कर सकते थे क्योंकि केन्द्र का अन्य किसी दल से कोई संबंध नहीं है। उस समय जो कुछ भी किया गया वह किसी दलीय विचार से नहीं किया गया। मेरा अब भी यही विचार है कि आसाम की जैसी परिस्थिति थी उसमें वहां राष्ट्रपति का शासन लागू करना गलत होता।

[श्री गो० ब० पन्त]

इसलिए मैं अत्यन्त सम्मानपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि ४ तारीख को स्थिति के इतने गंभीर होने के पूर्व ही सेना को सचेत कर दिया गया था और उसके पश्चात् सेना की पांच बटालियनें असैनिक अधिकारियों को सौंप दी गई थीं। वह समय राज्य सरकार के हाथों को मजबूत बनाने और उन्हें अधिकतम शक्ति देने का था। इसके अतिरिक्त आसाम राइफल्स की सेवायें भी राज्य सरकार को सौंप दी गई थीं। इसलिए जहां तक सैनिक सहायता का संबंध है केन्द्र ने भरसक प्रयत्न किया था। यही नहीं, १० तारीख को प्रतिरक्षा मंत्री स्वयं आसाम गए थे तथा राज्यपाल और अन्य अधिकारियों से मिले थे। वह इस संबंध में किए गए प्रबन्ध से पूर्णतः संतुष्ट हुए।

उसके पश्चात् जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं प्रधान मंत्री स्वयं १७ तारीख को आसाम गए और तीन दिन वहां रहकर २० तारीख को वापस आए। उन्होंने अधिकांश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट की तथा उनके साथ इस विषय की चर्चा की। उसके बाद विधि मंत्री आसाम गए और मैं समझता हूं कि उन्होंने वहां दस या बारह दिन लगाए। जहां तक गैर सरकारी लोगों का संबंध है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी वहां १० तारीख को गए थे और श्रीमती इन्दिरा गांधी भी शांति स्थापना के उद्देश्य से अपने पिता के साथ गई थीं। केन्द्रीय मंत्रियों ने भी काफी काम किया है जो किसी भी हालत में कम नहीं कहा जा सकता है। वे भी वहां गए और पुनर्वास कार्य की गति बढ़ाने के लिए तथा लोगों में पारस्परिक विश्वास लौटाने के लिए जो भी संभव था वह किया। इस प्रयत्न को हमें जारी रखना है।

अपने दौरे से लौटने पर प्रधान मंत्री ने इस समस्या पर अग्रेतर विचार किया और जब श्री अ० कु० सेन वापस आए तो उन्होंने कुछ निश्चित प्रस्ताव रखे जो स्वीकार कर लिए गए। एक प्रस्ताव यह था कि जो लोग आसाम छोड़ कर चले गए हैं उनके लिए मकानों का निर्माण करने के लिए सेना को लगाया जाना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि पुनर्वास कार्य में तेजी लाने और लोगों में विश्वास लौटाने में किसी केन्द्रीय मंत्री को आसाम सरकार की सहायता करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने जांच कराए जाने का सुझाव भी दिया था। उसके बाद से यह मामला निरन्तर सरकार के सामने है। हम जो कुछ भी संभव है करते रहे हैं।

संसदीय शिष्टमण्डल का प्रतिवेदन हमें मिल गया है जिसका निर्देश मैंने अभी किया था। माननीय सदस्यों ने आसाम सरकार द्वारा जारी किया गया नीति संबंधी वक्तव्य देखा होगा। सरकार ने अपराधियों को दण्डित करने के लिए प्रभावपूर्ण कदम उठाने का निर्णय किया है चाहे वे लोग किसी भी पद पर हों अथवा किसी भी दल से संबंधित हों। पक्षपात अथवा किसी प्रकार की चूक के अपराधी अधिकारियों को भी दंडित किया जाएगा। विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय भी किया गया है ताकि जो अनुशासनहीनता फैली हुई है वह दूर हो सके। जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे विद्यार्थियों की संघर्ष समिति अथवा किसी अन्य संगठन ने पहली सितम्बर से मांग सप्ताह मनाने की घोषणा की थी। वहां की सरकार ने स्थानीय संगठनों को उसमें भाग न लेने की सलाह दी और उन्होंने उस आन्दोलन को वापस ले लिया।

जहां तक अन्य संगठनों का संबंध है, सरकार ने धारा १४४ लगाकर सभाओं तथा जलूसों पर रोक लगा दी और लगभग ९ विद्यार्थियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस बात का निर्देश मैं इसलिए कर रहा हूं कि विद्यार्थियों की कार्यवाहियों पर रोक लगाने की वांछनीयता के संबंध में कुछ मतभेद रहा है। कोई भी व्यक्ति विद्यार्थियों पर पाबन्दियां नहीं लगाना चाहता है। उनकी

सांस्कृतिक, अध्ययन संबंधी तथा अन्य गतिविधियों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। परन्तु हमें परिस्थितियों का विचार करके ही तुरन्त प्रयोजन की प्राप्ति के लिए उपाय करना होता है। बाद में क्या करना होगा यह सर्वथा भिन्न चीज है। सम्भवतः कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त की जाने वाली समिति इस प्रश्न पर विचार करेगी। परन्तु तुरन्त आवश्यक कार्यवाही तो अभी की ही जानी चाहिए। अन्यथा कठिनाइयां बढ़ जायेंगी और जटिलतायें उत्पन्न होंगी। मैंने वहां के विद्यार्थियों को देखा है और विश्वविद्यालय में भाषण भी दिया है। वे अच्छे लोग हैं। यदि वे गलत रास्ते पर जायेंगे तो उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। नीति संबंधी वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि जिन विद्यार्थियों ने हिंसात्मक कार्यवाही में भाग लिया है उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।

कुछ अन्य प्रस्ताव भी उसमें हैं जिनमें से एक समाचारपत्रों से संबंधित है। उसके संबंध में कुछ विवाद रहा है। यहां भी मैं यही कहूंगा कि हम समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाना चाहते। कुछ समय पूर्व हमने प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) अधिनियम के निरसन के लिए एक विधेयक पेश किया था ताकि समाचारपत्रों के संबंध में तनिक भी हस्तक्षेप न किया जा सके। जहां तक विचार व्यक्त करने और सही समाचार प्रकाशित करने का प्रश्न है उन पर कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए परन्तु जहां तक हिंसा को प्रोत्साहन देने का प्रश्न है उसके संबंध में हमें विचार करना होगा। अभी चाहे कोई भी कदम उठाया गया हो परन्तु इसके संबंध में अंतिम निर्णय वह समिति ही करेगी। सरकार का वर्तमान रवैया क्या है यह प्रधान मंत्री बता चुके हैं अतः उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा।

हमें बड़ा दुख है कि जो लोग आसाम से पश्चिमी बंगाल चले गए थे उन्होंने अभी तक आसाम लौट जाना ठीक नहीं समझा है। उनमें आतंक फैला हुआ है। हमें केवल शांति ही स्थापित नहीं करनी है वरन् ऐसा वातावरण भी उत्पन्न करना है जिससे लोगों में विश्वास की भावना उत्पन्न हो और वे अपने घरों को लौट सकें और बिना किसी प्रकार के डर के रहने लगें। यह प्रश्न मूलतः मनोवैज्ञानिक है अतः इसके संबंध में उसी प्रकार की कार्यवाही करनी होगी। मैं आशा करता हूं कि जिन आसामी मित्रों ने इन घटनाओं पर खेद व्यक्त किया है वे अविश्वास और भय की भावना को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। मैं समझता हूं कि पश्चिमी बंगाल की सरकार भी इस कार्य में सहयोग देगी क्योंकि वह दोनों सरकारों से संबंधित है। केन्द्रीय सरकार कुछ कदम उठा ही चुकी है। जैसा कि मैं बता चुका हूं सेना से घने बसे क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए कहा गया है। जो मकान जलाए गए हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनका काम सेना द्वारा नहीं किया जा सकता है परन्तु जहां कहीं घने बसे क्षेत्र होंगे और पक्के मकान होंगे वहां उससे जो कुछ हो सकेगा वह किया जाएगा।

यह मांग भी की गई है कि इन लोगों की सहायता और सुनर्वास के लिए असाम सरकार को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। ऐसी सहायता अवश्य दी जानी चाहिए और मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक सहायता देने को तैयार है ताकि न केवल उनके मकान बनाए जा सकें वरन् उनको नए सिरे से जीविका प्रारंभ करने के लिए औजार आदि भी दिए जा सकें और कुछ समय तक के लिए उनके भरणपोषण के लिए भत्ता भी दिया जा सके। अन्य कदम भी उठाए जायेंगे और मैं आशा करता हूं कि इस कार्य में सहायता करने के लिए एक केन्द्रीय मंत्री से आसाम और बंगाल जाने का अनुरोध किया जाएगा। जहां तक आसाम राज्य का संबंध है बहुत से लोग जो डर कर बाहर चले गए थे अपने घरों को लौट आए हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि जो मकान जलाए गए थे उनमें से लगभग आधे स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों की सहायता से पुनर्निर्मित किये जा

[श्री गो० ब० पन्त]

चुके हैं। जहां तक आसाम के कैम्पों का संबंध है, मैं समझता हूं कि उनकी समस्या बहुत गंभीर नहीं है और लोग अपने घरों को चले जायेंगे। बंगाल में अवश्य लगभग ४५,००० व्यक्ति कैम्पों में अथवा मित्रों के यहां रह रहे हैं। यह संख्या बहुत ज्यादा है। बंगाल में पहले ही लोग बहुत भर गए हैं और अब वहां अधिक शरणार्थी रखने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए उनके शीघ्र पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी और मैं आशा करता हूं कि दोनों राज्य सरकारों के सहयोग और केन्द्रीय सरकार की सहायता से वे अपने को लौटाने में समर्थ होंगे। वे या तो अपने घरों से बलपूर्वक निकाले गए हैं अथवा डर के मारे भाग आए हैं। वहां रहने वाले लोगों का यह कर्तव्य है कि इस प्रकार की भावना को दूर करें ताकि जो लोग आसाम में रहते हैं, चाहे वे बंगाली बोलते हों अथवा आदिवासी हों अपने को आसामी बोलने वाले नागरिकों के समान अनुभव कर सकें। मुझे ज्ञात हुआ है कि बहुत से बंगाली कई पीढ़ियों से आसाम में रहते आए हैं। हमारे संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता है कि वह देश के किसी भी भाग में रहे और कोई भी वैध पेशा करे। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कुछ समय पूर्व हमने इस आशय का एक कानून पारित किया था कि राज्यों में नियुक्तियों के लिये निवास सम्बन्धी नियम प्रार्थियों के मार्ग में बाधक नहीं होगा। यह कानून तो हमने पास कर दिया परन्तु अब एक राज्य में ही रहने वालों के बीच भेदभाव की कठिनाई उत्पन्न हुई है। हमारे संविधान के जो आधारभूत सिद्धान्त है तथा जिन्होंने अभी तक हमारा पथ-प्रदर्शन किया है उनका ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिये।

संसद् सदस्यों की समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं। उन रचनात्मक सिफारिशों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और सम्भवतः उन्हें बहुत हद तक सरकार स्वीकार भी कर लेगी। परन्तु अभी मैं निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकता हूं। उनकी सिफारिशें उचित मालूम होती हैं और स्वीकार कर ली जानी चाहियें।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जबकि हमारे देश के सामने गम्भीर समस्यायें हैं इस प्रकार के झगड़ों के लिये कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा मस्तिष्क संकीर्ण होता जा रहा है और दृष्टिकोण अधिकाधिक अनुदार। यदि यह क्रम जारी रहा तो हमारे समाज और स्वतन्त्रता का आधार स्तम्भ ही नष्ट हो जाएगा। भारत की सुरक्षा और एकता के लिये आन्तरिक झगड़ों से बढ़ कर दूसरा कोई खतरा नहीं हो सकता। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की समस्याओं के सम्बन्ध में राज्यों के अधिकारी संविधान में विनिहित सिद्धान्तों और उनके अनुसरण में सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार ही कार्यवाही करेंगे।

†**श्री अमजद अली** (धुबरी) : मैं माननीय मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आसाम में जो प्रतिनिधि मण्डल गया था उसके प्रतिवेदन के पृष्ठ ११ पर यह लिखा है कि करफ्यू आसाम के सभी राजनैतिक दलों की संयुक्त मांग पर उठाया गया था। लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह इस सभा के एक माननीय सदस्य के कहने पर उठाया गया था। मैं मालूम करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने किस आधार पर यह बात कही।

†**श्री गो० ब० पन्त** : प्रतिवेदन में जो बात कही गई है और मैंने जो कुछ कहा है वह अलग अलग बात हैं। हो सकता है कि सभी नेताओं ने मिल कर यह बात एक माननीय सदस्य के कहने पर ही कही हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : शायद माननीय मन्त्री महोदय का अभिप्राय मुझ से है। इस बारे में मुझ पर बहुत से आरोप लगाये गये हैं। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा है कि मैंने २००० विद्यार्थियों को लेकर करफ्यू तोड़ने की धमकी दी। मैं स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या थी। जब गोहाटी में करफ्यू लगाया गया तो वहां के निवासियों ने इसे पसन्द नहीं किया यह बात प्रतिवेदन में भी कही गई है। डिप्टी कमिश्नर के मकान पर जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस दलके अध्यक्ष, मन्त्री, सभाओं के सदस्य तथा मैं भी उपस्थित था। वहां यह सुझाया गया कि धारा १४४ और करफ्यू दोनों साथ साथ लगाने से कोई लाभ नहीं है। हमने कहा कि धारा १४४ का लगाना ही काफी है और उसका पालन कठोरता से किया जाये। दरअसल धारा १४४ नहीं लगाई गई वह तो केवल कागजी कार्यवाही थी। हमने कहा था कि यदि धारा १४४ से काम नहीं चलता तो करफ्यू लगाया जा सकता है। वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों ने इस बात का समर्थन किया। बाद को पुलिस के अधिकारियों ने आपस में परामर्श कर के यह निर्णय किया कि वे करफ्यू हटाने के लिये तैयार हैं।

मैंने कभी भी यह नहीं कहा था कि करफ्यू आदेश का उल्लंघन करूंगा और जलूस निकालूंगा।

†**श्री साधन गुप्त** : (कलकत्ता-पूर्व) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आसाम में सेना को भेज कर वहां की जनता की सुरक्षा करने में केन्द्र को क्या आपत्ति थी, और विशेष रूप से उस समय जबकि वहां असैनिक प्रशासन नाममात्र को भी नहीं था और जनता की सुरक्षा का प्रश्न उन्हीं असैनिक प्राधिकारियों के हाथ में रहा।

†**श्री गो० ब० पन्त** : ऐसा करने से स्थिति बिगड़ती ही; क्योंकि ऐसा करने से भ्रान्ति उत्पन्न होगी।

†**वैदेशिक-कार्य-मंत्री के सभा सचिव (श्री जो०ना० हजारिका)** : वैसे तो प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री, विधि मन्त्री ने जो कुछ कहा है उसके बाद मुझे और कुछ कहने के लिये रह नहीं जाता लेकिन मैंने जो कुछ आसाम में देखा है उसी के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसाम में महिलाओं और बच्चों के साथ जो अत्याचार हुए हैं वे निश्चय ही बड़ी लज्जा की बात है। आसाम में ही नहीं बल्कि पश्चिमी बंगाल के कुछ भाग में भी अत्याचार हुए हैं। वहां अभी तक विधि और व्यवस्था की स्थापना नहीं हुई है। लाखों की संख्या में लोग बंगाल आ रहे हैं। श्री अ० प्र० जैन ने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें सही तथ्यों का वर्णन किया गया है और सभी लोग उससे सहमत हैं। उसे प्रतिवेदन में कहा है कि एक बात हमें याद रखनी चाहिये कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि हम देश की अखण्डता की रक्षा करें। आसाम की स्थिति पर विचार करते हुए भी हमारे सामने यही सिद्धा त रहना चाहिये। जो कुछ आसाम में हुआ है वह सब के लिये लज्जा की बात है। यह बहुत बड़ी दुर्घटना है परन्तु हमें इसके कारणों को भी भूलना नहीं चाहिये। हमें इस प्रकार के भाषण भी नहीं देने चाहियें कि जिस से स्थिति के बिगड़ने का भय हो।

सबसे प्रथम बात यह है कि आसाम से भागे हुए लोगों को वहां वापिस बुलाया जाय। वहां सामान्य स्थिति निर्माण कर उनके रहने तथा उनको काम-धन्धों पर लगाने का प्रबन्ध करना चाहिये। और यह व्यवस्था करनी चाहिये कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि श्री अजित प्रसाद जैन तथा अन्य लोगों की समिति ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें सम्पूर्ण मामले का भयानक ढंग से पुनरावलोकन किया गया है। मैं उसकी सिफारिशों से पूर्णतः सहमत हूं। अन्य माननीय सदस्यों को भी इस प्रतिवेदन के प्रति पूर्ण न्याय करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जे० ना० हजारिका]

अखबारों में प्रकाशित बहुत सी चीजों को देख कर तो बहुत ही आश्चर्य हुआ है। प्रधान मन्त्री के दौरे के बाद कलकत्ते के अखबारों में जो खबरें प्रकाशित हुईं, वे बहुदा गलत और तोड़ी मरोड़ी हुई थीं। यदि इस स्थिति में अब अखबार इस प्रकार की खबरें न प्रकाशित करते, तो शायद बाद में वहां अनेक हुई दुघटनायें न होतीं। क्योंकि वहां के हालात ठीक हो रहे थे और लगभग ५० प्रतिशत लोग भी घरों को वापिस जाने लग गये थे।

जो कुछ भी हुआ, इससे यह कदापि नहीं समझा जाना चाहिये कि यह आसाम में रहने वाले बंगाली भाषी लोगों के विरुद्ध कोई षडयन्त्र था। आसामी भाषी बंगालियों के साथ शताब्दियों से रहते आये हैं और हो सकता है कि कहीं कुछ छोटी-मोटी शिकायतें रही हों। परन्तु यह दुर्घटना उन शिकायतों के कारण नहीं हुई है। एक माननीय सदस्य का कहना है कि इसका मुख्य कारण तात्कालिक भाषा सम्बन्धी विवाद था। लेकिन मेरा निवेदन है कि भाषा सम्बन्धी आन्दोलन यह ठीक है कि आसाम तथा ब्रह्मपुत्र की घाटी में इसने विशाल रूप ले लिया और वह यह घोषित करना चाहते थे कि आसामी उनके राज्य की भाषा है बिलकुल अहिन्सक था लोग यह चाहते हैं कि जिस प्रकार अन्य राज्यों में वहां की भाषाओं को स्थान मिला है, उसी प्रकार आसामी भाषा को भी आसाम में स्थान मिले। पुराने नेताओं की कही हुई बातों का हमें गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिये। आसाम कांग्रेस ने भी इसी प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार किया था कि आसाम की सरकारी भाषा आसामी होनी चाहिये। और उसे शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से लागू किया जाना चाहिये। जो कुछ आसाम में हुआ उनमें कुछ एक वर्गों के लोग सम्मिलित थे लेकिन हम उसमें सम्मिलित नहीं थे। २२ तारीख के जलूस में सभी दलों ने, बंगालियों ने भी भाग लिया यदि वे जानते कि यह हिंसा के लिये है, तो शायद वे इसमें शामिल न हुये होते। अतः यह कहना निराधार है कि इसकी तैयारी पहले से थी।

जो कुछ वहां हुआ वह बहुत ही दुखद है। उसके लिये आसाम की जनता एवं वहां की सरकार पर यह दोषारोपण करना कि उन्होंने ही यह सब कुछ किया गलत है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जितनी शीघ्रता से सम्भव हो उतनी ही शीघ्रता से लोगों को बसाया जाना चाहिये। जो लोग आसाम छोड़ कर चले गये हैं उन्हें वापिस लाया जाना चाहिये। इसके साथ ही इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये कि आसाम में सामान्य स्थिति पैदा हो जाय। राष्ट्रपति का शासन इस रोग का उपचार नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि निर्दोष लोगों को सजा न मिल जाय और अपराधी मजे से छूट जाय और अपराधियों को ही दण्ड मिलना चाहिये। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि 'मति कार' नाम की पुस्तक प्रकाशित किये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी। और इसे जब्त कर लेना चाहिये।

मैं श्री अतुल्य घोष के स्थानापन्न प्रस्ताव के बारे में प्रधान मन्त्री ने कहा है कि हम बहुत से न्यायाधिकरण तथा न्यायिक समितियों को स्थापना कर रहे हैं जो घटनास्थल पर जाकर इन घटनाओं की जांच करेंगी तथा अपराधियों को पता लगायेंगी। मेरा विचार है कि यदि न्यायिक जांच बैठाई गई तो इससे भविष्य में इस प्रकार के दंगे की पुनरावृत्ति की सम्भावना है। जनसंख्या के बारे में भी बहुत सी बातें कही गई हैं। आसाम में रहने वाले आसामी भाषी व्यक्तियों की संख्या १९५१ में बढ़ कर ४९ लाख हो गई थी। और जो कुछ समिति की ओर से सिफारिशें की गयी हैं उससे सहमत हूं। एक बात तो होनी ही चाहिये आसामी भाषा वाला भी तो कोई राज्य हो। जैसे कि और भाषाभाषी राज्यों का निर्माण हो गया है। भविष्य में आसाम की क्या स्थिति होगी---वह एक द्विभाषी राज्य होना चाहिये अथवा नहीं वहां हमें जोनल पुलिस भी रखनी चाहिये। अन्त में प्रतिवेदन तथा श्री अतुल्य घोष के स्थापन्न प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री नि० चं० लाहकर** (कचार-रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि मैं ही सदन का एक मात्र ऐसा सदस्य हूं जोकि बंगाली भाषी आसामी हूं। बताया गया है कि हम लोग आसाम को अपना देश नहीं समझते और प्रत्येक समय प्रेरणा के लिये पश्चिमी बंगाल की ओर आंखें लगाये बैठे रहते हैं। यह भी कहा गया है कि ३ जुलाई को हुआ भाषा सम्मेलन और उसमें हुये भाषण सारे आसाम कांड के लिये जिम्मेदार है। यह भी कहा गया है कि बंगाली उच्च पदों पर आसीन हैं। अतः मुझे सब बातों का उत्तर देना है।

जो कुछ आसाम में हुआ है उस पर मुझे काफी लज्जा आ रही है। इन उपद्रवों के कारण ४५००० बंगाली ब्रह्मपुत्र की घाटी छोड़ पश्चिमी बंगाल पहुंच गये हैं। १०००० के लगभग लोग कछार जिले में पहुंचे हैं, क्योंकि यह जिला बंगला भाषी है। मैं उन आसामी भाइयों के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं जिन्होंने इन उपद्रवों के समय बंगाली भाइयों की सहायता की, उन्हें आश्रय दिया। मैं उन्हें इसके लिये मुबारकबाद देता हूं। यह सत्य है कि इन उपद्रवों के कारण बहुत गहरे हैं और बंगला भाषा विवाद ही इस का कारण है ऐसी बात नहीं है। अतः इस समस्या को समझने के लिये इस की पृष्ठभूमि को समझना बड़ा आवश्यक है।

भाषा की दृष्टि से आसाम घाटी दो भागों में विभक्त है एक ब्रह्मपुत्र घाटी है, जोकि आसामी भाषी क्षेत्र है, और दूसरा कछार का पूरा जिला, जो गैर आसामी भाषी क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र घाटी की कुल जन संख्या ६७ लाख है, जिस में से आसामी भाषी ४९ लाख है। कछार के लोग आसामी को सरकारी भाषा बनाने अथवा उन पर लादे जाने के प्रबल विरोधी हैं। कछार जिले के प्रतिनिधियों ने आसाम कांग्रेस समिति के इस प्रस्ताव का विरोध किया है कि आसामी को राज्य भाषा बनाया जाय। तथ्यों तथा आंकड़ों से यह बात सिद्ध की जा सकती है कि आसामी बोलने वाले राज्य में अल्प संख्या में हैं। १९४७ में आसाम में बंगालियों की जनसंख्या ४५,२६,५२८ थी। सिलहट के पाकिस्तान में चले जाने से आप इस में २५ लाख बंगाली कम कर सकते हैं। यह लगभग १८ लाख हो जाते हैं।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानल) : मैं १९५२ से संसद् की सेवा कर रहा हूं। मैंने देखा है कि राज्य सरकारों के सम्बन्ध में कैसे यहां चर्चा होती रही है। हम ने यहां पंजाब पेप्सू अथवा केरल पर चर्चा सुनी है। परन्तु सरकार ने जिस ढंग से यह प्रस्ताव सभा के सामने रखा है, वह बहुत ही खेदजनक है। सरकार ने अपने आप को उत्तरदायित्व से मुक्त कर के अध्यक्ष महोदय पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है। जो समिति नियुक्त की गई है उसके प्रति हमारा पूर्ण सम्मान है। परन्तु उस समिति की संवैधानिक अथवा कानूनी स्थिति क्या है? उस की रिपोर्ट को क्या दर्जा प्राप्त है? जब स्थिति खराब हो रही थी तो आसाम के राज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार को समय पर सूचना क्यों न दी? संविधान के अनुच्छेद ३५५ के अन्तर्गत इस की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये था।

इस सम्बन्ध में दूसरी बात जनगणना के सम्बन्ध में है। जनगणना के आंकड़ों के तोड़ने मरोड़ने के सम्बन्ध में एक दूसरे पर आरोप लगाये जा रहे हैं। परन्तु इस प्रकार का रोग केवल आसाम का ही नहीं है, अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की आरोपबाजी हुई है। वैसे यह विषय केन्द्र का है परन्तु इस का संचालन राज्यों पर छोड़ा हुआ है। अतः मेरा निवेदन है कि गृह कार्य मंत्री महोदय को इस दिशा में कुछ करना चाहिये। जनसंख्या लेने वाली मशीनरी में इस प्रकार का सुधार करना चाहिये कि इस दिशा में किसी को शिकायत का अवसर नहीं रहना चाहिये।

संविधान के अनुच्छेद ३५० (ख) के अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति की गई है। इस आयुक्त द्वारा अपने दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं बंगाली भाषी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में कई तरह के आरोप लगाये गये हैं। मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त से कहना चाहिये था जैसा कि संविधान में अपेक्षित है, कि वह सम्पूर्ण मामले की छानबीन करे। जनगणना विभाग को सुधारा अथवा ठीक किया जाये ताकि किसी को यह महसूस करने का अवसर न हो कि उस के साथ न्याय नहीं हुआ।

मेरा तीसरा निवेदन यह है कि राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। मेरा कहना है जो लोग राष्ट्रीय एकता का बहुत शोर करते हैं वही वास्तव में राष्ट्रीय एकता को भंग करने के कृत्य करते हैं। मेरा सुझाव यह है कि इस बात का पता लगाया जाये कि संकुचित निष्ठायें कैसे फल रही हैं और उन्हें कहां से शक्ति और प्रेरणा मिलती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह आसाम के निम्न मध्यम वर्ग तथा बंगाल के निम्न मध्यम वर्ग के बीच जीविका का संघर्ष है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाये जा रही है।

मुझे इस बात का खेद है कि जैन समिति ने अपनी रिपोर्ट में समाचार पत्रों पर कुछ बन्धन लगाने की सिफारिश की है। यह निर्णय कौन करेगा कि अमुक समाचार हानिप्रद है अथवा नहीं। मेरा विश्वास कि इस सिफारिश की ओर सदन अथवा सरकार द्वारा अधिक ध्यान नहीं दिया जायेगा। समाचारपत्रों को अपना काम करने की पूरी आजादी दी जानी चाहिये।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इन तीन दिनों के वाद-विवाद के दौरान सारी बातों की तफसील सदन के सामने आ चुकी है। मैं उस में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं प्रारम्भ में ही यह कह देना चाहता हूं कि आसाम में जो कुछ हुआ है, उस के कारण सारे हिन्दुस्तान का सारी मानवता का सिर झुकता है, शर्म लगती है। यह निवेदन करते समय मैं सोचता हूं कि जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है, तब से इन तेरह सालों के जमाने में क्या हम एकता की तरफ बढ़े हैं, राष्ट्रीयता की तरफ बढ़े हैं, मानवता की तरफ बढ़े हैं, या हम ने अपने को पीछे खदेड़ा है। इस सम्बन्ध में मुझे एक घटना याद आती है। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कानपुर शहर में हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ और उस दंगे को रोकने के लिये अमर-शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी जान दे दी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आसाम में इतना कुछ हुआ, इतने लोग मारे गये, ऐसे ऐसे दुष्कृत्य किये गये, तो क्या किसी भी राजनैतिक पार्टी ने उन को रोकने के लिये अपने किसी कार्यकर्ता को जान होमने की कोशिश की या नहीं, और अगर नहीं की, तो यह हमारे लिये—सभी राजनैतिक पार्टियों के लिये—एक बहुत शर्म की बात है। जब हिन्दुस्तान गुलाम था, तो मनुष्य की जान बचाने के लिये हम अपनी जान होम सकते थे, लेकिन हिन्दुस्तान के आजाद होने के तेरह साल के बाद हम में वह भावना नहीं रही है, वह भावना पैदा नहीं हुई है। जब असाम में एक वर्ग दूसरे वर्ग को मार रहा था, डस रहा था, बरबाद कर रहा था, उस की सम्पति को नष्ट कर रहा था, उस उस वक्त किसी राजनैतिक पार्टी के नेता या कार्यकर्ता में यह हिम्मत नहीं हुई कि उस को रोकने के लिये जान की बाजी लगा दे और वह उस को रोक न सके, तो अपनी जान दे दे। जब यह नारकीय दृश्य आसाम में उपस्थित हो रहा था, जिस का वर्णन किसी भी भाषा के शब्द नहीं कर सकते,—किसी भी भाषा के शब्द हमारी शर्म का अच्छी तरह से प्रकट नहीं कर सकते—उस समय किसी भी राजनैतिक पार्टी के किसी कार्यकर्त्ता को उससे चोट नहीं आई। जान जाना तो दूर रहा। आखिर यह सब क्या हो रहा?

एक दूसरी बात मुझे याद आती है। वह बंगाल में राष्ट्रीय सरकार नहीं थी, श्री हसन शहीद सुहरावर्दी की सरकार थी, आजादी से पहले का जमाना था, उस वक्त भी वहां हिन्दू-मुस्लिम दंगों की इस तरह की बात उठी थी। राष्ट्र-पिता उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने नोआखली में जा कर दोनों

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्गों, दोनों मजहबों के लोगों की भावनाओं में सामंजस्य स्थापित किया था। मुझे लगता है कि आज देश में कोई ऐसा आदमी नहीं है, जो आसाम में जा कर इस तरह की बात करे। आखिर हमारे देश को क्या हो गया है ? हम कहां जा रहे हैं हम बहुत बात करते हैं आसामी-भाषी लोगों की और बंगाली-भाषी लोगों की, लेकिन कोई हिन्दुस्तानी-भाषी लोग भी इस मुल्क में है या नहीं, यह प्रश्न है मुल्क के सामने। यहां पर भारतीयता है या नहीं, यह प्रश्न मुल्क के सामने है। अगर हम सिर्फ आसामी या बंगाली बन कर रहेंगे, तो इस से काम चलने वाला नहीं है।

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जो कुछ आसाम में हुआ है, उस के लिए न सिर्फ प्रान्तीय सरकार ज़िम्मेदार है, बल्कि उस के लिए केन्द्रीय सरकार भी बहुत बड़े रूप में ज़िम्मेदार है। अगर केन्द्रीय सरकार ने अपने उत्तरदायित्व को निबाहा होता, यदि उस ने अपने कर्तव्य का पालन किया होता, तो मेरा विश्वास है कि आसाम में यह सब न होता। लेकिन केन्द्रीय सरकार तो कुछ अक्ल सिखाती है लोगों को। प्रधान मंत्री महोदय कहते हैं कि काश्मीर में कोई कांफरेंस न की जाये, लेकिन यह कहने के बाद वह खुद वहां जाते हैं अपनी तपन को दूर करने के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए और काश्मीर का आनन्द लूटने के लिए। इसी लिये आसाम के वित्त मंत्री की हिम्मत होती है वहां जाने की। और अगर वित्त मंत्री वहां जाते हैं, तो मुख्य सचिव क्यों नहीं जायेगा ? दोनों साहब हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे प्रशासन का ढंग ही बिगड़ गया है और आसाम में जो कुछ हुआ है, उस की सब से बड़ी ज़िम्मेदारी उसी पर है। आसाम में जो कुछ हुआ है, उस के कारणों और उस की पृष्ठभूमि की जांच तुरन्त की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में उस की पुनरावृत्ति न हो सके। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के मातहत कोई इस तरह की कमेटी, बोर्ड या ट्राइब्यूनल बनाया जाये, जो जांच कर के सारे मुल्क के सामने इन तथ्यों को रखे। प्रश्न सिर्फ़ यह नहीं है कि चूंकि आसाम के बंगाली भाषी यह चाहते हैं, या हमारे बंगाल के मित्र यह चाहते हैं, इसलिए यह जांच की जाये। इस सारी घटना में मुझे जो अफ़सोस होता है, वह यह देख कर होता है कि हमारे बंगाल के मित्र और बंगाल की असेम्बली तक इस प्रश्न को सिर्फ़ बंगालिषों और असामियों का प्रश्न बना देना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न आसामियों और बंगालियों का नहीं है, यह प्रश्न भारतीयों का है और भारतीयता का है।

इस सन्दर्भ में मैं ने अखबार में जो कुछ पढ़ा है, उस से मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। कहा जाता है कि कल वैस्ट बंगाल असेम्बली में ऐसे प्रस्ताव पर बहस हुई। वह बहस वहां पर हो सकती थी, या नहीं, इस में मैं नहीं जाना चाहता हूं। इस विषय में भावनायें उभरी हुई हैं, इस लिए सम्भवत: वैस्ट बंगाल असेम्बली ने इस प्रश्न पर बहस की। लेकिन उस वक्त जो एक भाषण दिया गया, उस को देख कर मुझे लगता है कि हम सारी भारतीयता को नष्ट कर रहे हैं, अपने देश की एकता को नष्ट कर रहे हैं। मैं टाइम्ज आफ इंडिया में से कोट कर रहा हूं :

> "संकल्प का समर्थन करने वाले नौ विरोधी सदस्यों ने प्रधान मंत्री के कल संसद् में दिये भाषण की कटु आलोचना की"

अगर श्री जवाहरलाल जी अपने परसों के भाषण में, जो कुछ उन्होंने कल कहा, उस का इंडिकेशन कर देते, तो सम्भवत: वैस्ट बंगाल असेम्बली में यह भाषण न होता। आखिर सब मामलों को बिगाड़ते तो यही लोग हैं। फिर कहा गया है :

> "और साम्यवादी दल के नेता श्री ज्योति बसु ने डा० राय से अनुरोध किया कि यदि संकल्प अस्वीकार कर दिया जाता है तो केन्द्र की हिदायतों के अनुसार प्रशासन न चलायें।"

[श्री ब्रजराज सिंह]

मुझे यह देख कर शर्म आती है कि हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में इस तरह की बात कही जा सकती है कि एक सूबा, एक राज्य भारत की एकता से अलग हो कर कोई नया शासन बनाये, कोई आज़ादी की बात करे। अगर मुझे अंग्रेज़ी का थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो मुझे तो इस भाषण से इसी तरह की बदबू आती है। अगर इस में यह भावना न हो, तो मैं इस का स्वागत करूंगा, लेकिन कम से कम यह बदबू आती है। इस तरह की बदबू पैदा करने की क्यों कोशिश होती है ?

इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि आसाम में पच्चीस तीस साल पहले एक आन्दोलन चला, जिस को भूमि-पुत्र आन्दोलन कहा गया, **सन्ज़ आफ़ दि सायल मूवमेंट** कहा गया। उस आन्दोलन की प्रतिक्रिया या नकल पश्चिमी बंगाल में हुई। बिहार के कुछ हिस्सों में भी इस तरह का आन्दोलन चला है कि कुछ लोग भूमि-पुत्र हैं और दूसरे नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो दूसरे लोग वहां रहते हैं, क्या वे भूमि-पुत्र नहीं हैं, क्या वे भारत के पुत्र नहीं हैं ? क्या वे आकाश-पुत्र हैं ? कुछ लोगों को **सन्ज़ आफ़ दि सायल** कहा जाता है, तो क्या दूसरे लोग सन्ज़ **सन्ज़ आफ़ दि स्काई** हैं ?

[**श्री जगन्नाथ राव** पीठासीन हुए]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आसाम में जो कुछ हुआ है, वह पच्चीस तीस साल से चलने वाले उस भूमि-पुत्र आन्दोलन की वजह से हुआ है।

मेरे मित्र, श्री गुह, ने किसी कविता का उद्धरण दिया, जिस के बारे में कहा जाता है कि आसाम की सरकार ने उस को स्कूलों में पढ़ाने के लिए, या किसी और बात के लिए मन्ज़ूर किया हुआ है। लेकिन अगर न भी मन्ज़ूर किया हो, तो भी अगर आसाम में इस तरह की कविता का प्रचार होता है, जो **बंगाल खेडा मूवमेंट** को प्रोत्साहन देती है, इस आन्दोलन को प्रोत्साहन देती है कि आसाम से बंगाली, या गैर-आसामी, निकल जायें, तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उस के नतीजे ये निकल रहे हैं कि आसाम में इतनी बड़ी ज़बर्दस्त ट्रैजेडी हुई, हमारे मस्तक पर इतना बड़ा कलंक का टीका लगा कि केवल जानें ही नहीं गईं, बल्कि हमारी माताओं और बहनों की इज्ज़त ली गई।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : जो मुग़लों और अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं हुआ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी ऐसी बात नहीं हुई, बल्कि अपनी माताओं-बहनों की इज्ज़त के लिए लोगों ने जानें दे दीं। हमारा इतिहास यह बताता है कि हमारी देवियां, महिलायें, बहनें जौहर करती थीं, अपने प्राण न्यौछावर कर देती थीं कि कहीं उनकी इज्ज़त न चली जाये। और आज हम अपने हाथों से अपनी माताओं-बहनों की इज्ज़त ले रहे हैं। आखिर हम कहां जा रहे हैं ? भूमि-पुत्र आन्दोलन, **सन्ज़ आफ दि सायल मूवमेंट** का यह नतीजा है।

मुझे बताया गया है कि गौहाटी रिफ़ाइनरी में ४०० एम्पलाईज़ में से सिर्फ़ ४० बंगाली हैं। मैं कहता हूं कि ४० क्या, अगर ४०० भी बंगाली हों, तो क्या जुर्म है ? आसाम के एडमिनिस्ट्रेशन में २० परसेंट, या १० या ४० परसेंट भी बंगाली-भाषी हों, यह कोई दलील की बात है ? इस तरह की दलील का कोई सवाल नहीं है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं जा सकता है और रह सकता है और उस को नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार कुछ गल्तियां कर रही है। वह इस तरह की नीतियां तय करती है कि जो

†मूल अंग्रेज़ी में

केन्द्रीय सरकार की तरफ से चलने वाले कार्य हैं, उन में इतने लोग लोकल रहेंगे और इतने शेष भारत से लिये जा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बात बंगाल खेदा मूवमेंट या भूमि-पुत्र आन्दोलन को जन्म देती हैं, और उस से मुल्क की एकता नष्ट होती है। आखिर यह मुल्क कहां जा रहा है ? क्या मुल्क में कोई है गांधी जी जैसा, क्या मुल्क में कोई है गणेश शंकर विद्यार्थी जैसा, जो मुल्क की एकता के लिये अपनी जान देने को तैयार हो ? मुझे खुशी हुई होती अगर ३८ आदमियों के मरने से देश में एकता हो जाती। वे सब भारतीय थे। मैं पूछना चाहता हूं कि चाहे आसामी भाषी हों चाहे बंगाली भाषी हों वे लोग, कोई व्यक्ति क्यों नहीं मर गया उन की जान बचाने के लिये ? आज देश का पतन हो रहा है कि हम किसी की जान बचाने के लिये अपनी जान नहीं दे सकते, हम सिर्फ दूसरे की जान ले सकते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि भूमि-पुत्र आन्दोलन के बाद अगर उसे रोका नहीं जाता है तो इस से केवल असम के लोगों की ही नहीं बंगाल की भी हानि होने वाली है। असम में जो कुछ हुआ उस की प्रतिक्रिया पश्चिमी बंगाल में भी हुई। मैं नहीं कहता कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उसे रोकने की कोशिश उस ने की है, लेकिन जो कुछ हुआ है उस के सारे तथ्य मुल्क के सामने नहीं आये। यह मौका भी ऐसा नहीं है कि वह सामने लाये जाये और तथ्यों को सामने प्रकट कर के यहां पर भावनायें भड़काई जायें। मैं चाहता हूं कि शांति हो और एक दूसरे के लिये प्रेम पैदा हो, देश की एकता कायम हो। लेकिन इस भूमि पुत्र आन्दोलन की प्रतिक्रिया यहां भी हो सकती है। किस के लिये यह भूमि-पुत्र आन्दोलन ? आचार्य कृपालानी ने सही बात कही, वे आजादी के सिपाही रहे हैं, वे पुरानी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने तजुर्बा लिया है, कि थोड़े से लोग हैं पढ़े लिखे जो अपनी नौकरियों के लिये, या लोगों के लिये बिजिनेस मिल जाय, इस के लिये सारे आन्दोलन चलाते हैं। मुझे विश्वास है कि ब्रह्मपुत्र वैली में ९९ फी सदी लोग झगड़ा करने वाले नहीं रहे होंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि ९९ फी सदी लोगों को नेतृत्व देने वाला कोई ऐसा आदमी नहीं निकला जो जिन लोगों को राउडी एलिमेंट या गुंडा एलिमेंट कहा जाता है उन को रोकने की कोशिश करता और अगर रोक नहीं सकता था तो अपनी जान दे देता। यह सब से बड़ी दुःख की बात है।

वही बात पश्चिमी बंगाल में आती है। वहां पर उस मारवाड़ी वर्ग के बारे में जिसके लिये मुझ जैसा आदमी हमेशा कहता रहा है, और फिर कहेगा, कि पश्चिमी बंगाल की असेम्बली में इस तरह की बात कही जाने के बजाय अगर श्री ज्योति बसु यह कहते कि पश्चिमी बंगाल में जितनी मारवाड़ी पूंजी है, उस का नैशनलाइजेशन कर दो, तो मुझे खुशी होती। लेकिन वे कहने के लिये तैयार नहीं कि मारवाड़ी पूंजी का राष्ट्रीयकरण कर दो, जिसकी वजह से दिक्कत पैदा हो रही है। पहले पश्चिमी बंगाल असेम्बली में एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें बार बार लोगों ने कहा कि "हिन्दी साम्राज्यवाद" चलता है। मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा कि "हिन्दी साम्राज्यवाद" किसे कहते हैं, लेकिन अगर ७ लाख हिन्दी भाषी मेहतर पश्चिमी बंगाल में काम न करें, तो मैं नहीं जानता क्या हो जायेगा फिर भी मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि भूमि पुत्र आन्दोलन की वजह से असम में जो कुछ हुआ, पश्चिमी बंगाल में उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। इसके लिये कोई जिम्मेदार हो या न हो, लेकिन हो सकती है। इसलिये इस डिबेट में मैं जोरदार शब्दों में यह मांग करता हूं कि इस मामले में टाल मटोल की कोशिश न की जाय, "एप्रोप्रियट टाइम" की बात न की जाय, जो कुछ हुआ है उसकी तुरन्त जांच पड़ताल हो और जांच पड़ताल होकर जो लोग इसके जिम्मेदार हो सकते हैं उनको जो सजा मिल सकती हो वह मिले।

जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, मुझे तो ताज्जुब होता है, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट को मार रहा है, पी० एस० पी० वाला पी० एस० पी० वाले को मार रहा है, कांग्रेस वाला कांग्रेस वाले

[श्री ब्रजराज सिंह]

को मार रहा है। केन्द्रीय सरकार कांग्रेस पार्टी की है। सारे देश में यही राजनीतिक पार्टी है जिसकी नीति असम में कुछ है, पश्चिमी बंगाल में कुछ और है, उत्तर प्रदेश में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है। इस तरह से राजनीति नहीं चला करती है। मैं कहना चाहता हूं कि हम सारी राजनीति भूल गये हैं, हमने राष्ट्रीयपन को छोड़ दिया है, हम सम्भवतः बंगाल और आसाम के रह गये हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के रह गये हैं, हम देश के नहीं रहे।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज के डिबेट से हम देश के लिये एक सबक दें आज मुल्क में कुछ लोग ऐसे पदा हों जो गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे हों जो देश के लिये अपनी जान दे सकते हों, जो महात्मा गांधी जैसे हों, जो हसन शहीद सुहरावर्दी के शासन में भी बंगाल में जाकर शान्ति स्थापित कर सकते थे। आज सारे मुल्क में उसी पार्टी की सरकारें हैं जो कि केन्द्र में सत्तारूढ़ है, आप की पार्टी की ही सरकार असम में है। जब भी कुछ कहा जाता है तो असमर्थता प्रकट की जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ? करना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले की तुरन्त जांच हो और भूमि पत्र आन्दोलन पर, जो कहता है कि असम असमियों के लिये, बंगाल बंगालियों के लिये, उड़ीसा उड़ियों के लिये, बिहार बिहारियों के लिये, रोक लगाई जाय जिससे हम प्राविंशलिस्ट बनने के बजाय सारे हिन्दुस्तान के बन सकें। मुझे अफसोस है कि हम एक तरफ से आज प्राविंशलिस्ट बनने की कोशिश करते हैं और दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय बन जाते हैं, इंटरनैशनल बन जाते हैं। लेकिन हम हिन्दुस्तानी हैं या नहीं, इस को देखने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। मुझे आशा है कि यह सदन, सरकार और मुल्क जो नारकीय दृश्य हो रहे हैं असम में, उससे सबक लेंगे और इस तरह के दृश्य भविष्य में न दोहराये जायेंगे। और जो खराबियां हैं भूमि पुत्र आन्दोलन में और दूसरी तरह की खराबियां जिन से सूबे सूबे के लिये हो जाते हैं, भविष्य में न होंगे, वर्ना मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश का भविष्य अच्छा नहीं है। हम सब इस देश के निवासी हैं इसलिये इसे बचाने के लिये जितनी गलतियां हो रही हैं, उनको तुरन्त रोकें, नहीं तो हम गांधी के शिष्य कहलाने के हकदार नहीं होंगे।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया) : आसाम की समस्या शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने की समस्या नहीं है। न्यायिक जांच से हम दो भाषा भाषी वर्गों में मैत्री भाव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।

मैं तो यह समझता हूं कि यदि भारत को स्वतन्त्र अखण्ड राज्य के रूप में रखना है तो हमें यहां पर एकीय शासन की स्थापना करनी चाहिये और इस सम्बन्ध में पहला कदम यह उठाया जाना चाहिये कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम को मिला कर एक राज्य बना दिया जाये।

†**पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश** (शिवपुरी) : सभापति महोदय, असम और बंगाल के सम्बन्ध में दो दिन से बराबर यहां पर हमारे बन्धु अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और संसदीय दल भी असम का दौरा करके अपना मेमोरैण्डम सदन के सामने प्रस्तुत कर चुका है। प्रधान मन्त्री महोदय और गृह मन्त्री महोदय ने भी अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि असम प्रदेश से आने वाले हमारे बन्धुओं और बंगाल प्रदेश से आने वाले बन्धुओं को सन्तोष हो जाना चाहिये कि स्थिति पर अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। मैं समझता हूं कि शासन की स्थिति को अपने हाथ में लेने के लिये जो करना चाहिये उसके लिये वह सन्नद्ध है, तत्पर है और कटिबद्ध है। यह प्रभाव हमारे मन पर आया है और इस कारण हमें बड़ा सन्तोष हुआ है। असम से लौटते समय मेरे हृदय की

स्थिति उतनी ठीक नहीं थी जितनी इन भाषणों को सुनने के पश्चात् हो गई है। परन्तु वहां की वास्तविक स्थिति क्या है इससे सदन अभी पूर्ण रूपेण अवगत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। मैं उसे देख कर आया हूं। इतना तो निश्चित है कि असमी और बंगाली के बीच में इतनी घोर घृणा का निर्माण हुआ है जिसकी कल्पना हमारे बन्धु इस सदन में नहीं कर सकते। इतनी भयानक दुर्घटना हुई जिसने सारे संसार के सामने हमारा मुख रंजित कर दिया। जो देश संसार को पंचशील का उपदेश देता है और सत्य तथा अहिंसा के आधार पर ही मरने जूझने के लिये खड़ा हुआ है, स्वतन्त्र होने के पश्चात् वही देश अपने बन्धु बान्धुवों के साथ इस प्रकार का बर्ताव करेगा, इस की कल्पना संसार में कोई नहीं कर सकता। हमें अपने स्वरूप को पहचानना होगा। कोई भी इस प्रकार की बुराइयां करता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, किसी जाति से आता हो, किसी प्रदेश से आता हो, अगर वह इस देश का निवासी है तो इस प्रकार का अपराध कर के छोड़ा नहीं जा सकता। मैं कितना भी भावावेश में क्यों न होऊं, किसी भी प्रकार का वह भाव क्यों न हो, लेकिन वह भाव जिस भूमि पर उत्पन्न हो रहा है उस भूमि को ध्वस्त नहीं कर सकता। इस प्रकार के भाव को नहीं खड़ा होने दिया जा सकता कि जिस भूमि पर उत्पन्न हो उसी को ध्वस्त करे। इस प्रकार के भाव को समाप्त किया जाना चाहिये। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति देश के अन्दर कन्धे से कन्धा भिड़ा कर खड़ा रहेगा अपने महान् लोगों के साथ, अपने आदर्श पुरुषों के साथ, अपने शासन के सामने जाकर अपनी आपत्ति रखेगा परन्तु उनके मार्ग में कंटक पैदा नहीं करेगा। जब शत्रु आक्रमण करने के लिये तैयार हो तब अपने ही घर में जो इस तरह की उलझनें उत्पन्न करता है उससे अधिक राष्ट्र का शत्रु और कौन हो सकता है।

प्रधान मन्त्री महोदय कहीं ख्रुश्चेव, कहीं आइजनहोवर और कहीं मैकमिलन के मस्तिष्क को टटोलने में उलझे हुए हैं, और यहां आसामी और बंगाली कहते हैं कि हम दोनों लड़ कर मरेंगे। यह प्रधान मन्त्री के लिये सहयोग है ? यह सहकार है ? यह अपनी सरकार है। अपने शासन के साथ देश इस प्रकार का व्यवहार क्यों करता है। देश ने शासन के साथ कोआपरेट करना चाहिये। सहयोग करना चाहिये, चाहे वह देश का सिटीजन हो या वह शासनारूढ़ हो, चाहे वह शासन की गद्दी पर बैठा हो। यह हर व्यक्ति की रेसपांसिबिलिटी है। और जो गद्दी पर बैठने वाला है उसका उत्तरदायित्व साधारण नागरिक से अधिक है क्योंकि उसको नागरिक से ऊंचा पद प्राप्त हो गया है।

हम देखते हैं कि देश के प्रान्त प्रान्त में शासन को दुर्बल और निर्बल बनाने के लिये षडयन्त्र चल रहे हैं। मैं किस भी दल या पार्टी का होऊं इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं अनेक बार सदन में यह कह चुका हूं कि जब हम सदन में बोलें तो इस तरह बोलना चाहिये कि हम अपने घर में बोल रहे हैं। यह सदन हमारा घर है। इस सदन में अगर हम यह भाव रख कर बोलें कि दूसरी पार्टियों को दो बातें सुना कर लज्जित कर सकें, तो यह तो स्वयं हमारे लिये ही लज्जा की बात होगी। यह घर तो अपना है। हमने आत्मीयता के साथ अपने विचारों को सदन के सामने रखना चाहिये और सदन को उसी आत्मीयता से उनको सुनना चाहिये। किसी को चिढ़ाने का, कुढ़ाने का, विचार फैलाने का या फिर अखबारों की तरफ देखने का यह स्थान नहीं है।

यह एक बुरी आदत पड़ गयी है, सबसे अधिक नेताओं में, कि यदि वह अखबारों में अपना नाम छपा देख लेते हैं तो उनको लगता है जैसे हम तर गए, और अगर उनका फोटो अखबारों में छप जाता है तो ऐसा अनुभव करते हैं मानों उनके पुरखा तर गए। यह जो प्रवृति है कि प्रातःकाल चाय आते ही बराबर देखते हैं कि अखबार में हमारा नाम छपा है या नहीं, यह कौनसी कल्याणकारी प्रवृत्ति है। आया या नहीं, दिया या नहीं, इससे क्या ? इस नेतागिरी के चक्कर में बहुत लोग आये हुए हैं। उनको यहां तक स्वार्थ समाया है, और उनमें यहां तक यशलिप्सा, धन लिप्सा और पद लिप्सा घर कर गयी है कि वह यह नहीं देखते कि हम एक कार्य को करने के लिये क्या पग बढ़ा रहे हैं, हम कौनसा कार्य कर रहे हैं।

[पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश]

आसाम में इस प्रकार की स्थिति को बढ़ने का अवसर मिला यह केन्द्र की ही भूल है । केन्द्र उलझा है अनेक बातों में, केन्द्र को आसाम की ओर जितनी जागरूकता रखनी चाहिये थी वह उसने नहीं रखी । वहां पर यह स्थिति धीरे धीरे वृद्धि पाती रही और अन्त में इतने भयावह रूप में प्रकट हुई उसको पहले ही सावधानी के साथ पकड़ कर ठीक किया जाना चाहिये था । किन्तु केन्द्र दीर्घकाल से उन्माद की अवस्था में पड़ा था । ऐसा लगता है कि जैसे वह अभी नींद से उठा है और आंखें मल रहा है और उसे पता नहीं है कि पूरा प्रातःकाल हुआ है या नहीं । इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं और शासन सोता है । आसाम में यह झगड़ा पहली बार नहीं हुआ है, दो बार और हो चुका है ।

अब यह भाषा का झगड़ा है । सभापति महोदय, सन् १९४७ में जब श्री गोपीनाथ बारदोलाई ने यह कहा कि—आसाम फार आसामीज़—उस समय गांधी जी सावधान हुए थे । उन्होंने कहा कि यह नारा ठीक नहीं है । इस को अभी रोका जाना चाहिये । आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब प्रान्त भारतवर्ष के हैं और भारतवर्ष के लिये हैं । यह भावना नहीं होनी चाहिये कि मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश वालों के लिये है । मध्य प्रदेश में प्रत्येक भारतीय का अधिकार है । प्रत्येक आसामी का बंगाल पर उतना ही अधिकार है जितना कि किसी बंगाली का आसाम पर । आसाम और बंगाल दो नहीं हैं । आसाम और बंगाल के दो करने के लिये कोई तृतीय शक्ति काम कर रही है, और वह शक्ति है पाकिस्तान। पाकिस्तान का निर्माण हम ने नहीं किया है। घबराना नहीं चाहिये । जब मैं पाकिस्तान का नाम लेता हूं तो हमारे कुछ बन्धु एसे रुष्ट और क्षुब्ध हो जाते हैं जैसे वह उन का लाडला बेटा हो । ठीक है, आप पाकिस्तान से बातचीत कीजिये, समझौते कीजिये, उस को समझाइये, बुझाइये, परन्तु वस्तुस्थिति को तो हमें ठीक प्रकार प्रकट कर लेने दीजिये, हम को अपने हृदय के भाव तो प्रकट करने का अवसर दीजिये । हमारे प्रधान मंत्री पाकिस्तान के साथ इतनी सज्जनता का व्यवहार कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान अपने जाल बिछाये हुए है । पाकिस्तान बराबर वहां खदेड़ खदेड़ कर पाकिस्तानी प्रवृत्ति को भेज रहा है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** (जोरहाट) : आसाम की स्थिति पर बोलते हुए वह पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं क्या यह उचित है ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है । उस के साथ जैसी ममता हमारी सम्माननीया बाहन सदस्या को है, वैसा ही सम्मान मेरे मन में भी पाकिस्तान के लिये है । मैं कोई दुर्भावना से नहीं बोल रहा हूं । मैं तो उस दुर्भाव का वर्णन कर रहा हूं कि जोकि पाकिस्तान के लिये भी घातक है । सम्भव है कि भय के मारे पाकिस्तान के लोग उस को कह न सकते हों क्योंकि वहां पर अय्यूब खां का शासन है और सैन्य राज्य है, वहां डिमाक्रेसी और प्रजातंत्र खत्म हो गया है । और इस प्रकार की प्रवृत्ति को जल्दी दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । आज देश में इस प्रकार की गुंडा गर्दी चल रही है कि घर वाले ही अपने घरों को जला रहे हैं ।

अपने घर में आग लगा कर फाग खेलते हैं मतवाले
और कौन कर सकता है दुनिया में ऐसे करतब काले ।

आज लोग अपने घर में आग लगा कर फाग खेल रहे हैं । यह प्रवृत्ति वहां से आई है । संख्या वहां बढ़ गई है और उस के बाद बंगाली और आसामी की भावना को जन्म दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझ से रुष्ट नहीं होना चाहिये बंगाली बन्धुओं को। इस में सन्देह नहीं कि बंगली बुद्धिमान हैं, योग्य हैं। हिन्तुस्तान में उस ने लड़ाई लड़ी। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि उन को दूसरों को छोटे की भावना से नहीं देखना चाहिये। कहीं कहीं यह भाव प्रकट किया जाता है। यह प्रान्तीयता है। यह प्रान्तीयता नहीं होनी चाहिये। यह भाव नहीं होना चाहिये कि हम अलग हैं, बंगाली अलग हैं और आसामी अलग हैं। बंगाली और आसामी दोनों एक हैं यह भाव होना चाहिये, और इस समय आसामी के मन में त्याग की भावना की आवश्यकता है। उस को सब से पहले त्याग करना पड़ेगा। इस भावना को पैदा करने में शासन को भी प्रयत्न करना पड़ेगा। केवल उपदेश से रिहैबिलिटेशन नहीं होगा। इतनी जोर की घृणा निर्माण हुई है कि उस को बड़ी सावधानी के साथ पकड़ना होगा बातों से काम चलने वाला नहीं है, अन्यथा स्थिति और भी भयावह हो सकती है, क्योंकि इस का रिएक्शन बंगाल पर होने वाला है, बंगाल का रिएक्शन बिहार पर होने वाला है और फिर यह रिएक्शन आगे बढ़ता जायगा। यह सिविल वार का षड्यंत्र राष्ट्र के शत्रु भीतर ही भीतर कर रहे हैं। इस से अत्यन्त सावधान होने की आवश्यकता है।

मैं निवेदन करूंगा कि बंगालियों को एक अच्छे नेताओं का दल बना कर आसाम भेजना चाहिये जोकि जा कर लोगों को समझायें और आसामियों को चाहिये कि वह बंगालियों को बुला बुला कर अपने यहां रखें। इस में केन्द्रीय सरकार को भी सहयोग करना चाहिये। इस काम में जनता और शासन दोनों को ही प्रयत्न करना होगा तब वहां युद्ध वायुमंडल पैदा होगा और तब हम उस पाकिस्तानी प्रवृत्ति को जो आसाम को पाकिस्तान की तरफ ले जाने के लिये जाल बिछाये है, चैक कर सकेंगे क्योंकि वह प्रवृत्ति वहां व्याप्त हो गई है। इस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि जिन्हों ने अपराध किये हैं उन को दंडित किया जाना चाहिये चाहे वे कितने ही बड़े बड़े पदों पर क्यों न हों। मैं तो कहता हूं कि चाहे वह शासन के पद पर क्यों न हों, अगर उन से भूल हुई है तो उन को तत्काल दंडित किया जाना चाहिये। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि देश में प्रत्येक प्रान्त में लोगों को यह विश्वास हो जाय कि हमारी केन्द्रीय सरकार सन्नद्ध है और कटिबद्ध है कि देश के किसी भी भाग में अराजकता को, अनाचार को, दुराचार को और अत्याचार को प्रश्रय नहीं मिलेगा। शासन तत्काल उस का दमन करेगा, ऐसा विश्वास सब लोगों को होना चाहिये। यह देश का प्रश्न है।

†**डा० कृष्ण स्वामी** (चिंगलपट) : श्रीमान्, आसाम और बंगाल में जो घटनायें हुई हैं वह बड़ी दुखद हैं और ऐसी घटनायें हमारे देश में नहीं होनी चाहियें। हमें इस प्रकार की घटनाओं के घटित होने के कारणों को जानना आवश्यक है।

मैं तो इस का कारण यह समझता हूं कि भारतीय पुरातन पंथी समाज में इस प्रकार की भावना है कि वह बाहरी व्यक्ति को अपने यहां देखते हुए चिढ़ जाते हैं क्योंकि वह यह समझने लगते हैं कि यह व्यक्ति हमारी प्रगति में बाधक होगा। इसीलिये वह बाहरी व्यक्ति पर नागरिकता तथा भाषा सम्बन्धी नियंत्रण लगा देते हैं। हमें भारत की एकता को बनाये रखने के लिये इस प्रकार की भावना को मिटाना है और ऐसा दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो निर्बलों को सबल बना कर तथा दूसरे वस्तुओं और व्यक्तियों को भारत में कहीं पर भी लाने ले जाने की स्वतंत्रता दे कर। परन्तु इन तेरह वर्षों में हम ने वस्तुओं तथा व्यक्तियों के आने जाने पर नियंत्रण लगा कर ऐसी भावना को जन्म दिया है कि बाहरी लोगों के आ जाने पर राज्य का आर्थिक विकास रुक जायेगा। हमें प्रयत्न करना चाहिये कि इस प्रकार की भावना देश में न फैलने पाये और सभी मिल जुल कर रहें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० कृष्णा स्वामी]

श्री अजित प्रसाद जैन समिति ने भाषा समस्या के बारे में बताया । मेरा ऐसा विचार नहीं है कि भाषावार राज्य बनाने से कोई हानि होने वाली है । परन्तु यह अवश्य समझता हूं कि एक राज्य में एक प्रादेशिक भाषा को अधिक महत्व देना तथा दूसरी को बुरी बताना ग़लत बात है । आज के भाषणों में भी ऐसी बात देखने में आई है जैसे माननीय सदस्यों ने जनगणना के आंकड़ों को बता कर यह बताने का प्रयत्न किया है कि एक भाषा भाषियों की संख्या दूसरे भाषा भाषियों की संख्या से बढ़ गई है । हमें अल्प संख्यकों में ऐसी भावना नहीं उत्पन्न करनी चाहिये जिस से उन्हें यह शंका हो जाये कि कम संख्या में होने के कारण उन पर आपत्ति आ सकती है । यह देश की एकता के लिये हानिकर होगा और देश की एकता बनाये रखने के लिये मैं समझता हूं कि यदि हम अर्ध अंग्रेज़ी भाषा में ही अपना काम करते रहें तो ठीक होगा ।

मेरे माननीय मित्र गृह-कार्य मंत्री ने आज बताया कि आसाम में जो कुछ हुआ वह प्रशासनिक असफलता के कारण हुआ । मेरा सुझाव है कि केवल आसाम और बंगाल का ही नहीं अपितु समस्त देश की प्रशासनिक व्यवस्था की जांच की जानी चाहिये क्योंकि मेरी राय में देश का पूरा शासन ही अस्त व्यस्त है ।

माननीय विधि मंत्री ने कहा कि संसद् का पहला काम अब यह है कि शरणार्थियों को पुनर्वासित करने की सिफारिश करें । इस के बारे में मेरा सुझाव है कि शरणार्थियों का पुनर्वास करने के साथ साथ यह आवश्यक है कि हम शरणार्थियों तथा स्थानीय निवासियों में भातृभाव पैदा करें जिस से वह शांति से मिल जुल कर रह सकें ।

इस प्रकार की बातें अन्य देशों में भी हुई हैं इसलिये इन से घबराने की कोई बात नहीं है । अमरीका में १८८० से १९११ तक विश्व के विभिन्न भागों से लोग आये और वहां पर प्रशासनिक कार्यवाहियों के द्वारा पुराने निवासियों तथा नये निवासियों में आपसी भेदभाव दूर कर दिये गये । मेरा यही अन्त में कहना है कि कृपा कर के माननीय गृह मंत्री देश के ज़िलों के प्रशासन की जांच करायें और वहां की व्यवस्था को ठीक करें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : माननीय गृह-कार्य मंत्री के भाषण को सुन कर मुझे निराशा हुई क्योंकि वह आसाम में राष्ट्रपति का शासन लागू न करने के बारे में बताते रहें और उन्हों ने जो बातें मेरे दल के श्री वासुदेवन् नायर तथा डा० राज बहादुर गौड़ ने पूछीं उन का उत्तर नहीं दिया । यह दोनों व्यक्ति २२ जुलाई को ही आसाम घूम कर आये हैं और दोनों ने ही यह पूछा था कि वहां पर केन्द्रीय सरकार ने शीघ्रता से कोई कार्यवाही क्यों नहीं की थी । इस के उत्तर में प्रधान मंत्री ने अवश्य बताया कि सैनिकों को शीघ्रता से वहां भेजा गया था परन्तु संभव है कि सैनिक इन स्थानों पर जा कर लौट आये हों क्योंकि इन दोनों माननीय सदस्यों ने गोरेश्वर तथा रोहा में एक भी सैनिक नहीं देखा । अतः स्पष्ट हो जाता है कि हमारे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने यह भी नहीं बताया कि केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग उस समय क्या कर रहा था। मैंने समाचारत्रों में पढ़ा है कि १ जून को आई० जी० ने एक सर्कुलर निकाला था जिस में कहा गया था कि स्थिति बड़ी गंभीर है परन्तु माननीय मंत्री का कहना है कि जून के तीसरे सप्ताह में राज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि हालत सुधर गई है । मैं उन का ध्यान उन प्रश्नों के उत्तरों की ओर दिलाती हूं जिन में उन्हों ने स्वयं स्वीकार किया है कि रेलवे, विमान, डाक तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

तार सेवायें समाप्त कर दी गई थीं। मैं नहीं जानती कि इतनी शीघ्रता से वहां की स्थिति सामान्य किस प्रकार हो गई।

प्रधान मंत्री ने अपील की है कि हमें श्री चालिहा की मदद करनी चाहिये क्योंकि वही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो स्थिति पर काबू पा सकते हैं। मेरा उन से यही कहना है कि यदि वह चाहते हैं कि इस समस्या का सही हल निकले तो इन घटनाओं की न्यायिक जांच करायें जिस से 'बंगाल खेड़ा आन्दोलन' के कारणों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी हो सके।

आज देखने में आता है कि लगभग सभी राज्यों में अल्पसंख्यकों की समस्या सामने है। बंगाल में नैपालियों की समस्या है। बिहार उड़ीसा में बंगालियों की समस्या है। दक्षिण भारत के लोग भी कहते हैं कि कलकत्ते में रहना बड़ा कठिन है। इस प्रकार की भावनायें देश में प्रचलित हैं।

श्रीमान श्री बारदोली तो इस संसार में अब नहीं रहे इसलिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती परन्तु उनके नाम पर श्री प्र० चं० बरुआ ने यह कहा है कि 'आसाम आसामी भाषाभाषियों के लिए है' मुझे इसी वाक्य की चिन्ता है। इसके अतिरिक्त सर अकबर हैदरी ने १९४७ में विधान सभा में कहा था कि आसामवासियों को अब बंगालियों से नहीं डरना चाहिए क्योंकि अब उनकी अपनी सरकार आसाम में बन रही है।

हम चाहते हैं कि यह जो द्वेष भावना वहां की जनता में सरकार द्वारा उत्पन्न की जा रही है इसकी जांच की जानी चाहिए। और यह जांच शीघ्र होनी चाहिए और हमें बताया जाना चाहिए कि किन स्थानों पर तथा किन निर्देश पदों के आधार पर जांच होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम बंगाली ही आसाम की घटनाओं में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि हमें बंगालियों की नहीं अपितु बंगाल में रहने वाले अल्पसंख्यकों की चिन्ता है। मैं सभा को बताना चाहती हूं कि १५ और १६ तारीख को हम ने प्रत्येक मोहल्ले में इसका ध्यान रखा कि कोई गड़बड़ी न हो। इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं हुई। और इसको भविष्य में रोकने के लिए आवश्यक हो जाता है कि सरकार इन घटनाओं की न्यायिक जांच कराये।

†डा० सुशीला नायर (झांसी) : आरंभ में मैं बंगाल सरकार तथा वहां के निवासियों को बधाई देती हूं कि उन्होंने आसाम से बंगाल में आये हुए शरणार्थियों से घटनाओं का हाल सुन कर वहां की स्थिति संभाले रखी। मुझे इन दंगों में यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आसाम में मुसलमानों ने हमलावरों से टक्कर ले कर बहुत से बंगाली भाषाभाषी आसमवासियों की रक्षा की। यह बड़ा अच्छा परिवर्तन है क्योंकि साम्प्रदायिकता की भावना की समाप्ति से सभी को खुशी होनी ही चाहिए। परन्तु साथ ही साथ इसका दुख है कि प्रान्तीयता की दुर्भावना अब लोगों के मनों में घर बना रही है और इसका कारण मैं भाषावार राज्यों की स्थापना समझती हूं।

मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह एक बार पुनः सोचें कि उन्होंने भाषावार राज्य स्थापित करके क्या कोई ग़लत क़दम तो नहीं उठाया है।

मैं मानती हूं कि आसाम के दंगों में विद्यार्थियों ने भाग लिया है। परन्तु इनको भड़काया किसने। १२ अगस्त की 'आसाम बाड़ी' पत्रिका में जोरहार कालिज के एक प्रोफैसर ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था 'पत्थर में प्राण आ गये, पत्थर जाग उठा'। इसके बारे में मैं समझती हूं कि इतना कहना पर्याप्त है।

सब से दिलचस्प बात यह है कि आसामवासियों ने आसाम के मुसलमानों के साथ कोई ग़लत व्यवहार नहीं किया और वहां पर रहने वाले बंगालियों के साथ ग़लत व्यवहार किया। इसका

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

कारण मैं समझती हूं कि मुसलमानों ने आसाम में जाकर वहां की भाषा आदि सीख कर अपने का वहीं का बना लिया जबकि बंगालियों ने अपना अस्तित्व अलग रखा । अपनी कालीपूजा अलग रखी । अपने मंदिर अलग रखे और आसामवासियों को हेय समझा । उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था । उन्हें समझना चाहिए था कि वह आसाम के अंग हैं तथा उनका बंगाल से उतना ही सम्बन्ध है जितना अन्य आसामवासियों का है ।

जांच के सम्बन्ध में मैं प्रधान मंत्री के इस कथन से सहमत हूं कि हमें बाद में सामाजिक तथा आर्थिक कारणों की जांच करानी है। सम्भव है कि भाषावार राज्य बनाने की नीति ही उन्हें इस जांच के परिणामस्वरूप बदलनी पड़ जाये । आज तो शीघ्र आवश्यकता इस बात की है कि शरणार्थियों के दिलों में से डर की भावना निकाल दें और उन्हें पुनः बसाने का प्रयत्न करें । वहां पर कुछ समाजसेवक रहें जो शरणार्थियों को बसायें और इसका ध्यान रखें कि दुबारा वहां पर दंगे न हो पायें ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमने यहां जिस विषय पर लगातार तीन दिन तक बहस की, उसे लेकर एक हद तक सारे देश में, और खास कर आसाम तथा बंगाल में लोग बड़े उत्तेजित रहे हैं । इसलिये उसकी थोड़ी-बहुत झलक अगर जब-तब इस सभा की बहस में भी दिखी है, तो हमें उस पर ताज्जुब नहीं करना चाहिये । लोगों के दिल और दिमागों में अन्दर जो जज्बात दबे-छिपे पड़े हैं, उनकी झलक हमें यहां कभी-कभी दिखी है । फिर भी मैं कहूंगा कि यहां हमने इस मुश्किल और पेचीदगी भरी समस्या पर अपने आप पर काफी काबू रखते हुए बहस की है ।

सचमुच, जब हम इस समस्या के ऊपरी, या कहिये कि बाहरी पहलूओं से दिमाग़ हटा कर, इसकी जड़ में, इसकी गहराई में कुछ और नीचे उतरते हैं, तो पता चलता है कि यह कितनी बड़ी समस्या है, इसका कितना फैलाव है और इस में कितनी पेचीदगियां हैं, इतनी कि डर सा लगने लगता है । आसाम और बंगाल के लिये तो इसकी अहमियत बहुत बड़ी है ही, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां बार-बार कहा है, यह समस्या कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है, जिसका असर देश के हर आदमी पर कई तरह से पड़ता है ।

शायद कुछ लोग ऐसे भी हों जो सोचते हों कि वे खुद इन आसामियों से और बंगालियों से ज्यादा अच्छे हैं, ठंडे और सधे हुए दिमाग़ के आदमी हैं और इसलिय हम इन घटनाओं को सही नज़रिये से देख सकते हैं । जो, हम सधे हुए दिमाग़ के आदमी इसीलियें बने हुए हैं कि चोट हमारे सिर पर नहीं पड़ी । जब नौबत अपने सिर पर न हो, तो दिमाग का संतुलन बनाये रखना बड़ा आसान होता है। मैं अभी यहां बैठा-बैठा माननीय सदस्यों की स्पीचें सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग़ कुछ दूसरी तरफ भटक गया था । मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं किसी भूताखाने में पहुंच गया हूं । पार्लमिण्ट की यह इमारत ही नहीं, अपना पूरा देश, यहां से वहां तक फैला हुआ अपना देश, मुझे एक भूताखाना लगने लगा जिसमें हम सभी फंसे हुए हैं । एक ऐसी जगह जिस में तरह-तरह के भूत-प्रेत मंडरा रहे हैं । बहुत पहले के, गुजिश्ता जमाने के भूत, अभी कुछ ही पहले के जमाने के भूत, हमारे जज्बात और हमारी अपनी दिमाग़ी उलझनों तथा टकराहटों के भूत जहां मंडरा रहे हैं । मुझे ऐसा इसलिये लगा कि आज हम जो बहस यहां कर रहे हैं वह आसाम-बंगाल के बारे में नहीं, असल में हमारे अपने बारे में है । हम अपने ही बर्ताव, अपने ही जज्बात और अपनी ही उन चीज़ों के बारे में

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बहस कर रहे हैं जिन से एक-दूसरे को उकसावा होता है, गुस्सा आता है। असल में हम आज अपने दिलों दिमाग़ पर चढ़े हुए 'नेशनलिज्म' के राष्ट्रवाद के उस ऊपरी मुलम्मे के बारे में ही बहस कर रहे हैं, जो हल्की सी ठेस पहुंचते ही हमारे दिलोदिमाग़ से हट जाता है और हमारी असली शक्ल उघार देता है। हम जो भी हों, पंजाबी हों या बंगाली, आसामी हों या मद्रासी, चाहे जो भी हों, जहां कोई हल्की सी ठेस पहुंची, हमारा यह ऊपरी मुलम्मा हट जाता है, हम अपने राष्ट्रवाद को एकदम भूल जाते हैं; असली चेहरा सामने आ जाता है। हम दूसरों की फिरकापरस्ती की, साम्प्रदायिकता की बहुत बुराई करते रहते हैं, लेकिन जब हमारे खुद के फिरकापरस्त जज़्बात उभर पड़ते हैं, तो उसमें हमारी और सारी चीज़ें बह जाती हैं। फिर हमें और बातें बिलकुल भूल जाती हैं। इसलिये हमें महसूस कर लेना चाहिये कि कसूरवार आसामी या बंगाली नहीं, हम खुद हैं, हम में से हर एक इसका कसूरवार है।

हम राष्ट्रवाद की बड़ी दुहाई देते हैं, लेकिन हर आदमी का राष्ट्रवाद उसके अपने ढंग का, अपने ही रंग का होता है। कहा यही जाता है कि 'पूरे भारत का राष्ट्रवाद' है, लेकिन पंजाबी लोग पंजाबी राष्ट्रवाद को मानते हैं और मद्रासी लोग मद्रासी राष्ट्रवाद को। सबका, आसमियों, बंगालियों, गुजरातियों—सभी का अपने-अपने ढंग का राष्ट्रवाद होता है। और जब इन दो राष्ट्रवादों में कोई टक्कर होती है, तो गड़बड़ पैदा होती है।

भारत की एकता की जब हम बात करते हैं, तो हर आदमी अपने ढंग की एकता चाहता है। अलग-अलग राज्य के लोगों का अपना अलग-अलग नजरिया होता है देश की एकता का। और हर आदमी एकता और राष्ट्रवाद की अपनी धारणा को, अपने नजरिये को ही सही और असल राष्ट्रवाद मानता है, दूसरे के नजरिय को ग़लत। हम सब का यही हाल है।

हम जांच करने और कारणों का पता लगाने की बात करते हैं। अगर हम इसकी जांच करें और जरा गहरे उतरें तो शायद बहुत सी ऐसी बातों का पता चलेगा जो हम भूल से गये हैं। इसलिये कि हमारे पूरे देश में एक ही समाज नहीं है अपने-आप में सिमटा हुआ। जैसा कि डा० कृष्णस्वामी ने कहा है हमारे भारतीय समाज में कई छोटे-छोटे समाज हैं, जो अपने-आप में सिमटे हुए हैं, जात-पांत वगैरह की वजह से। बंगाली, मद्रासी, गुजराती, इत्यादि—सभी के अपने अलग-अलग समाज हैं अपने-आप में सिमटे हुए। विदेशों में जाकर देखिये वहां भारतीयों का एक क्लब, एक संस्था नहीं मिलेगी। वहां भी आपको भारतीयों का बंगाली क्लब, गुजराती क्लब इत्यादि मिलेंगे। रंगून में एक गोरखपुरी क्लब ने मुझे १०,००० रुपये की थैली भेंट की थी। इसलिये कि जिन्दगी का यह टब हमारे खून में भिदा हुआ है। हम राष्ट्रवाद की बातें तो करते हैं, पर हमारे दिमाग़ में राष्ट्रवाद की एक अपनी ही धारणा रहती है, हमारा राष्ट्रवाद उन छोटे-छोटे समाजों के रंग में रंगा हुआ होता है।

हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता में सब से बड़ी बात उसकी सहनशीलता, बर्दाश्त करने का मादा है। इस में शक़ नहीं। यूरोप की तारीख देखिये। यूरोप के मुकाबले हमारे लोगों में, हमारी संस्कृति में बर्दाश्त का मादा कहीं ज्यादा है। हम तरह-तरह के, अपने से भिन्न लोगों को, दूसरों के धर्म और विश्वास को सहन करते रहे हैं हमेशा से। लेकिन हम अपनी समाजी आदतों पर कोई चोट जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर कोई आदमी ईश्वर पर विश्वास न करे, तो हमें उसकी ज्यादा फिक्र नहीं रहती, जब कि दूसरे मुल्कों में इस पर बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। लेकिन हमारे समाज में समाजी तौर-तरीकों और कायदों को सब से ज्यादा अहमियत दी जाती है। उनको अगर न माना जाये, तो बर्दाश्त नहीं किया जाता। ऐसे आदमी को समाज से निकाल दिया जाता है। कलकत्ता और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यह चीज़ ज्यादा नहीं है,

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लेकिन गांवों में तो यह एक बड़ी ताकतवर चीज़ है। शहरों में भी अभी तक शादियों वगैरह के मामलों में जाति ही नहीं जाति के अन्दर की और छोटी-छोटी जातियां देखी जाती हैं। दूसरे मुल्कों से आने वाले आदमी को हमारे अखबारों में शादी वाले इश्तिहार देख कर बड़ी हैरानी होती है। उसने और कहीं भी ऐसी बात नहीं देखी होती।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि भारतीय एकता और राष्ट्रवाद की बात ऊपरी सतह पर ही रह जाती है। मैं यह नहीं कहता कि उसमें कोई सचाई नहीं है, या यह कि हम पूरी सचाई के साथ उन पर यकीन नहीं करते। हमारे विश्वास में सचाई है। हां, लेकिन भारतीय एकता और राष्ट्रवाद की हमारी धारणायें, हमारे नजरिये अपने-अपने छोटे समाजों के तंग दायरों तक महदूद रहते हैं। हम सभी राष्ट्रवाद को एक तरीके से नहीं देखते-समझते। जातियों से बने समाज के ढांचे में हम शुरू से पाले गये हैं। इसलिये वह हमारा पीछा नहीं छोड़ता। उससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है।

कुछ लोग कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की वजह से ही यह हालत हुई। नहीं, चीज़ इससे कहीं गहरी है। विदेशों में भारतीय लोगों की अलग-अलग क्लबों की मिसाल मैंने आपको बताई है। वे दूसरी क्लबों के लोगों से शायद ही कभी मिलते-जुलते हों।

यह बड़ी अजीब सी चीज है, और इससे हमारे अन्दर बड़ी कमजोरी आती है। आसाम की इन दर्दनाक घटनाओं का अगर कोई फायदा हुआ है तो एक यही कि हमारे दिमागों में छिपे बैठे इस भूत को उसने उजागर कर दिया है। हम उसकी बदसूरत शक्ल देख सके हैं। हम में से कोई भी फख्र के साथ नहीं कह सकता है कि उसके अन्दर यह बदसूरत चीज़ नहीं छिपी है। और जब भी उस पर कोई चोट होती है, हमारे दिमाग के उस कोने पर, जहां वह छिपा बैठा है, जब भी कोई चोट होती है, हम भड़क उठते हैं।

हमारे दोस्त, श्री हिनिटा ने कल एक बड़ी दिलचस्प सी स्पीच दी। उन्होंने बड़े उत्तेजित होकर एक बड़े मशहूर अमरीकी नेता का नारा बुलन्द किया : "मुझे या आजादी दो या मौत।" समझ में नहीं आई उनकी बात। मौत का सवाल कहां उठा? वह तो इस सिलसिले में कुछ कह रहे थे कि आसामियों को क्या सरकारी भाषा बनाना चाहिये। लेकिन उन्होंने उसे आजादी या मौत के सवाल के बराबर बैठा दिया।

अगर उनका मतलब सोचने की आजादी से था, तो ठीक है, सोचने की आजादी तो होनी ही चाहिये। दुनिया में जालिम से जालिम बादशाह भी सोचने की आजादी को खत्म नहीं कर पाये। वे ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर पाये हैं कि लोगों को आम जनता के सामने ख्यालात का इजहार करने से रोक दिया गया है। सोचना तो कोई भी कभी नहीं रोक पाया।

इसलिय इसमें सोचने की आजादी का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं माननीय सदस्य की आलोचना या नुक्ताचीनी नहीं करता। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम इन छोटी छोटी चीजों को इतना तूल देने लगते हैं, तो हमारा दिमागी सन्तुलन बिगड़ जाता है। मैं दूसरे माननीय सदस्यों की भी मिसाल दे सकता हूं कि वे भी किस तरह उत्तेजना में बह जाते हैं। अगर कोई मुझ से कहे कि मैं अपनी भाषा, अपनी जुबान का ही इस्तेमाल करना चाहता हूं, पै नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई दूसरी जुबान लादी जाये, तो मैं उसकी बात मानने के लिये तैयार हूं। लेकिन जिस सन्दर्भ में यह बातें कही जायें, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है जब लोग ऐसी बातें करते करते उत्तेजित हो जाते हैं और उनमें बर्दाश्त नहीं रहती तथा सब गड़बड़ हो जाता है।

हिनिडा साहब अपनी जुबान में ही बोलें, ठीक है । लेकिन यह तो गलत होगा कि वह दूसरों को भी उनकी अपनी जुबान का इस्तेमाल न करने दें ।

तो आसाम बंगाल के ये वाकयात उन तक ही महदूद नहीं । वे हमारे पूरे राष्ट्र, हमारे पूरे देश की समस्या का एक बड़ा संजीदा पहलू हमें दिखाते हैं । वह एक इतनी बुनियादी चीज़ है कि उस पर पूरे देश की किस्मत का दारोमदार है। हम सभी इसके लिये जिम्मेदार हैं। मैं अपने को बरी नहीं करता इस जिम्मेदारी से । अपनी परम्पराओं और अपनी समाजी विरासत की वजह से हम में से हर एक अपने अपने तंग दायरे में ही महदूद रहता है । मैं समाजी तौर तरीकों की विरासत की बात कर रहा हूं ; हम अपने अपने चौकों में रहने के आदी हो गये हैं । न दूसरे के चौके में जायेंगे, न दूसरे को अपने चौके में आने देंगे । खान-पान और शादियां अपनी ही जाति के लोगों में होती हैं । इसीलिये हम भारतीयों को दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ मिलने-जुलने और रहने में सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ती है । गैर-मुल्की मामलों के बारे में, अकसर यहां कुछ ऐसे ढंग से सवालात पूछे जाते हैं जैसे कि हम ही सारी दुनिया को चलाते हैं । हम अपनी खामियां नहीं देखते ।

दूसरे-दूसरे मुल्कों से लोग हमारे यहां आते हैं । यहां उनको एक ऐसा समाज मिलता है जिसमें वे आसानी से घुल मिल नहीं पाते । उनको ताज्जुब होता है । दुनिया में शायद और कहीं भी ऐसा समाज नहीं मिलता हमारे समाज में सोच-विचार और दर्शन के मामले में बड़ी उदारता है,और उसी ने हमें इतना ऊंचा उठाया है दुनिया में लेकिन दूसरी तरफ हमारी समाजी जिंदगी इतने तंग दायरे में बंटी हुई है । भारतीय समाज में इन दोनों मुखालिफ चीजों का एक अजीबसा मेल है । यह ठीक है कि हम अब उन दोनों से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं । लेकिन अभी भी हमारी जिन्दगी पर उनका बड़ा असर है : अपने ही दायरे में रहने पर तो हमें इनका पता नहीं चलता, लेकिन जब हम इन सभी छोटे छोटे समाजों को लोकतन्त्र में लाने की कोशिश करते हैं, तो इन छोटे छोटे समाजों में टक्करें शुरू हो जाती हैं ।

साम्प्रदायिकता आखिर है क्या ? आप देख ही चुके हैं हिन्दू साम्प्रदायिकता और मुस्लिम साम्प्रदायिकता का सवाल उठते देख चुके हैं । आप उसे बड़ी आसानी से हिन्दू राष्ट्रवाद या मुस्लिम राष्ट्रवाद कह सकते थे । हिन्दुओं को अपनी साम्प्रदायिकता को हिन्दु राष्ट्रवाद कहने में ज्यादा आसानी थी, क्योंकि वे हजारों साल से इसी देश में बसते रहे हैं । चूंकि मुसलमानों के साथ बात दूसरी थी । इसलिये उनको कुछ कठिनाई पड़ी । लेकिन असल में तो ये दोनों ही साम्प्रदाविक ।

और, हमें इसी बुनियादी मसले का हल निकालना पड़ेगा । हो सकता है कि भाषावार राज्यों के मसले ने भी इस आग को भड़काने में कुछ मदद दी हो । लेकिन यह बुनियादी मसला उससे कहीं गहरा है । भाषा के आधार पर जो राज्य बन चुके हैं, वे तो रहेंगे ही । हम उनको मेट तो नहीं सकते । बार-बार काट-छांट तो नहीं की जा सकती इन मामलों में । इसलिये हमें उनको मानकर चलना पड़ेगा और अपने को उनका आदी बनाना पड़ेगा, इतना आदी कि हम एक-दूसरे के साथ अमन और दोस्ती से रह सकें । जुबान के मसले से ही हर मसले को जोड़ देना एक बेमतलब सी चीज़ है; बिल्कुल बेमतलब ।

डा० सुशीला नायर ने कुछ मुश्किलात की तरफ इशारा किया था । बाकी सारी दुनिया में हर पढ़ा लिखा आदमी तीन या चार जुबानें जानता है । सिर्फ हमारे यहां ही लोग एक भी दूसरी जुबान सीखने की बात कहने पर बिगड़ खड़े होते हैं । अजीब सी चीज़ है । हमें साफ तौर पर समझ लेना चाहिये कि यह मसला कहीं ज्यादा गहरा और गम्भीर है । इसलिये कि कोई भी काम करने की पहली सीढ़ी होती है—उसे समझना ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दूसरी बात यह है कि यह मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है कि हम कुछ बुराइयां दूर कर दें और गलत ढंग के काम करने वाले लोगों को शरारती लोगों को सजायें दे दें। सिर्फ इतने से इस समस्या का हल नहीं होगा शरारत करने वालों को, बदअमनी फैलाने वाले लोगों को सजा तो देनी ही पड़ेगी इसमें शक नहीं कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है। वे चाहे जिस पार्टी के हों और चाहे जितने बड़े ओहदों पर हों। उनको सजा तो देनी ही चाहिये, मैं मानता हूं। ऐसे आदमियों को अपने अन्दर शरण देकर कोई भी पार्टी फल-फूल नहीं सकती। लेकिन यह भी याद रखना चाहिये कि ऐसे लोग आम जनता में घुल मिल कर, उनका रुख देख कर उनके जैसी बातें बना कर ही ऐसे मौकों पर आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा न हो, तो उनमें और आम चोर-उचक्कों में कोई फर्क ही न रह जाये।

मैं मानता हूं कि वे जनता को उभाड़ते हैं। असल में होता यह है कि दोनों एक-दूसरे पर असर डालते चलते हैं। जनता का दिमाग एकाध स्पीच से नहीं बनता। वह तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी बनता चला आता है। जनता का दिमाग एक दिन में नहीं बन जाता—बहुत पहले से, पीढ़ी-दर-पीढ़ी बनता चला आता है। मैं आचार्य कृपालानी की यह बात मानता हूं कि ऐसे मौकों पर जनता को उभाड़ा जाता है। आसाम में ऐसा हुआ भी था। लेकिन उसमें कई महीने लगे थे।

इस साल के शुरू में भी मैं आसाम गया था। वहां यूनीवर्सिटी के सामने विद्यार्थियों ने एक एड्रेस, एक अभिनन्दन पत्र भेंट किया था उस अभिनन्दन पत्र के आधे से ज्यादा हिस्से में भाषा का जिक्र था कि वे इस भाषा को कितना चाहते हैं। उस वक्त भी मैंने महसूस कर लिया था कि वे वैसा क्यों कह रहे हैं। मैंने उनसे इतना ही कहा था कि चीज़ अच्छी है, ठीक है; लेकिन उस सवाल को उठाने का वह वक्त ठीक नहीं, क्योंकि दूसरी बड़ी अहम चीजें हमारे सामने हैं। इससे पता चलता है कि ऐसे जज़्बात वहां अर्से से पनप रहे थे। जुबान के मसले को उन्होंने अपना निशान, अपना प्रतीक बना लिया था। भाषा का मसला आसामियों की अपनी जिन्दगी, उनके आसामी होने का और उनके भविष्य का एक निशान बन चुका था, चिह्न बन चुका था। और जब कोई चीज़ निशान या प्रतीक बना ली जाती है तो किसी बहस-मुबाहिसे की गुंजाइश नहीं रह जाती। उसके बारे में वे कोई दलील सुन तक नहीं सकते। आसाम में यह हालत धीरे धीरे पैदा हुई थी। इसने करीब-करीब हर आसामी को अपनी लपेट में, अपने बहाव में ले लिया था। वह सभी गये थे, हां, कुछ ज्यादा, कुछ कम। श्री चालिहा जैसे कुछ बुद्धिमान आदमियों ने भी इसे महसूस किया, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी देखा कि ऐसी कार्य-वाही का लाजिमी नतीजा क्या होगा और इसीलिये इस बहाव को रोकने की कोशिश की। उन्होंने सोच-समझ कर दोनों के बीच का एक रास्ता अपनाने की कोशिश की। इसलिये कि श्री चालिहा में काफी बर्दाश्त है और वह दूरंदेश आदमी हैं। उन्होंने लोगों को समझाकर अपनी ओर लाने की कोशिश की साथ ही लोगों को नाराज भी नहीं किया। लेकिन भाषा का मसला तो आसामी जनता के लिये एक निशान बन गया था, उन सभी चीजों के लिये जिनको वे बहुत ज्यादा चाहते थे। और ऐसी हालत में लोगों को गलत काम के लिये उकसाना काफी आसान बन जाता है। आचार्य कृपालानी का इशारा शायद इसी की ओर था।

ऐसी हालत में आपको गलत काम के लिये उकसाने वाले लोगों और आम जनता की राय में फर्क करना चाहिये। अगर आप दोनों में फ़र्क नहीं करेंगे तो ग़लत काम करने वाले लोगों के सिरपर सेहरा बंध जायेगा, वे हीरो बन जायेंगे। आपका काम यही है कि उनके सिर सेहरा न बंधने दें।

कई माननीय सदस्यों ने तरह-तरह के सुझाव रखे हैं कि केन्द्रीय सरकार को और राज्य सरकारों को ऐसी हालत में क्या करना चाहिये था। लेकिन उन माननीय सदस्यों ने शायद यह नहीं सोचा कि वैसे कदम उठाने का क्या असर पड़ेगा लोकतंत्र के काम पर या जो वे हासिल करना

चाहते हैं उस पर। कई कारणों से, पिछले इतिहास की वजह से, आसामी जनता ब्रिटिश हुकूमत के दिनों से ही यह महसूस करती आ रही है कि उसे दबाया जा रहा है, ब्रिटिश शासक और दूसरे लोग उसे कुचल रहे हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। उन्होंने इससे छुटकारा पाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने इसके लिये एक बड़ा ग़लत तरीका अपनाया। आप देखिये कि १०–१२ साल पहले उन्होंने कितने ग़लत ढंग की, भौंड़ी भाषा का प्रयोग किया था। असल में वह उनका एक महदूद सा राष्ट्रवाद ही था, जो उभरने की कोशिश में था। वह राष्ट्रवाद बुरा भी था और अच्छा भी। बुरा इसलिये कि वह एक तंग दायरे में महदूद था, और अच्छा इसलिये कि वह एक नयी उभरती हुई भावना थी। इस तरह उसमें बुराई और अच्छाई दोनों का मेल था, दोनों आपस में गुंथी हुई थीं। कभी कभी दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। जो भी हो, यही वह समस्या है जिसके इतने दर्दनाक नतीजे हमारे सामने आये हैं।

मैं आसाम हो आया हूं। अपनी आंखों से देख आया हूं वहां के हालात। और मैंने उसके बारे में काफी ज्यादा पढ़ भी रखा है। मैं माननीय सदस्यों के मुकाबले इस मामले में काफी ज्यादा जानकारी रखता हूं। फिर भी मैं उनकी तरह इतने साफ ढंग से, निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि इन दर्दनाक घटनाओं की जिम्मेदारी किस पर है। घटनाओं के बारे में तो सभी जानते हैं। कितनी अफसोसनाक बात है कि एक राज्य से कुछ लोगों को भागने पर मजबूर किया जाये। कुछ डण्डे के जोर से भगाये गये हैं, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे घबरा कर भागे हैं।

मैं जब अखबारों की आलोचना करता हूं तो इसलिये नहीं कि उनमें यह या वह बात ग़लत छपी थी। ऐसे हालात में अपने को संभालना मुश्किल हो जाता है। ग़लत खबर देना, इतना बुरा नहीं है, बुरा यह है कि अखबारों ने लोगों को और अधिक भयभीत बनाने में मदद दी। ऐसे हालात में अगर अखबार चाहें, तो लोगों को भड़कने से काफी हद तक रोक सकते हैं। और अगर अखबार ही लोगों में भय फैलाने लगें, तो सरकार उसे नहीं रोक सकती।

माननीय सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार और आसाम सरकार को इन दर्दनाक, अफसोसनाक घटनाओं के लिये कसूरवार ठहराया है। मेरे सहयोगी, गृह-कार्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार ने जो भी किया उस सारे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं। हम सभी जिम्मेदार हैं। आप देखिये, और अगर हमने अनजाने में या जानबूझकर कोई ग़लती की हो, तो यह सभा या देश हमें उसके लिये सजा दे सकता है। हमने इस पर बार-बार सोचा-समझा है। हम बार बार इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमने उसके बारे में कोई लापरवाही नहीं की। गृह-कार्य मंत्री आसाम की इन घटनाओं से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहे हैं; मैं जानता हूं। इसीलिये कि वह एक बहुत बुरी चीज थी। एक ऐसी चीज जो हमारी कमजोरी, हमारी नाकामयाबी और बदअमनी, बदइंतजामी और दिमाग की तंगी की निशानी थी। वह निशानी थी इस बात की कि हमारे देश में कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो देश को टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहती हैं। हमें यही महसूस हुआ।

मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूं कि केन्द्रीय सरकार उस हालत में क्या कर सकती थी। हमारी बदकिस्मती ही है कि देश के कई हिस्सों में ऐसी घटनायें होती रहती हैं, हर रोज कुछ न कुछ हो ही जाता है। यहां तक कि हम ऐसी खबरें पढ़ने के कुछ कुछ आदी हो गये हैं। आसाम की खबरों से हमें जून में भी परेशानी थी, लेकिन हमने यह नहीं समझा था कि बात इतनी बढ़ जायगी। मुझे तो जुलाई के शुरू महीने में वहां के हालात जानकर सबसे ज्यादा सदमा लगा। उससे पहले भी हम आसाम की खबरें लगातार मंगाते रहे थे। हम उन्हें लिखते थे, टेलीफोन पर पूछते थे हर तरह से हालात जानने की लगातार कोशिश करते रहे थे। आसाम के गवर्नर ने २८ जून को हमसे कहा था

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कि दो-तीन दिन में सारी गड़बड़ी ठंडी पड़ जायेगी। उनका यही ख्याल था, और वह एक ऐसे आदमी हैं जिनकी राय की हमें कद्र करनी ही चाहिये। यह उनकी आलोचना नहीं है, क्योंकि राय बनाने के मामले में गलती तो सभी से हो सकती है। लेकिन उसके बाद ही, जुलाई के शुरू में घटनाओं का तांता लग गया।

हमने फौरन, उसी दम, ४ जुलाई से पहले ही फौज को वहां जाने के लिये कह दिया। गौहाटी में ४ जुलाई को हमारी फ़ौज पहुंच गई थी, और ६ जुलाई को शिलांग में। बाद में फौज बढ़ती गई, फैलती गई। केन्द्रीय सरकार इससे ज्यादा क्या कर सकती थी?

किसी ने पूछा था कि हमने फौज को चारों तरफ फैलाकर सारे दंगे को खत्म क्यों नहीं करा दिया। हमने फौज को आसाम की सरकार के मातहत क्यों रखा? दूसरे लफ्जों में यह कि हमने सारी हुकूमत वहां फौज के हाथ में नहीं सौंप दी, वहां मार्शल ला लागू क्यों नहीं कर दिया। यह बात हमारे दिमाग में नहीं आई, इसलिये कि हम मार्शल लॉ जारी करने के आदी नहीं हैं। लेकिन उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फौज अपने एक खास ढंग से चलती है। वह बड़ी-बड़ी टुकड़ियों में इधर उधर बढ़ती है। पुलिस वालों की तरह नहीं फैलती—एक एक पुलिस वाले की तरह से।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या इसका यह मतलब है कि हमारी फौज वहां ४ जुलाई को पहुंचने के बाद अगले आठ दिनों में कुछ भी नहीं कर सकी?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** फौज जहां थी, वहां उसने काम किया। लेकिन घटनायें तो एक ही वक्त में सैकड़ों जगहों पर हो रही थीं। . . .

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : महिलाओं के शिष्टमंडल ने हमें बताया है कि नौगांव के पास एक स्थान पर दो रोज के घेरे में एक सिलसिले से सभी मकानों को मटियामेट कर दिया गया था। और सेना कुछ भी नहीं कर सकी?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** आप ठीक कह रहे हैं। मैंने नौगांव का वह इलाका देखा है। एक बहुत बड़ा पट्टी है, जिसमें यह बर्बादी हुई थी। मैं अभी ठीक ठीक नहीं बता सकता कि वहां उस वक्त हमारी फौज थी या नहीं। इतना जरूर जानता हूं कि ४ जुलाई को वह गौहाटी पहुंच गई थी, और ६ जुलाई को शिलांग। यह बर्बादी ६ जुलाई को हुई थी। फौज शायद उसके बाद नौगांव पहुंची होगी। वे घटनायें ५ से ८ तारीख तक ३-४ दिन में हुई थीं। इससे जल्द वहां फौज का पहुंचना मुश्किल था, इसलिये कि हर तरफ एक ही वक्त में घटनायें हो रही थीं।

मैंने एक पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट से पूछा था कि वह उस वक्त क्या कर रहे थे। मैंने पूछा इस लिये था कि एक बंगाली महाशय ने मुझ से शिकायत की थी कि उन्होंने अपने ऊपर हमले का अंदेशा देखकर पुलिस थाने को टेलीफोन किया था, लेकिन वहां से उनको कोई मदद नहीं दी गई। इस पर पुलिस सुप्रिन्टेन्डेंट ने जवाब दिया था कि पुलिस थाने में उस वक्त बिलकुल हंगामा मचा हुआ था, सैकड़ों फोन हर तरफ से आ रहे थे और जब कि थाने में कुल एक दर्जन या बीस सिपाही ही मौजूद थे। उस हंगामे में क्या किया जा सकता था। मैं पुलिस की तरफ से सफाई नहीं दे रहा हूं। एक बात बता रहा हूं। लेकिन इससे पता चलता है कि पुलिस की ताकत बड़ी नाकाफी थी। इससे पता

†मूल अंग्रेजी में

चलता है कि प्रशासन बिल्कुल पंगु हो गया था। मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने वहां खुद देखा। और इतना सब कुछ चार पांच दिन में हो गया—५ जुलाई से १० जुलाई तक। शायद फौज इससे कुछ ज्यादा फुर्ती के साथ भी काम कर सकती थी। शायद कर सकती हो, मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। वास्तव में रेलवे लाइन के दोनों ओर पांच पांच मील तक उत्पात-ग्रस्त क्षेत्र में अध्यादेश लागू करना पड़ा था, और उसे फौज को सौंप दिया गया था। उसमें सभी बड़े बड़े शहर आ गये थे।

†**श्रीमती रेण चक्रवर्ती :** सब कुछ हो चुकने के बाद।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी, नहीं शायद ६ या ७ या ८ जुलाई को उन्हीं दिनों।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इसका मतलब है कि हमारी सेना आसाम में गई, और गौहाटी, नौगांव, जोरहाट, वगैरह शहरों के लिये इतनी अच्छी अच्छी पक्की सड़कें होते हुए भी, वह कई दिनों तक वहां पहुंच नहीं पाई।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** फौज के काम करने का तरीका यह होता है कि वह कुछ अपने केन्द्र बना लेती है, वहां काफी तादाद में फौजी टुकड़ियां भेज दी जाती हैं, फिर वहां से फौज की बड़ी टुकड़ियां चारों तरफ़ फैलती हैं। फौज हर जगह अपनी बड़ी टुकड़ियां भेजती है, जिससे कम तादाद होने पर वह कहीं घिर न जाये। इस तरह दंगों पर काबू करने का आम तौर से उसे कोई ज्यादा तजुर्बा नहीं होता। फिर भी मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता कि फौज ने वहां क्या क्या किया।

हमें यह याद रखना चाहिये कि इस मामले में शरारत करने वालों ने बहुत कुछ किया है, उनको इसमें आसानी इसलिये रही कि जनता काफी उभड़ी हुई थी, जिसे उन्होंने ही उभाड़ा था, जैसा कि आचार्य कृपालानी ने कहा है।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : आप की दलीलों से तो ऐसा लगता है कि आसाम की घटनायें जैसे भूकम्प या बाढ़ की तरह हो गई थीं, और अगर ऐसी विपत्ति आगे फिर आई, तो भी हम कुछ नहीं कर सकेंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरा यह मतलब नहीं। मैं शायद अपनी बात समझा नहीं पाया।

मैंने तो आपको बताया है कि घटनायें किस सिलसिले से हुई थीं। मैं सभा से यही अर्ज कर रहा हूं कि ऐसी हालत में क्या किया जा सकता है। यही समस्या है हमारे सामने।

ऐसी परिस्थिति में आपको शरारतें करने वालों से भी निबटना-सुलझना पड़ता है और जनता के उभरे हुए जोश से भी। अगर आप दोनों को एक लाठी से हांकने की कोशिश करेंगे तो नाकामयाबी ही हाथ लगेगी। मार्शल लॉ लगा देने से हालत एकदम बदतर हो जाती है। इसमें यही मुश्किल है।

दूसरे भी कई लोग पिछले कुछ हफ्तों में आसाम गये हैं। उन्होंने वहां की जनता से बात की है, वहां की हालत देखी है। आसाम से लौटने वाले लोग एक बिल्कुल ही बदले हुए ढंग से बात करते हैं। उनका ढंग उन लोगों से एकदम फ़र्क़ होता है जो खुद आसाम नहीं गये हैं। यह चीज़ बड़ी अहमियत रखती है। इसलिये कि उन लोगों ने आसाम की जनता की भावनाओं को कुछ ज्यादा समझा और महसूस किया है। आसाम से लौटने वाले लोग, वे चाहें जिस पार्टी के हों, किसी भी बड़ी न्यायिक जांच कराने की बात की ताईद नहीं करते। आसाम की परिस्थिति खुद देखकर जो भी लोग लौटे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हैं. वे जानते हैं कि न्यायिक जांच कराने से हालत में सुधार होने की बजाय बिगाड़ होगा। तथ्य की बात यही है।

यह एक ऐसा मसला है जिस पर एक पार्टी के सभी लोग एकमत, एकराय नहीं हैं। प्रजा-सोशिलिस्ट पार्टी के विचार मुझे मालूम नहीं हैं। लेकिन मैं चार पांच दिन हुए जब पढ़ रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी की आसाम-शाखा ने आसामी भाषा को सरकारी भाषा बनाने की मांग का समर्थन किया है। लेकिन क्या कम्युनिस्ट पार्टी की बंगाल-शाखा भी उसका समर्थन करेगी ?

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने अब यह प्रस्ताव पास किया है कि आसामी भाषा को मुख्य सरकारी भाषा माना जायेगा।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसमें जरा फर्क है। आसाम-शाखा ने उसे सरकारी भाषा कहा था, "मुख्य सरकारी भाषा" नहीं।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : वह पहले का प्रस्ताव था। अब इस अनुभव के बाद वहां यह दूसरा प्रस्ताव पास किया गया है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जो भी हो। मेरे पास अभी यहां उसकी कटिंग नहीं है। फिर भी मेरा ख्याल है कि कम्युनिस्ट पार्टी की आसाम-शाखा ने वह प्रस्ताव २७, या २८, या शायद २९ अगस्त को पास किया है, अभी हाल में।

†श्री ही० ना० मुखर्जी : आसाम-शाखा के प्रस्ताव का सवाल ही नहीं। ब्रह्मपुत्र घाटी के बंगालियों ने भी आसामी को सरकारी भाषा बनाने का समर्थन किया था। दंगों की वजह भाषा सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नहीं, बल्कि कुछ और ही है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका दंगों से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा था कि इस मसले के बारे में एक पार्टी के सभी लोग भी एकराय नहीं हैं। पार्टी के सदस्य एक तरफ तो पार्टी के अनुशासन से बंधे हैं, और स्थानीय जनता का आन्दोलन उनको दूसरी ओर खींचता है। जाहिर है कि हर जन-पार्टी को ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है।

साफ है कि मार्शल लॉ से कुछ हासिल नहीं होता। वह तो वहीं ठीक रहता है, जहां हमेशा गड़बड़ी बनी रहती हो। आसाम में आधे अगस्त के बाद कोई वैसी गड़बड़ी या दंगों की हालत नहीं रही। छुट-पुट घटनायें जरूर हुई हैं। यह भी सही है कि लोगों के दिल में अभी तक डर समाया हुआ है। लेकिन वहां फौज को चारों तरफ फैला दिया गया है और अब एक बड़े पैमाने पर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। सरकारी काम भी अब वहां मुस्तैदी से चलने लगा है। मुख्य मंत्री, श्री चालिहा तो बीमार पड़े थे, लेकिन मैंने देखा है कि दूसरे मंत्री काफी मेहनत से काम कर रहे थे। हमने मंत्रियों के लिये यहां से विशेष अधिकारी, काबिल अधिकारी भी जुटा दिये हैं, अभी भी जुटाये जा रहे हैं। हम इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि हालत पर काबू पाने का सब से अच्छा तरीका यही है कि आसाम सरकार के जरिये ही सारा काम कराया जाये।

यह भी मुमकिन था कि आसाम सरकार को उठा कर एक तरफ रख दिया जाता। लेकिन फिर उसकी जगह या तो राष्ट्रपति का शासन होता या कुछ और इन्तजाम किया जाता। हम ने

---

†मूल अंग्रेजी में

महसूस किया कि अगर आसाम सरकार को हटा दिया जायेगा, तो हमें आम जनता का थोड़ा भी समर्थन नहीं मिलेगा। आसाम का हर आदमी, हर गुट, और वहां की हर पार्टी ऐसे किसी भी इन्तज़ाम के खिलाफ़ थी। फौज के बल पर हम वहां जम तो सकते थे, अपनी हुकूमत उन पर लाद सकते थे, लेकिन, उससे हासिल क्या होता ? आसाम सरकार हमारी हर बात मान ही रही थी। वह हम से सलाह करती थी, और उसी सलाह पर चलती थी। गवर्नर वहां हमारी नुमाइंदगी करने के लिये मौजूद थे ही। गवर्नर वहां आसाम सरकार के साथ नजदीकी सम्पर्क रखे हुए थे। इसीलिये हमने महसूस किया कि कोई और तरह का नया इंतजाम करने से हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिये हमने आसाम सरकार के जरिये ही अपना काम कराया। अगर न करा पाते तो फिर राष्ट्रपति का शासन वहां करने की बात सोची जाती।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि किसी क्षेत्र में प्रशासन ठप्प हो जाये, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र की जनता केन्द्र के हस्तक्षेप के विरुद्ध हो, तो संवैधानिक रूप से क्या स्थिति होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह कई और बातों पर निर्भर होता है। मिसाल के तौर पर अगर उन दिनों मैं आसाम में होता और मैं ने ६, ७ या ८ जुलाई की घटनायें देखी होतीं, तो मैं केन्द्रीय सरकार से जरूर कहता कि आप आइये। वास्तव में केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप का मतलब यही था कि केन्द्र वहां बड़ी तादाद में एक बड़े पैमाने पर फौज भेजे और फौज तो वहां भेजी ही गई थी। बस सिर्फ इतना बाकी रह गया था कि मंत्रिमंडल को हटा दिया जाता, और उसके बदले गवर्नर की मदद के लिये दो-चार बड़े-बड़े अफसर भेज दिये जाते आसाम में। असली चीज़ तो फौज का नियंत्रण है, जो वहां हो ही गया था। रेलवे लाइन के दोनों ओर तीन-चार मील तक का इलाका पूरी तरह से फौज के हाथ में था ही। और उस इलाके में करीब-करीब सभी बड़े शहर आ गये थे।

इसलिये मुझे अब यही कहना है कि हमें इस पूरी समस्या को एक ऐसे नजरिये से देखना चाहिये जिससे कि बुनियादी मसलों को हल किया जा सके। अगर इसके बारे में हमारा नजरिया घावों पर सिर्फ ऊपर से मरहम लगाने का रहेगा, तो कुछ अर्से बाद वे जख्म फिर रिसने लगेंगे। हमने यही नजरिया अपनाने की कोशिश की है।

हमने न्यायिक जांच और शरारतियों को सजा देने की बात—इन दोनों को अलग-अलग रखा है। दोनों का मेल नहीं बैठता। न्यायिक जांच में तो बुनियादी चीज़ों की, जड़ की जांच की जाती है। उसमें काफी वक्त लगता है। वह एक अलग चीज़ है। अगर आप दोनों को गड़बड़ा देंगे, तो जिन लोगों को सजायें मिलनी हैं उनका मसला भी बुनियादी मसलों में घुलमिल जायेगा। तब उनको सजा नहीं दी जा सकेगी। उसमें बहुत देर लगेगी। इसलिये दोनों को एक में गड़बड़ाना नहीं चाहिये। इससे दोनों ही कामों में अड़चन पड़ेगी। बुनियादी कारणों की जांच ठीक से नहीं हो पायेगी और शरारतें करने वालों को सजायें भी नहीं मिल पायेंगी। इसीलिये हम पहला काम पहले पूरा करेंगे। पहले हम शरारत करने वालों को सजायें देंगे और इसके लिये जगह-जगह पर छोटी-छोटी जांचें करायेंगे। इन जांचों का काम भले और काबिल लोगों को, उन्हीं इलाकों के लोगों को सौंपा जायेगा। अभी भी ४,००० से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं। हो सकता है कि उनके कुछ मुखिया लोग अभी इन के साथ गिरफ्तार न हो पाये हों। आचार्य कृपालानी जैसे कुछ पुराने सहयोगियों को याद होगा कि पिछले जमाने में हिन्दू-मुस्लिम दंगे होते थे और हमारा तजुर्बा यह था

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कि दंगा खत्म होने के बाद जब अमन कमेटी बनती थी, तो दोनों तरफ के बड़े से बड़े बदमाश उन में शामिल हो जाते थे। दंगों को भड़काने वाले मुख्या लोग ही उन कमेटियों में शामिल हो जाते थे। आसाम में भी वही कहानी दोहराई जा सकती है। क़तई मुमकिन है।

हमें इसीलिये इन दोनों को अलग रखना है। दोनों को एक नहीं होने देना है। दोनों को एक में गड़बड़ा देने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। दोनों में से एक भी मंशा पूरा नहीं होगा।

अजित प्रसाद जैन के साथ जाने वाले शिष्टमंडल ने, बल्कि आसाम के हालात से वाक़िफ़ सभी लोगों ने, जोर देकर कहा है कि आसाम और बंगाल, दोनों राज्यों की जनता इस वक्त ठंडे दिमाग़ से सोचने के लायक नहीं है। दोनों जगह की जनता भड़की हुई है, गुस्से में है। ऐसी हालत में अपनी बात सुनाना और काबू करना सब से मुश्किल होता है। इसीलिये मैं ने अखबारों से अपील की है कि वे घावों को भरने की कोशिश में हाथ बटायें। मेरी तो हर आदमी से यही अपील है। मैं यह नहीं कहता कि सच्ची खबरों पर पर्दा डाला जाये, बल्कि उनको ऐसे ढंग से पेश किया जाये जिस से लोगों का गुस्सा और न बढ़े, उनके दिमाग़ ठंडे होना शुरू हों। अपराधियों को सजा दी जाये, जरूर दी जाये। लेकिन इस ढंग से नहीं कि जैसे बदला लिया जा रहा हो। हमारी बुनियादी नीति यही है कि लोगों में भाईचारा और आपसदारी पैदा करने की कोशिश की जाये। यह इसलिये जरूरी है कि यहां सवाल आम जनता का है। जनता के लोगों को एक दूसरे के साथ ही रहना है, चाहे अमन के साथ रहें या लड़ते-झगड़ते हुए। हमारा यही नजरिया है। इसका यह मतलब कतई नहीं कि शरारत करने वालों के साथ नरमी बरती जाये।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** कल माननीय प्रधान मंत्री ने प्रादेशिक आधार पर सक्षम उच्च-स्तरीय न्यायिक जांचों की बात मान ली थी। क्या आज वह उससे पीछे हट रहे हैं ?

†**श्री जवहारलाल नेहरू :** बिलकुल नहीं। मैं चाहता हूं कि स्थानीय आधार पर जांचें हों। अनुमान तो यही है कि वे न्यायिक जांचें होंगी, लेकिन गारंटी भी नहीं की जा सकती कि हर जगह न्यायिक ही होंगी। न्यायिक का यह मतलब तो नहीं कि देश भर की हाई कोर्ट्स के जज बटोरकर इसी काम पर लगा दिये जायें, डिस्ट्रिक्ट जज भी न्यायिक जांच कर सकते हैं। कल मैंने यही कहा था और मैं उसे दोहराने को तैयार हूं।

आसाम और पश्चिमी बंगाल के मौजूदा वातावरण को देखते हुए, अभी बड़े पैमाने पर एक न्यायिक जांच कराने के लिये उपयुक्त समय नहीं है। लोगों में तनाव बहुत ज्यादा है और ऐसी जांच से आग और भी भड़क सकती है। बुनियादी चीज़ यह है कि शरणार्थियों को वापिस भेजने लायक माहौल तैयार किया जाये। एक बड़ी न्यायिक जांच से इस में अड़चन पैदा हो जायेगी।

इसलिये मौजूदा वातावरण में यही नीति सब से अच्छी रहेगी। मैं ने और मेरे सहयोगी गृह-कार्य मंत्री ने यही नीति सभा के सामने रखी है। सभा से इसीलिये मेरा अनुरोध है कि वह इसी नीति को जारी रखने की मंजूरी दे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अतुल्य घोष ने कलकत्ता में स्वतंत्रता दिवस न मनाया जाने या कम उत्साह से मनाये जाने का जिक्र किया था। उसके बारे में मेरा ख्याल यह है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल राजभवन में जो एक बड़ी पार्टी दी जाती है, उसे करना या न करना तो गवर्नर के सोचने की बात है यदि गवर्नर समझें कि इस से लोगों के ज्यादा भड़कने की गुंजाइश है, या यह कि पूरे माहौल को देखते हुए वह अच्छी नहीं लगती, तो उसे टाला जा सकता है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर काले झंडे फहराना या राष्ट्रीय झंडों को घरों पर से जबरन उतारना बड़ी ग़लत बात है। हमारे सभी सिदस्यों को इस पर विचार करना चाहिये।

इसे शर्मनाक मत कहिये, क्योंकि वहां के लोगों ने गुस्से में आकर वैसा किया था। याद रखने की चीज यह है ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये। हरकत करने वाले का इस में दोष नहीं, क्योंकि वह गुस्से में थे। लेकिन यह एक ऐसी चीज़ है जो सारे देश में फैल सकती है और उस से देश का बड़ा नुकसान होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिये रखूंगा।

†**आचार्य कृपालानी**: प्रधान मंत्री ने कहा है कि जांच होगी। तो फिर मेरे संशोधन को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है ? हम ने उस में कोई समय नहीं रखा है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं श्री अतुल्य घोष के संशोधन की भाषा और उस में प्रयुक्त शब्दों को ठीक समझता हूं और मैं उसे स्वीकार करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेते हैं ?

†**आचार्य कृपालानी** : जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आचार्य कृपलानी के संशोधन संख्या ७ को मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७ मतदान के लिये रखा गया। पक्ष में ४८ और विपक्ष में १६८।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब श्री अतुल्य घोष का संशोधन प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न रख दिया जाये अर्थात् :—

"यह सभा आसाम की स्थिति तथा उस के बारे में संसदीय शिष्टमंडल के प्रतिवेदन पर, जिसे ३० अगस्त १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, विचार करने के पश्चात् सिफारिश करती है कि आसाम में जुलाई मास में किन परिस्थितियों के फलस्वरूप उपद्रव हुए, इस की जांच करने और भविष्य में ऐसे उपद्रवों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही के बारे में सुझाव देने के लिये सरकार को उचित समय पर एक न्यायिक जांच की व्यवस्था करनी चाहिये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य संशोधन अवरुद्ध हो जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनहत्तरवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो ३० अगस्त, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनहत्तरवें प्रतिवेदन से, जो ३० अगस्त, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प--(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा १९ अगस्त, १९६० को प्रस्तुत समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार संबंधी संकल्प पर तथा श्री वारियर द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन पर आगे चर्चा करेगी ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं लेकिन इस में कई बातें हैं जो विचारणीय हैं । समाचारों और विचारों के प्रसार का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । प्रेस आयोग ने इस पर विचार किया था, तथापि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा प्रसारित समाचारों की जांच से यह ज्ञात हुआ कि उक्त ऐजेंसी द्वारा प्रसारित संवादों में से २५ प्रतिशत समाचार राजनैतिक होते हैं, और प्रत्येक ५१०० लाइनों में से २३०० लाइनें रायटर द्वारा प्रसारित रहती हैं, इस का यह तात्पर्य है कि स्वतंत्र राष्ट्र होने के बावजूद भी हमारे देश में कोई स्वतंत्र और आत्मनिर्भर समाचार एजेंसी नहीं है । अतः सरकार को चाहिये कि वह समाचारों के प्रसारण के लिये एक निगम बनाने पर विचार करे जो किसी विख्यात और निष्पक्ष व्यक्ति की अध्यक्षता में कार्य करे । इस निगम को समाचारों का प्रसारण करना चाहिये जिस से कि जनता को सच्ची खबरें प्राप्त हो सकें ।

समाचार एजेंसियों के इतिहास में हम सदानन्द के नाम को नहीं भूल सकते जिन्होंने फ्री प्रेस न्यूज़ एजेंसी की स्थापना की और आजीवन एक ऐसी समाचार एजेंसी की स्थापना के लिये संघर्ष करते रहे जिस की शाखायें सम्पूर्ण विश्व में फैली हों । इसी प्रयत्न में उन के प्राण चले गये । इस सम्बन्ध में श्री क० श्रीनिवासन के नाम का उल्लेख करना असामयिक नहीं होगा, जिन्होंने १९२५ में लंदन में केवल ८० रुपये माहवार में रह कर गुजारा किया, केवल इस उद्देश्य से कि साइमन कमीशन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भारत को सच्ची जानकारी दे सकें । तथापि आज हम

---

†मूल अंग्रेजी में

इन लोगों की सेवायें भूल गये हैं । जहां तक प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया का सम्बन्ध है यह रायटर की एक शाखा मात्र है जहां पदलोलुपता का बोलबाला चल रहा है । और जो नवयुवक वहां वास्तविक कार्य करते हैं उन्हें सरकार की ओर से किसी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता है । अतः हमें चाहिये कि हम समाचारों के प्रसार के लिये एक निगम की स्थापना करें जोकि विदेशी समाचार एजेंसियों से टक्कर ले सके ।

हमारे देश में समाचार एजेंसियों का इतिहास बहुत दुखद है । सदानन्द द्वारा स्थापित फ्री प्रेस को असमय ही बन्द होना पड़ा । तदुपरान्त सदानन्द के ही प्रयत्नों से यूनाइटेड प्रेस आफ इंडिया की स्थापना हुई लेकिन सरकार के आदेश से उसे भी बन्द होना पड़ा । फलस्वरूप ४०० नवयुवकों को बेकार होना पड़ा । सरकार ने इस की कोई सहायता नहीं की ।

अब मैं पत्रकारों की स्थिति को लेता हूं । हमारे यहां पत्रकारों की क्या अवस्था है । इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान समाचार का उदाहरण देना पर्याप्त है

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

हमारे देश के भारतीय भाषाओं के पत्रों का भी बहुत खराब हाल है । वे पी० टी० आई० द्वारा निर्धारित शुल्क नहीं दे पाते हैं, तब भला समाचारों का सही प्रसारण किस प्रकार संभव है ।

लंका ने जिसे चुनावों के दौरान समाचार एजेंसियों के कार्य का कड़ुवा अनुभव हुआ था, दो एकाधिकार प्राप्त समाचार पत्र समवायों का एक सरकारी निगम बना दिया । तथापि भारत में स्थिति यह है कि यहां के सारे समाचार पत्रों पर पांच छः समवायों का नियंत्रण है, यही लोग अब अपनी अपनी समाचार एजेंसियों की भी स्थापना करना चाहते हैं । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देंगे । अतः सरकार को चाहिये कि वह भारतीय जनता के मत का आदर करें और एक समाचार निगम की स्थापना करें जिस में प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया को भी सम्मिलित किया जाय । यदि सरकार समय रहते हुए ऐसा नहीं करेगी तो देश में कई स्वतंत्र समाचार एजेंसियों की स्थापना हो जायेगी, इस से देश की जनता का अहित होगा ।

विदेशी समाचार एजेंसियां हमारे साथ किस प्रकार सहयोग करती हैं, इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि दो वर्ष पूर्व मैं ने मास्को में पत्रकार संघ में एक भाषण दिया और रायटर से कहा यह सन्देश प्रसारित कर दिया जाये लेकिन अपेक्षित शुल्क देने के बावजूद भी ऐसा नहीं किया गया । प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया, एक फ्रांसीसी समाचार एजेंसी के सहयोग से काम कर रही है, तब भला यह कैसे संभव है कि एल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम की सही खबरें हमें मिल सकें । इसलिये इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि देश में एक ऐसी समाचार एजेंसी की स्थापना की जाय जो राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हो, जो हमें सच्चे समाचार दे सके और देश के निर्माण कार्य में सहायता कर सके ।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : इस संकल्प से स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार प्रसारण पर आघात होता है । अतः मैं इस का विरोध करता हूं । देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस का होना आवश्यक है तथापि उस का यह तात्पर्य नहीं कि सस्ते तथा उत्तेजनापूर्ण समाचारों का प्रसारण किया जाय । प्रेस आयोग ने भी इस सम्बन्ध में लिखा था कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार प्रसारित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । इन का देश के उत्साही नवयुवकों पर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नरसिंहन्]

खराब प्रभाव होता है । ऐसी बातों का उपचार करने के लिये प्रेस परिषद् की स्थापना की सलाह दी गई थी । तथापि उस ओर कोई कार्य नहीं किया गया । अतः मेरा सुझाव है कि प्रेस परिषद् की स्थापना तक पत्रकारों को एक अखिल भारतीय संस्था बना लेनी चाहिये, और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि संवादों का एक स्तर कायम किया जाय । सरकार को इस कार्य में गैरसरकारी क्षेत्र से सहयोग करना चाहिये ।

वर्तमान समाचार एजेंसी जोकि कई वर्षों से प्रशंसनीय कार्य कर रही है उस की निन्दा करना उचित नहीं है । उस की प्रशंसा में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है । अतः इस समाचार एजेंसी के स्थान पर किसी नई संस्था की स्थापना करना उचित नहीं है आवश्यकता इस बात की है कि इसी समाचार एजेंसी के कार्य में सुधार किया जाय ।

†श्री वारियर (त्रिचूर) : मैं ने इस संकल्प पर एक संशोधन प्रस्ताव रखा है जिस का आशय यह है कि वर्तमान परिस्थिति का विचार कर, प्रेस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से आगे बढ़ना उचित नहीं है । प्रैस आयोग ने १९५४ में देश में वर्तमान पत्रकारिता की व्यापक जांच की और उस के सम्बन्ध में बहुमूल्य सिफारिशें कीं । दुख का विषय है कि सरकार ने उन सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की ।

अब मैं समाचार ऐजेंसियों का प्रश्न लेता हूं । देश में प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया की एकाधिकारिता है । तथापि वह भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का उचित ध्यान नहीं रखता है । उदाहरणार्थ वे विस्तृत समाचारों को ९ या १० बजे रात भेजते हैं । इस का परिणाम यह होता है कि वे समाचार चाहे वे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हों अगले दिन के पत्र में प्रकाशित नहीं हो सकते हैं ।

भारतीय भाषाई पत्रों के साथ पक्षपात का व्यवहार भी किया जाता है । वे इस समाचार ऐजेंसी की 'क' श्रेणी की सेवायें ग्रहण नहीं कर पाता है, 'ख' और 'ग' श्रेणी की सेवाओं के अन्तर्गत जो संवाद दिये जाते हैं उन में कभी कभी महत्वपूर्ण समाचारों तक का उल्लेख नहीं होता है ।

प्रैस आयोग ने इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि यह समाचार ऐजेंसी विभिन्न स्थानों में अपने ग्राहकों से विभिन्न दरें लेती हैं । उदाहरणार्थ अम्बाला में इन के समाचार केवल एक समाचार पत्र को मिलते हैं तथा उस से नियत शुल्क लिया जाता है जब कि कोट्टायम में इन के समाचारों का वितरण चार छः समाचार पत्रों के बीच होता है तथा सब से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त १०० रुपये अधिक लिये जाते हैं । प्रैस आयोग के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि उक्त समाचार ऐजेंसी को अपने आय के लिये थोड़े से बड़े समाचारपत्रों पर निर्भर रहना होता है, यद्यपि मतदान के मामले में इन समाचार पत्रों का अल्पमत है तथापि उनकी वित्तीय शक्ति का एकमात्र आश्रय होने के कारण ऐजेंसी के सारे कार्य और उस की समस्त नीतियां उन्हीं की इच्छा के अनुरूप चलती हैं ।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि प्रैस आयोग के प्रतिवेदन पर गौर किया जाय । प्रैस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि इसे एक सरकारी निगम का रूप दिया जाय, इस की व्यवस्था के लिये एक ट्रस्ट बना दिया जाय, तथा बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिये इत्यादि यह सिफारिश स्पष्ट शब्दों में की गई है, अतः सरकार को देश व जनता के हित में इसे स्वीकार करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह (सहसराम) : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने संकल्प में पत्रकारिता के क्षेत्र में सत्यवादिता, वस्तुस्थिति और उत्तम नैतिक स्तर को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सुझाव देने के लिये देश में समाचारपत्रों द्वारा समाचारों और विचारों के प्रसार के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने की मांग की है। इस का अभिप्राय यह है कि प्रस्तावक महोदय के मन में पत्रकारिता के स्तर के बारे में सन्देह है। उन का आरोप है कि हमारे अखबारों में खबरों की रिपोर्ट देने का ढंग ठीक स्तर का नहीं है। यह बात गलत है इसीलिये मैं इस का विरोध करता हूं। भारत में अखबारों का काम सामान्य रूप से सन्तोष प्रद ही रहता है। स्वतन्त्रता से पूर्व अखबारों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सन् १९४० के बाद से समाज में अखबारों की संख्या में वृद्धि होना शुरू हुआ है। धीरे धीरे इन अखबारों ने व्यापारिक रूप ले लिया और इन का व्यय अधिक बढ़ गया तो ये पूंजीपतियों के हाथ में चले गये। आजकल हमारे महत्वपूर्ण पत्र बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में हैं।

गत दो वर्षों में हमारे देश में दो महान घटनायें हुई ह। एक तो हड़ताल की है और दूसरी आसाम की। आसाम के बारे में समाचार पत्रों में जो समाचार छपे हैं उन के बारे में कुछ माननीय सदस्यों को सन्देह हैं कुछ पत्रों में प्रकाशित समाचारों के बारे में मुझे भी सन्देह है। लेकिन साथ ही "स्टेट्समैन" और "सन्मार्ग" में प्रकाशित समाचार बहुत कुछ अंशों में सही है। सामान्यतः हमारे समाचारपत्र अच्छी खबरें और समाचार देते हैं। हमारे देश में कई राजनैतिक दल हैं लेकिन किसी का अपना कोई समाचार पत्र नहीं है; हां साम्यवादी दल का अपना पत्र जरूरी है। इस के अतिरिक्त कुछ पत्र और भी हैं जिन का प्रचलन सभी देशों में है। जो बात उन के एक पत्र में प्रकाशित होती है वह सभी पत्रों में भी प्रकाशित होती है। इस तरह वे समाचारों और विचारों का प्रसार जिस तरह भी चाहते हैं कर सकते हैं। हमारा देश लोकतन्त्रात्मक देश है। अतः हमें समाचारपत्रों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करना चाहिये। लोकतन्त्रात्मक परम्परा अपनाने के लिये यह आवश्यक है कि हम संवाददाताओं, सम्पादकों, उप सम्पादकों तथा प्रेस का कार्य करने वाले सभी लोगों को पूरी पूरी स्वतन्त्रता दें।

समाचारपत्रों का सम्बन्ध सरकार से नहीं बल्कि राष्ट्र से है। वे सचाई को देखते हैं। हड़ताल के दिनों में भी समाचार पत्रों ने अच्छा कार्य किया है। उन्हों ने राष्ट्र के हित का ध्यान रखा है। और वह यह अच्छी तरह जानते हैं कि किस रूप में हड़ताल की सूचना एवं तत्सम्बन्धी विचारों को प्रकट करना चाहिये तथा इस बात का भी अनुभव उन्हें है कि भारत को अब किस प्रकार के समाचारों की आवश्यकता है।

हमारे देश में इस बात की आवश्यकता है कि कुछ समाचार समितियां और हों। ताकि छोटे देशी भाषाओं के समाचारपत्रों की पूर्ति हो सके। मैं कहूंगा कि समाचारपत्रों ने स्वतन्त्रता से पूर्व हड़ताल के दिनों में तथा आसाम के मामले में हमारा साथ दिया है और हमें सच्ची सूचना एवं खबरें दी हैं। दो चार पत्रों की बात तो छोड़िये बाकी सभी समाचारपत्रों ने इन घटनाओं की निन्दा की है।

हमारी सामाजिक व्यवस्था विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर आधारित है। हमें उस प्रकार के विचार नियंत्रण का सहारा नहीं लेना चाहिये जैसा चीन और रूस में चलता है। बल्कि हमें तो समाचार पत्रों को खुली छूट देनी चाहिये तभी सच्चे समाचारों और विचारो की अभिव्यक्ति होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : इस संकल्प में उठाई गई बातों के लिये कोई समिति बनाना भले ही उचित न हो लेकिन उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार अवश्य किया जाना चाहिये।

भारत के समाचारपत्रों को पूरी आजादी है और वे समुचित ढंग से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के नियंत्रण में कई कई अखबार निकालने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये। पता नहीं कि सरकार यह कार्य कर भी सकेगी अथवा नहीं।

यह बड़े खेद की बात है कि यू० पी० आई० की जिस ने हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में बड़ा अच्छा काम किया था, बन्द कर देना पड़ा है। यदि संभव हो तो सरकार उसे फिर से चालू करे। केवल एक ही समाचार समिति का रखना भी कोई अच्छी बात नहीं है। सुना है कि सरकार कोई एक और समाचार समिति खोलने के बारे में विचार कर रही है। मेरा निवेदन है कि पी० टी० आई० के अतिरिक्त एक समाचार समिति और खोलने की व्यवस्था की जानी चाहिये। एक समिति का एकाधिकार होना कोई अच्छी बात नहीं है।

कलकत्ता के समाचार पत्र बहुत ही शक्तिशाली हैं और उन्होंने १९०५ से लेकर अब तक बहुत अच्छा कार्य किया है। वहां के अखबारों ने आसाम की खबरें छापने में बड़े संयम से काम लिया है। यदि कोई खबर बढ़ा चढ़ा कर छापी भी होगी तो उस का कारण केवल यह है कि आसाम की घटनाओं सम्बन्धी खबरों के प्रसार के लिये न तो आसाम सरकार ने और न भारत सरकार ने ही कोई व्यवस्था की थी। इस दृष्टि से इन अखबारों ने निश्चय ही राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा की है।

आज इस बात की आवश्यकता है कि सरकार को देश में अखबारों की किसी प्रकार की आचरण संहिता तैयार कराने की व्यवस्था करनी चाहिये।

मुझे केवल इतना ही कहना है कि मैं इस प्रकार की कोई समिति बनाने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि इस से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह (अपना) : दो बातें कही गई हैं। एक तो यह है कि यदि समाचारपत्रों द्वारा समाचारों और विचारों के प्रसार पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया तो समाचार पत्रों पर वैसा ही नियंत्रण हो जायेगा जैसा कि साम्यवादी देशों में है। दूसरे अगर ये समाचार पत्र पूंजीपतियों के हाथ में रहे तो हमारा समाजवादी लोकतन्त्रात्मक उद्देश्य की विफलता होगी। ये दोनों बातें ही कुछ हद तक सही हैं। इस समय सवाल देश के पत्रकारों का नहीं है क्योंकि वे लोग तो अपना काम अच्छे ही ढंग से कर रहे हैं। हमें तो अखबारों के स्वामित्व के प्रश्न पर विचार करना है। समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिये कि निहित स्वार्थों को इस बात का निर्णय करने का अधिकार है कि जनता में किस प्रकार की सूचनाओं का प्रसार किया जाये।

इसलिये मेरे विचार से श्री गुप्ता का संकल्प जरूरी है। और इस के स्वीकार करने में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होना चाहिये। इस संकल्प का होना इसलिये भी आवश्यक है ताकि प्रेस आयोग की सिफारिशों पर, जिन्हें सरकार ने यों ही रहने दिया है उचित कार्यवाही की जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : हालांकि इस संकल्प को जिस विचार से अर्थात् पत्रकारिता के क्षेत्र में सत्यवादिता, वस्तुस्थिति और उत्तम नैतिक स्तर को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, लाया गया है वह तो सराहनीय है लेकिन इस में जो उपाय सुझाये गये हैं वे आपत्तिजनक हैं ।

हमें यह याद रखना होगा कि अखबारों की स्वतन्त्रता की पहली शर्त यह है कि समाचार निकालने वालों को बिल्कुल स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये । प्रेस आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि समाचार पत्रों का स्तर आम तौर पर काफी अच्छा है । अतः इस निष्कर्ष को देखते हुए संकल्प में अखबारों पर जिस प्रकार का नियंत्रण लगाने की व्यवस्था है उस की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रेस आयोग ने अपनी सिफारिशों में पत्रकारों के सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ और भारतीय दंड संहिता की धारा १२४(क) १५३(क) तथा २९५(क) का उल्लेख किया है । लेकिन दुख की बात है कि पंजाब में धारा १४४ का बड़ा दुरुपयोग किया गया है । इस के अन्तर्गत पत्रकारों को बन्दी बनाया गया है । अतः आवश्यकता इस बात की है इस धारा में संशोधन किया जाये ताकि इस धारा का उपयोग पत्रकारों के हित में किया जा सके । आशा है कि सरकार इस धारा के सम्बन्ध में प्रेस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करेगी ।

अन्त में मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं । और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रेस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करें अथवा इन बातों के बारे में दूसरे आयोग की नियुक्ति करें ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर): इस संकल्प ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सभा का ध्यान दिलाया है । मैं इस पक्ष में हूं कि हमें अखबारों की आजादी कम नहीं करनी चाहिये । लेकिन अखबारों पर एकाधिकार की प्रवृत्ति का अन्त होना चाहिये । मेरा निवेदन है कि इस संकल्प को स्वीकार न किया जाये । और साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि अभी हाल में इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी समिति की स्थापना भी की जाये ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : क्या सरकार प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को यह सलाह देगी कि वह अपने निदेशक मंडल में कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को भी स्थान दें ? और उस के ऐसा न करने पर क्या सरकार का रवैया उस के साथ वैसा ही रहेगा जैसा कि अब तक है । क्या वह श्रंखला के रूप में बने अखबारों पर एकाधिकार को समाप्त करने का भी प्रयास करेगी ?

†**श्री जोकीम आल्वा** : प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के निदेशक मंडल में कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को लेने की मांग का मैं समर्थन करता हूं ।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : मैंने प्रस्तावक महोदय और अन्य सदस्यों के भाषणों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है अल्प समय में ही माननीय सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण बातों को रखने का प्रयत्न किया है ।

माननीय प्रस्तावक ने यह संकल्प एक विशेष उद्देश्य से रखा है । संकल्प के विषय में बोलते हुए उन्होंने मुख्य रूप से प्रेस आयोग के प्रतिवेदन का जिक्र किया है । मेरे लिये यह द्विविधा है कि मैं उस उद्देश्य को पहले लूं या उनके इस आरोप का उत्तर दूं कि सरकार ने मोटे तौर पर प्रैस आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० केसकर]

प्रैस आयोग का प्रतिवेदन बहुत बड़ा है । उस प्रतिवेदन पर सभा में दो बार चर्चा हो चुकी है । अतः तत्सम्बन्धी सभी प्रश्नों का उत्तर देना मेरे लिये सम्भवत नहीं होगा, अरेः मैं संक्षिप्त रूप से उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो कि इन्होंने अपने भाषण के दौरान उठाये हैं ।

प्रैस आयोग ने सैकड़ों सिफारिशें की हैं । उनमें से कु छ मामूली हैं, कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी, कुछ बहुत महत्वपूर्ण भी हैं । मेरे विचार में माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न पर चर्चा करते समय सबसे अधिक महत्व श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा शर्तों को दिया । जब सभा में इस बात पर चर्चा हुई थी तो सभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि यह सबसे महत्वपूर्ण और क्रान्तकारी सिफारिशें हैं, अतः सरकार को इसे तत्काल क्रियान्वित करना चाहिये । फलस्वरूप श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी और सेवा शर्तें) अधिनियम पारित हो गया और उस पर अमल किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आयोग ने कुछ सिफारिशें मुख्य रूप से सरकार के लिये की थीं अन्य सिफारिशों के सम्बन्ध में उन्होंने समाचार पत्रों से अनुरोध किया था । आयोग ने इस सम्बन्ध में पूरी सावधानी बरती कि वह सरकार से कोई ऐसी बात करने को न कहे जिससे कि समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता और उनकी अभिव्यक्ति के अधिकार : बाधा पहुंचने की सम्भावना हो ।

इसके पश्चात् पृष्ठों के अनुसार मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । हमें इसे इस प्रकार क्रियान्वित करना चाहिये कि हम पर समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता पर आघात पहुंचाने का अरोप न लगे । पृष्ठों के अनुसार मूल्य की सूची समाचार पत्रों के लिये प्रकाशित हो गई है, इस महीने के मध्य तक समाचार पत्रों की रायें उपलब्ध हो जायेंगी, तत्पश्चात् सरकार अन्तिम आदेश देकर इस अनुसूची को यथाशीघ्र लागू कर देगी ।

अब मैं प्रैस पंजीयक के प्रश्न को लेता हूं । आयोग ने इस सिफारिश को बहुत महत्व दिया है कि एक केन्द्रीय एजेंसी होनी चाहिये जो कि देश के सभी समाचारपत्रों के सम्बन्ध में सही और सच्ची जानकारी और आंकड़े रखे । जिससे हम देश के समाचार पत्रों के बारे में सही और सच्ची जानकारी उपलब्ध कर सकें । तदनुसार प्रैस पंजीयक की नियुक्ति हो चुकी है और मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन विधेयक का संशोधन किया जा चुका है । अभी हाल इसमें एक और संशोधन किया गया है ।

समाचार एजेंसियों का प्रश्न भी उठाया गया है । उन्होंने यह राय व्यक्त की है कि प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है उसका ट्रस्ट बना कर उसमें तदनुरूप परिवर्तन कर दिये जायं । यह सिफारिश सरकार से नहीं अपितु उस समाचार एजेंसी के निदेशकों से की गई है। मैंने इस सम्बन्ध में प्रैस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों से बातचीत की है । मैंने सदैव इस मामले में सरकारी हस्तक्षेप को नापसन्द किया है । इसमें सन्देह नहीं कि देश में दो या तीन समाचार एजेंसियां होनी चाहियें, तथापि सरकार के द्वारा उनकी स्थापना करना उचित नहीं है । एक ओर आप चाहते हैं कि समाचारपत्रों पर सरकार हस्तक्षेप न करे और दूसरी ओर आप चाहते हैं कि सरकार स्वयं समाचार एजेंसियों की स्थापना करे । यह परस्पर विरोधी बातें हैं । यदि किसी समाचार एजेंसी की स्थापना की जाती है तो सरकार अवश्य उसे सुविधायें प्रदान करेगी, तथापि यदि स्वयं सरकार किसी समाचार एजेंसी की स्थापना करेगी तो विरोधी पक्ष के सदस्य सबसे पहिले हमारी आलोचना करेंगे । अतः सरकार इस मामले में काफी सावधान है । निस्सन्देह डा० राय ने इस बात का प्रयत्न किया कि यूनाइटड प्रैस

आफ इण्डिया की पुनः स्थापना हो सके। मैं इस बात को पुनः दुहराता हूं कि यदि किसी ऐसी समाचार एजेंसी की स्थापना हो सके, जो हमारे द्वारा मान्य सिद्धान्तों पर काम कर सके तो हम निस्सन्देह ऐसी समाचार एजेंसी के प्रति उदारतापूर्वक विचार करेंगे।

वस्तुतः किसी भी सच्ची समाचार एजेंसी के लिये सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। इस बात का उल्लेख उस विवरण में भी किया जा चुका है जिसको मैं सभा पटल पर रख चुका हूं। प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के सम्बन्ध में कई बातें कही गई हैं। जब तक मेरे पास इन बातों के सम्बन्ध में सही जानकारी न हो मैं उन्हें सही या गलत नहीं कह सकता हूं। वस्तुतः समाचार एजेंसी के लिये सैकड़ों समाचारों में से कुछ विशेष समाचारों का चुनाव करना बहुत कठिन होता है। वे इस सम्बन्ध में अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं अतः मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता हूं।

हम नई समाचार एजेंसियों की स्थापना का स्वागत करेंगे, हमने उन एजेंसियों की स्थापना के लिये जो मापदण्ड रखा है, उसे मैं सभा पटल पर रखे गये विवरण में बता चुका हूं। तथापि इसका यह आशय नहीं है कि सरकार उन्हें सहायता प्रदन करेगी, हां सरकार उपयोगी समाचार एजेंसियों से समाचार खरीद सकती है। यदि ऐसी समाचार एजेंसियां न्यूनतम निर्धारित माप दण्ड पूरा करेंगी तो उन्हें आवश्यक संचार सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं।

श्री गुप्त ने प्रैस परिषद् का उल्लेख किया है। उनके भाषण को सुन कर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वही आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होना चाहिये कि प्रैस परिषद्, यद्यपि एक संविहित संस्था होगी तथापि उसे दण्डात्मक शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। यह इंगलैण्ड की प्रैस परिषद् की तरह केवल नैतिक प्रभाव ही डाल सकेगी। इसके द्वारा जनता को कुछ समाचारपत्रों, उनके स्वामित्व इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी, तथापि उन बातों में केवल इतना ही परिवर्तन सम्भव हो सकेगा जितना कि जनमत के प्रभाव से सम्भव है। अतः हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रैस परिषद् की शक्तियां और उसका क्षेत्र सीमित है, यद्यपि यह एक संविहित संस्था रहेगी तथापि इसका कार्य उद्योगों के विनियमन बोर्ड से अधिक नहीं होगा।

मैं आपको संक्षेप में इंगलैण्ड की प्रैस परिषद् के, जिसके आधार पर यह परिषद् बनाई जा रही है अनुभव बताना चाहता हूं। वहां की प्रैस परिषद् आशानुरूप सफल सिद्ध नहीं हुई क्योंकि कई मामलों में यद्यपि प्रैस परिषद् ने समाचार पत्रों पर आरोप लगाया किन्तु तो भी समाचारपत्रों ने अपनी नीति नहीं बदली। एक समाचारपत्र ने तो प्रैस परिषद् की अवहेलना भी की। मेरे कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि प्रैस परिषद् की आवश्यकता ही नहीं है, उसकी आवश्यकता इस रूप में अवश्य है कि कम से कम एक ऐसी संस्था की स्थापना हो जयेगी जो किसी भी पत्र के बारे में अधिकृत राय दे सकेगी। सरकार ने इस सिफारिश को अमल में लाने का प्रयत्न किया तथापि राज्य सभा में चर्चा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि समाचारपत्रों के दो गुटों में परिषद् के निदेशकों के सम्बन्ध में बुनियादी मतभेद पैदा हो गया है। श्रमजीवी पत्रकारों की यह राय थी कि प्रैस परिषद के संगठन में परिवर्तन कर दिया जाय, जबकि स्वामित्व वाला गुट यह चाहता था कि संविहित प्रैस परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान में एक स्वेच्छा प्रैस परिषद् बनाई जा सकती है। यदि परिषद् के सामान्य बुनियादी गठन में कोई परिवर्तन न किया जाय तो मैं इसे अब भी अमल में लाने का प्रयत्न करूंगा। कई अन्य मामलों के सम्बन्ध में भी मतभेद प्रगट किया गया था। तथापि इन मामलों में सहमति प्राप्त की जा सकती है परिषद् की संरचना के बारे में जो रायें प्रगट की गई थीं यदि वह जारी रहीं तो, समाचारपत्रों के दो परस्पर विरोधी गुटों के विरोध के बावजूद भी ऐसी परिषद् को बनाने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि ऐसी दशा में वह कोई नैतिक प्रभाव नहीं डाल सकेगी। मुख्य बात यह है कि परिषद् में कुछ

[डा० केसकर]

श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि होंगे और कुछ मालिकों के प्रतिनिधि, कुछ प्रैस आयोग की सिफारिश के अनुसार अन्य व्यक्ति। वस्तुतः श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा के सम्बन्ध में कुछ मतभेद पैदा हो गया और यह कहा गया कि उसमें सम्पादकों को शामिल न किया जाय क्योंकि वे मालिकों का पक्ष लेंगे। इससे मतभेद पैदा हो गया और हमने यह सोचा कि जब तक इस सम्बन्ध में दोनों पक्ष एकमत नहीं होते हैं तब तक इस प्रश्न पर विचार करना वांछनीय नहीं होगा वस्तुतः हम ऐसे वातावरण में परिषद् की स्थापना के विरोधी हैं।

इस सम्बन्ध में प्रैस आयोग की समाचार पत्रों की एकाधिकारिता से सम्बन्धित सिफारिश का भी प्रश्न उठाया गया था। इस सम्बन्ध में प्रैस आयोग ने किसी विधान बनाने की सिफारिश नहीं की है। आयोग ने यह सलाह दी है कि हमें उन प्रवृत्तियों पर गौर करते रहना चाहिये जिनसे एकाधिकारिता को बल मिलता है, तत्पश्चात् हमें कुछ करने का विचार करना चाहिये। क्योंकि हमें जो भी कदम उठाना है उसे इस रूप में उठाना चाहिये कि प्रैस की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप न हो। इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाना आसान नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रैस पंजीयक के प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया था। इसमें सन्देह नहीं है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एकाधिकारिता की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक माननीय सदस्य ने उचित ही कहा है कि आजकल किसी पत्र की स्थापना में बहुत धन लगता है। एक ही प्रैस से अधिकाधिक पत्र इस कारण प्रकाशित होते जाते हैं क्योंकि जिनके पास धन है वे आसानी से पत्र का प्रकाशन आरम्भ कर सकते हैं। तथापि इस प्रवृत्ति पर एक बारगी रोक नहीं लगाई जा सकती है। क्योंकि डालमियां और बिड़ला के समाचार पत्रों की श्रृङ्खला के अतिरिक्त भारत में साम्यवादी दल के अधीन स्थापित श्रृङ्खला के द्वारा सात दैनिक, आठ या नौ साप्ताहिक और कई मासिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं।

यदि हम एकाधिकारिता पर नियंत्रण करना आरम्भ करेंगे तो हमें साम्यवादी दल जैसा महत्वपूर्ण राजनैतिक पार्टी के समाचार पत्रों से भी नियंत्रण लगाना होगा, अतः इस मामले पर सावधानीसे विचार करना होगा वस्तुतः आयोग ने यह सिफारिश की थी कि आयोग परिषद की स्थापना के पश्चात इन मामलों पर विचार करेगी और यदि उनकी राय में इस प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है तो वे इस सम्बन्ध में उचित सुझाव देंगे। आयोग ने केवल एकाधिकारिता को समाप्त करने का सुझाव दिया है, उन्होंने इस बात की सावधानी बरती है कि यह सुझाव समाचार पत्रों के मालिकों को दिया जाय न कि सरकार को।

अब मैं माननीय सदस्य के संकल्प को लेता हूं, निसंदेह सच्चाई निष्पक्षता और ऊंचा स्तर बनाये रखने का उद्देश्य बहुत अच्छा है। तथापि कठिनाई यह है कि उसे लागू किस प्रकार किया जाय। प्रैस की स्वतंत्रता तथा उपयुक्त नियंत्रण को लागू करने के बीच समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं यह अनुभव करता हूं कि कोई ऐसा कदम उठाने के पूर्व, जिससे प्रैस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होता हो, हमें बहुत सावधानी से विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता हमें वर्षों के प्रयास के पश्चात् प्राप्त हुई है और यह स्वतंत्रता लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिये आवश्यक है।

कुछ माननीय सदस्यों ने समाचार एजेंसियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि वे जानबूझ कर कुछ समाचारों को प्रकाशित नहीं करती हैं। यदि कोई समाचार पत्र किसी समाचार को प्रकाशित नहीं करता है तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। उदाहरणार्थ "न्यू एज" में चीन के एवरेस्ट अभियान को सर्वप्रथम स्थान दिया गया था, लेकिन उसमें भारतीय एवरेस्ट अभियान का उल्लेख भी नहीं था। इस बात के लिये उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता है।

समाचार पत्रों को यह अधिकार है कि वे केवल उपयुक्त समाचार ही प्रकाशित करें। वस्तुतः समाचार पत्रों का सब से महत्वपूर्ण कार्य समाचारों का चुनाव करना है, इसके सम्बन्ध में सभी को समान स्वतन्त्रता है। अतः इस प्रश्न पर एक विशेष दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी कोई बात करने से समाचारों और विचारों के चयन पर अवांछनीय नियंत्रण लगने की संभावना है। संसद के ४५ सदस्य उन्हें समाचारों और विचारों के चयन का सही तरीका नहीं बतला सकते हैं। ऐसा करना उन ४५ सदस्यों के ऊपर अनावश्यक भार डालने के समान है। उनके लिये ऐसा करना सम्भव नहीं है। वे अन्त में इस सम्बन्ध में अपनी कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे। मैं इस बात में श्री गुप्त से सहमत हूं कि समाचारों का स्तर ऊंचा रहना चाहिये, इस सम्बन्ध में प्रैस आयोग की भी यह सलाह थी कि हमें समाचार पत्रों पर इस प्रकार का नैतिक दबाव डालना चाहिये कि वे अन्य समाचार पत्रों पर लांछन या प्रशंसा इत्यादि करने में संयम से काम लें। यदि कोई समाचार पत्र किसी विशेष समाचार को दबाने का प्रयत्न करे, तो भी हम उसे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि तब दूसरे समाचार पत्रों के सम्बन्ध में भी हमें यही करना होगा। इसका फल यह होगा कि समाचार पत्रों पर एक प्रकार का नियंत्रण स्थापित हो जायेगा, और स्वतंत्रतापूर्वक विचार प्रगट करना कठिन हो जायेगा। वस्तुतः यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे समाचार पत्र सर्वोत्तम तरीके से काम करें और पत्रकारिता का ऊंचा स्तर कायम करें तो हमें इस पर विचार करना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति किसी प्रकार के दबाव डालने, अधिनियम पारित करने या अनुदेश देने से नहीं हो सकती है। कुछ भी हो मैं नहीं चाहता कि यह भार ४५ संसद सदस्यों के ऊपर पड़े।

यद्यपि इस संकल्प का प्रयोजन अच्छा है तथापि इसे उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस में प्रैस आयोग की सिफारिश के अनुसार शब्द शामिल किये गये हैं, तथापि प्रैस आयोग ने यह सिफारिश की है कि हमें यथा सम्भव नैतिक दबाव से ही काम लेना चाहिये। निसंदेह कुछ उ हों ने सिफारिशें की हैं। धीरे धीरे समाचार पत्रों पर जनमत का यह दबाव डाला जा सकता है कि वे आयोग की सिफारिशों के अनुसार काम करें। हमें उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। मेरे विचार से ऐसी समिति, आयोग की सिफारिशों से अधिक अच्छी राय नहीं दे सकती है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम) : ऐसा लगता है कि सरकार मेरे द्वारा उल्लिखित पूर्वोक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। प्रैस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में ये सिफारिशें भी बहुत ही महत्वपूर्ण थीं।

प्रेस पर नियंत्रण, दबाव आदि डालने के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा श्री वारियर के संशोधन को स्वीकार कर लेने के पश्चात् से इस संकल्प द्वारा प्रेस पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। आयोग के द्वारा की गई छानबीन के काम को दोबारा करने का कोई सवाल नहीं है। संकल्प में जिस समिति के बनाने की बात कही गई है वह सरकार के मार्ग में क्या बाधाएं हैं, उनका पता लगाकर आयोग की सिफारिशों को लागू करने में सरकार की सहायता कर सकती है। तानाशाही का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जिन बातों का सुझाव दिया गया है वे सब पर समान रूप से लागू होंगी। वास्तविकता यह है कि समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता में एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों ने बाधा पहुंचाई है न कि संकल्प में सुझाये गये उपायों ने।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

अखबारों पर नियंत्रण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। सभी प्रकार के समाचार पत्रों के लिये मैंने एक ही से सुझाव दिये हैं।

आचरण संहिता बनाने का सुझाव भी अच्छा है। मैं उसका समर्थन करता हूं। प्रेस आयोग ने भी इसके बनाने की बात कही है। लेकिन एक बात है कि सभी प्रकार की आचरण संहिता ऐच्छिक होती हैं।

प्रेस आयोग ने प्रेस परिषद बनाने का सुझाव दिया था। मेरा निवेदन है कि प्रेस परिषद बनाने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये और यह आपत्ति नहीं उठानी चाहियें कि समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता खतरे में है।

मैं देखता हूं कि सरकार को पी० टी० आई० को एक सार्वजनिक निगम बनाने में सरकार को सहायता करनी चाहिये थी लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया।

अतः मैं निवेदन करूंगा मैं ने अपने संकल्प में जिस समिति के बनाने की बात कही है उसे बनाना चाहिये। अन्त में मैं अपने संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**सभापति महोदय** : मैं पहले संशोधन को मतदान के लिये रखूंगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सत्यवादिता, वस्तुस्थिति और उच्च नैतिक स्तर को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सुझाव देने के लिये देश में समाचारपत्रों द्वारा समाचारों और विचारों के प्रसार के प्रश्न की जांच करने के लिये ४५ संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये जिस में लोक-सभा के ३० और राज्य सभा के १५ सदस्य हों।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

नौवहन के लक्ष्य के बारे में संकल्प

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि नौवहन का लक्ष्य कम से कम ५ लाख जी० आर० टी० निर्धारित किया जाये और इस प्रयोजन के लिये १०० करोड़ रुपये तुरन्त स्वीकृत किये जायें।"

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा, सोमवार, ५ सितम्बर, १९६०/१४ भाद्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

शनिवार, ३ सितम्बर, १९६०

१२ भाद्र, १८८२ (शक)

विषय पृष्ठ

राज्य सभा से सन्देश . ३२३९-४०

सचिव ने राज्य सभा से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा ने १ सितम्बर, १९६० की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा ५ अगस्त, १९६० को पारित बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक, १९६० को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(दो) कि राज्य सभा १ सितम्बर, १९६० की अपनी बैठक में मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक, १९६० सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिये लोक-सभा की सिफारिश से सहमत हो गई है और उस ने उक्त संयुत समिति में काम करने के लिये १५ सदस्यों को मनोनीत किया है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने १ सितम्बर, १९६० की अपनी बैठक में भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक, १९६० को पारित कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया ३२४०

सचिव ने भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक, १९६० को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३२४०—४२

श्री प्र० सिं० दौलता ने पंजाब के कुछ जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाया ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम) ने इसके बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक—पुरस्थापित . ३२४४

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६० ।

कार्य मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत ३२४४

पचपनवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . . ३२४४—७९

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव तथा उस पर प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया । आचार्य कृपालानी

विषय पृष्ठ

के स्थानापन्न प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में ४८ : विपक्ष में १६८ : तदनुसार स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । श्री अतुल्य घोष का स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और शेष स्थानापन्न प्रस्ताव अवरुद्ध घोषित किये गये । चर्चा समाप्त हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत ३२८०

उनहत्तरवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—अस्वीकृत ३२८०—९०

१९—८—६० को श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प तथा तत्सम्बन्धी संशोधन पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने वाद विवाद का उत्तर दिया । श्री वारियर का संशोधन अस्वीकृत हुआ । संकल्प भी अस्वीकृत हुआ और चर्चा समाप्त हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन ३२९०

श्री रघुनाथ सिंह ने नौवहन के लक्ष्य के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, ५ सितम्बर, १९६०/१४ भाद्र, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

(१) औषधि (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में तथा (२) सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक पर विचार तथा उन का पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III—1101 (Ai) LSD—5-10-60—135